षष्ठम माला, खण्ड 2, अंक 8, सोमवार, 20 जून 1977/30 ज्येष्ठ 1899 (शक)
Sixth Series, Vol. II, No. 8, *Monday, June* 20, 1977/*Jyaistha* 30, 1899 *(Saka)*

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 105(4)
Date 15-12-77

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

***Price* : Four Rupees**

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी म अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

अंक 8, सोमवार, 20 जून, 1977/30 ज्येष्ठ, 1899 (शक)
No. 8, Monday, June 20, 1977/Jyaistha 30, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	Member Sworn .	1
मंत्री का परिचय	Introduction of Minister . . .	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 104 से 108, 110 से 112 और 115.	*Starred Questions Nos. 104 to 108, 110 to 112 and 115. . .	1
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1	Short Notice Question No. 1 . .	19
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 103, 109 113, 114 और 116 से 120.	Starred Questions Nos. 101 to 103, 109, 113, 114 and 116 to 120 . .	22
अतारांकित प्रश्न संख्या 966 से 978, 980 से 1036 और 1038 से 1144.	Unstarred Questions Nos. 966 to 978, 980 to 1036 and 1038 to 1144 . .	26
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . .	116
समितियों के लिए निर्वाचन	Election to Committees . .	117
मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक—पुर: स्थापित	Payment of Wages (Amendment) Bill—Introduced	120
बजट (सामान्य)—1977-78 सामान्य चर्चा	General Budget, 1977-78—General Discussion	120
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam . .	120
डा० सुब्रह्मण्यमस्वामी	Dr. Subramaniam Swamy . .	123
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S.R. Damani . . .	125
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	126
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe . .	127
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya .	128
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar .	130
श्री सोगत राय	Shri Saugata Roy .	131
श्री राम धानरी शास्त्री	Shri Ram Dhanri Shastri	133
श्री के० राममूर्ति	Shri K. Ramamurthy .	134
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen . .	135
श्री गोरी शंकर राय	Shri Gauri Shankar Rai . .	135
श्री बेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua . . .	136

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

लोक सभा
LOK SABHA

सोमवार, 20 जून, 1977/30 ज्येष्ठ, 1899 (शक)
Monday, June 20, 1977/Jyaistha 30, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBER-SWORN

श्री रोडोल्फ रौड्रिग्ज (आंग्ल-भारतीय नाम-निर्देशित)

मंत्री का परिचय
INTRODUCTION OF MINISTER

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं नये कृषि मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला का परिचय कराता हुं

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यापकों/प्रधानाचार्यों/प्रोफेसरों को परेशान किए जाने के मामलों का पुनर्विलोकन

104. ***डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपात् स्थिति के दौरान अध्यापकों, प्रधानाचार्यों और प्रोफेसरों को परेशान किये जाने के मामलों पर पुनर्विचार करने के लिये सभी शैक्षणिक संस्थानों को आदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति को किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है ;

(ग) क्या सरकारी स्कूल प्रधानाचार्य एसोसिएशन, दिल्ली और भारत के अनेक अन्य अध्यापक संगठनों ने उक्त नीति को क्रियान्वित न किए जाने के बारे में शिकायत की है; और

(घ) परेशान किये जाने के मामलों पर पुनर्विचार करने के लिये सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) शिक्षा के अतिरिक्त अन्य आधारों पर आपात् स्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों और अनुचित बातों के मामलों की समीक्षा करने और ग्रीष्म अवकाश के बाद शिक्षा संस्थाओं के फिर से खोले जाने से पहले, उनका उपचार करने हेतु शीघ्र कार्रवाई करने के वास्ते राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

(ग) दिल्ली स्कूल प्रिंसिपल संघ ने एक सामान्य शिकायत की है जिसमें कुछ मामलों में उत्पीड़न के आरोप लगाये गए हैं । अन्य संगठनों से भी ऐसी ही सामान्य शिकायतें प्राप्त हुई प्रतीत होती हैं ।

(घ) राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से आशा की जाती है कि वे उनके ध्यान में लाए गए किसी भी विशिष्ट मामले की समीक्षा करेंगे।

Dr. Vasant Kumar Pandit : Have they mentioned some specific cases while writing to the State Governments ? There were several cases of suspension, retrenchment, fine, premature retirement etc., etc. at different levels and in different Departments. I would, therefore, like to know the type of victimisation in the mind of the Government and nature of specific directions given to the State Governments.

डा० प्रताप चन्द्र चन्द : राज्य सरकारों को शैक्षणिक संस्थाओं सम्बन्धी सामान्य प्रकार के निदेश भेजे गये हैं । हमारे पास कोई विशिष्ट मामले नहीं हैं और प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में मैं पहले ही कह चुका हूं कि राज्य सरकार उन विशिष्ट मामलों पर विचार करेगी जो उनके नोटिस में लाए जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश में अभी तक नई राज्य सरकार नहीं बनी है और नई राज्य सरकार बनने पर इन मामलों पर विचार करेगी ।

डा० वसन्त कुमार पण्डित : राज्य सरकारों ने इस दिशा में क्या प्रगति की है । क्या तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाएगा ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : हमने प्रगति प्रतिवेदन के लिये कहा है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : जहां कहीं भी किसी को बहाल किया गया, उसके लिये मंत्रालय धन्यवाद का पात्र है फिर भी कुछ संस्थाओं द्वारा इन बहाल किये गये प्रोफेसरों तथा प्रिंसिपलों को पूरी तरह से नहीं लिया है । कई मामलों में इन लोगों को पिछला वेतन नहीं मिला है, उनकी वरीयता ठीक जगह निश्चित नहीं की गयी और उत्पीड़न किसी न किसी रूप में जारी है ।। इन बहाल किये गए प्रोफेसरों के पिछले वेतन अथवा वरीयता के बारे सरकार की विशिष्ट नीति क्या है?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा मंत्रालय के अधीन शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकारियों के मामले में हमने न केवल राजनैतिक भावना से उत्पीड़ित अधिकारियों के वापस लेने के बारे कहा है बल्कि यह भी कहा है कि उन पर लगाये गये सभी आरोप तथा दंड वापिस लिये जायें ताकि उन्हें पहले वाले स्थान पर ही निश्चित किया जाये । उन्हें पिछला वेतन निश्चित रूप से देना पड़ेगा क्योंकि बीच में दिये गये दंड समाप्त कर दिये जायेंगे।

Shri Tej Pratap Singh : Have the instructions sent to the State Governments reached District levels offices ? Our information is that these instructions have not so far reached there and a number of victimisation cases are pending and few people have not received their salary. Will the Education Ministry issue these instructions afresh and direct that same should be sent to the Distt. authorities immediately ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : शिक्षा सचिव का नवीनतम पत्र 16 अप्रेल, 1977 का है और 10 जून, 1977 को भी एक पत्र लिखा गया था जिसके अनुसार हमने की गयी कार्यवाही का ब्यौरा मांगा है।

Chaudhry Balbir Singh : Will the Education Minister state whether state Governments will initiate action at its own regarding payment of salary to the Teachers or Principals who were arrested or who remained underground or Central Government will direct them to follow a particular policy in this regard ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि संविधान के अन्तर्गत संघीय ढांचे की प्रणाली में केन्द्रीय सरकार उन मामलों में सीधी कार्यवाही नहीं कर सकती जो राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में हैं । अनुरोध से अधिक हम कुछ नहीं कर सकते।

Chaudhry Balbir Singh : The Central Government should advise them about the course of action to be adopted in this behalf. The Government can at least give advice if not order.

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं पहले ही कह चुका हूं कि दो बार परामर्श दिया जा चुका है । एक बार 16 अप्रैल को तथा दूसरी बार 10 जून को ।

श्री आर० के० महालगी : केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये निदेशों के बारे क्या महाराष्ट्र सरकार से कोई उत्तर आया है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : हमें अभी कोई उत्तर नहीं आया ।

Shri Phirangi Prasad : What action has been taken to reinstate and provide facilities to the people other than teachers and Principals ? If no action has been taken the time to be taken to consider their cases ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यदि कर्मचारी अध्यापक नहीं तो वे शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आते हैं। वे उनके मामले भी दिये गये निदेशों के अन्तर्गत आते हैं ।

Shri Om Prakash Tyagi : I want to know whether the orders to Teachers of Union Territories for bringing five sterilisation cases failing which they will face suspension and their salaries will be withheld, were given by the Central Government or some Education Officer ? Will any action be taken against the Education Officer if he gave such orders ?

श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र : परिवार नियोजन सम्बन्धी ज्यादतियों के लिये उच्च शक्ति प्राप्त एक आयोग का गठन किया जा चुका है और मेरा अनुरोध है...

अध्यक्ष महोदय : ये अध्यापकों के वेतन तथा कोटे की बात कर रहे हैं ।

श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं समझता हूं कि चूंकि उच्च शक्ति प्राप्त आयोग के पास जांच के बहुत अवसर हैं ...

Shri Om Parkash Tyagi : My question was that whether these orders were given by the Education Ministry to the Teachers or the Education Officers gave such order at their own. It should be noted that teachers were suspended later on by the Education Department. Will any action be taken against such officers ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : इसका उत्तर देने के लिये मुझे नोटिस चाहिये।

Shri Manohar Lal : I want to tell the Hon. Minister that harassment of teachers in the matter of sterilization cases was not restricted to Union Territories only but had spread to the villages also. Will you take necessary action regarding excesses towards such teachers during Emergency ? Are you taking some prompt action in this behalf ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं कह चुका हूं कि हम दो बार अनुरोध कर चुके हैं । कुछ राज्यों में अब नई सरकारें बन जायेंगी और हमारे नोटिस में यदि कोई विशेष मामले आये तो हम उनके बारे में राज्य सरकारों को लिखेंगे ।

Shri Anant Dave : Will the Hon. Minister state the statewise position regarding victimisation of Teachers ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : हमारे पास अब इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

आयातित उर्वरकों का भण्डारण और वितरण

*105. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयातित उर्वरकों के भण्डारण और वितरण का काम किन शर्तों के अधीन भारतीय उर्वरक निगम को सौंपा गया था; और

(ख) भारतीय उर्वरक निगम ने गत तीन वर्षों में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के उर्वरकों का भण्डारण और वितरण किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) आयातित उर्वरकों के भण्डारण तथा वितरण का कार्य भारतीय उर्वरक निगम को नहीं सौंपा गया है ।

(ख) उपर्युक्त (क) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि आयातित उर्वरकों का भण्डारण और वितरण भारतीय उर्वरक निगम को नहीं सौंपा गया । अब इन उर्वरकों के वितरण और विक्रय के बारे में देश भर में शिकायतें आ रही हैं । इन उर्वरकों के आयात पर हमने बहुमूल्य विदेशी मुद्रा व्यय की है । अतः मैं पूछना चाहती हूं कि भारतीय उर्वरक निगम को जो एक सरकारी सस्थान है, यह काम क्यों नहीं सौंपा गया और क्या अब सरकार उनके वितरण का भार निगम को सौंपना चाहती है ताकि इस संबंध में आ रही कठिनाइयां दूर हो सकें और काले बाजार तथा अधिक मूल्य लिये जाने की शिकायतें दूर हो सकें।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : 1976 में यह कार्य भारतीय उर्वरक निगम को सौंपा गया था और तब से वह आयातित उर्वरकों का वितरण कर रहा है । उससे कार्य वापस लेने का अब कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या सरकार अब ऐसा करना चाहेगी ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इस विषय पर इस दृष्टि से विचार नहीं किया गया है ।

श्री के० गोपाल : क्या मंत्री जी को पता है कि इस समय वितरण ठीक नहीं है । वास्तविक जरूरत पर यह वितरण निर्धारित नहीं है । कुछ राज्यों में तो इसकी भरमार है और कुछ में इसकी अत्यधिक कमी है । क्या मंत्री जी आवश्यकता के आधार पर इसका वितरण कराने की बात पर विचार करेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : राज्यों से उनकी आवश्यकताएं प्राप्त होती हैं । उन पर विचार किया जाता है और तब उर्वरक भेजे जाते हैं । आगे उपभोक्ताओं को उर्वरक देना राज्यों की जिम्मेवारी है । अतः वितरण की मुख्य जिम्मेवारी केन्द्र की न हो कर राज्यों की है ।

श्री सौगत राय : क्या मंत्री जी आयातित उर्वरकों की वर्तमान नीति को जारी रखेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इस नीति को कुशल समझे जाने के कारण जारी रखा जायेगा और किसानों ने इसकी प्रशंसा की है ।

Shri Ram Naresh Kushwaha : The distribution of fertilizers is very faulty. If you need it in Asadha, it will only be available in Sravana or it will be available after the sowing season. Will he take certain steps to set the matters right ?

Shri Surjit Singh Barnala : As I have said it is mainly the duty of States to distribute the fertilizers. We supply them according to their demand and need. It is the States who distribute fertilizers further.

श्री पी० राजगोपाल नायडु : क्या इस समय राज्यों के सिंचित क्षेत्र को देख कर उर्वरक वितरित किये जाते हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह राज्यों की मांग पर निर्भर करता है । कुछ राज्यों की मांग अधिक और कुछ की कम होती है ।

Committee on Status of Women

*106. **Shrimati Mrinal Gore** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the recommendations of the Committee on Status of Women are being implemented ;

(b) if so, which of the recommendations have been or are being implemented; and

(c) the reasons for non-implementation of the rest of the recommendations ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder):

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(b) Of the 52 recommendations made by the Committee on the Status of Women in India, many are of long term duration and are in essence, continual programmes. The recommendations which have been implemented or are being implemented are as under :—

(1) Mobilising public opinion and strengthening social effort against polygamy, dowry, ostentatious expenditure, etc. (Recommendation No. 1).

(2) The Hindu Marriage Act has been extended to the Union Territory of Pondicherry (Recommendation No. 4).

(3) Steps have been taken in six States for amending the dowry law and the Central Government is to review the Central law; in addition Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 have been amended for making the giving and taking of dowry an offence (Recommendation No. 7).

(4) Marriage Law (Amendment) Act, 1976 has added 'cruelty' and 'desertion' a grounds for divorce; mutual consent for divorce has also been included in this Amendment; in addition, repudiation by girl before attaining majority, of a child marriage, whether the marriage was consummated or not, has also been provided for in the Amendment (Recommendation No. 8).

(5) Setting up of a Cell in the Ministry of Labour to deal with womens' problems especially, the implementation of the Equal Remuneration Act, 1976 (Recommendation No. 19).

(6) Extension of Maternity Benefits Act to industries not already covered and to agricultural labourers and home workers (Recommendation No. 20).

(7) Provision has been made for employers to provide Creches in factories employing 30 women (including contract labourers) by amending the Factories Act 1948 (Recommendation No. 21).

(8) Grant of permission to work upto 10 P.M. wherever practicable provided it does not adversely affect the employment of women (Recommendation No. 22.) ;

(9) Effective implementation of the Maternity Benefits Act and extension of Employees State Insurance Scheme to areas not already covered (Recommendation No. 23).

(10) The Equal Remuneration Act providing for equal pay for equal work was passed in 1976 (Recommendation No. 24).

(11) Development of programmes of vocational training in close relationship with industries and resources located in the area [Recommendation No. 25(iii)].

(12) Inclusion, in Polytechnics for women, of a production centre with the assistance of concerned State Small Scale Industries Department [Recommendation No. 25(iv)]

(13) Development of training programmes in production and market organisation to develop self-employment [Recommendation No. 25(v)];

(14) Increase in number of women in Inspectorates of different Labour Departments and provision of women as welfare officers where women are employed (Recommendation No. 29).

(15) Promotion of research in the field of female disorders. (The National Institute of Family Planning has conducted surveys and studies in this direction. This is a continuing programme) [Recommendation 47(f)].

(16) Mass campaign for family planning so as to correct prevailing social attitude regarding fertility and metabolic heriditary disorders and sex of the child. The Department of Family Welfare has brought out a Mailer entitled "The Birth of a Baby" conveying correct information to the public regarding fertility, sex of the child, etc. (This is a continuing programme) [Recommendation 47(h)].

(17) Simplification of procedure involved in abortions under the M.T.P. Act through the issue of the M.T.P. Rules, 1975 [Recommendation 48(d)].

(18) Sterilisation should not be insisted on as a pre-condition for operations under the M.T.P. Act (State Governments have been suitably advised in this regard) [(Recommendation 48(c)].

(19) Husband's consent is not to be insisted on before performing operations under the M.T.P. Act [Recommendation 48(e)].

(20) To overcome reluctance on the part of doctors to perform operations under MTP Act in the case of unmarried girls. Suitable instructions have been issued to State Governments [Recommendation 48(f)].

(21) Provision for non-formal education to men and women in the 15-26 age group in one district in each State with Central assistance. This scheme supplements formal education schemes operated by other agencies of Government (Recommendations 31 & 32).

(22) Among the recommendations relating to the 6-11 and 11-14 age groups, the following have already gained acceptance in Government and are being pursued to the extent possible (the constraints being local sentiment, money etc.) :

(i) Co-education in primary schools —[Recommendation 33]

(ii) A primary school within walking distance of every child —[Recommendation 36(i)]

(iii) Elimination of single teacher schools —[Recommendation 36(viii)]

(iv) Developing a system of part-time education for those who cannot attend full time schools. —[Recommendation 36(ix)]

(v) Multiple entry system for joining schools —[Recommendation 36(x)]

(vi) Choice of vocational and technical courses at high school stage. —[Recommendation 34(iv)]

(23) Adoption of the principle of reservation of seats for women at the level of Municipalities. State Governments have been requested to look into this (Recommendation 44).

(24) Inclusion of suitable women in delegations going abroad and in important Committees, Commissions or delegations appointed to examine socio-economic problems. Necessary instructions have already been issued (Recommendation 46).

(25) A machinery has been set up consisting of a "National Committee on Women" to advise Government in initiating suitable policies for women, and Women's Welfare and Development Bureau in the Department of Social Welfare to implement programmes for women. (Recommendation No. 51).

(c) Many of the recommendations made by the Committee on the Status of Women in India are of long term duration and are in essence continual programmes. Implementation of the recommendations is the responsibility of the respective Departments/Ministries/ State Governments/Union Territories. The Department of Social Welfare is pursuing it with the concerned Ministries/Departments/State Governments/Union Territories. Some of the recommendation have to be implemented by agencies other than the Central Government e.g. political parties (Recommendation No . 45). Government can succeed in implementing the recommendations only with the help and support of voluntary agencies.

Shrimati Mrinal Gore : It is a very lengthy statement. I think the different recommendations are meant for different ministries. I am doubtful if he will be able to reply all of them. For example, the recommendation No. 19 deals with equal wages and it has been said that the Ministry of Labour is creating a new cell to proceed further in this regard. I want to know if any complaint has been received from any part of the country where equal wages are not being paid and if so, what is the number thereof and what are the steps that the Government propose to take in this regard ?

The 20th recommendation deals with maternity benefits Act, 1961 and it has been asked to increase the number of industries under this act. I want to know if this recommendation is being implemented. As you have said just now that this Act will be made applicable to domestic servants also. May I know whether implementation of this Act has been initiated ?

अध्यक्ष महोदय : आपको एक अवसर और मिलेगा। आप ने तो पहले ही कई प्रश्न पूछ लिये हैं।

निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : महोदय, मेरा सुझाव है कि नये नियुक्त मंत्रियों पर अत्याचार के खिलाफ एक समिति बनाई जाये।

डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि उत्तर काफी लम्बा है। पर समस्या भी बहुत गम्भीर है। उस समिति ने 52 सिफारिशें की हैं। उनमें से 25 को कार्यान्वित किया जा चुका है। समिति में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि आये थे और श्रम मंत्रालय का प्रतिनिधि भी उपस्थित था। जो समस्या माननीय सदस्य ने अब रखी है, उस पर उन प्रतिनिधियों और संबंधित मंत्रियों के साथ विचार किया जायेगा।

Shrimati Mrinal Gore : I want to know if you have really implemented the recommendations. It has been stated that maternity Benefit Act, 1961 is applicable to domestic maid servants also. May I know whether it has been implemented in real sense ?

अध्यक्ष महोदय : कठिनाई यह है कि आप बहुत। प्रश्न पूछ कर मंत्री जी को दुविधा में डाल रही हैं। आप एक प्रश्न पूछिए उसका उत्तर वह देंगे।

डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र .: मैं फिर कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है उस बारे में सिफारिश को कार्यान्वित कर दिया गया है। यदि कोई विशेष मामला हो तो बतायें। उसकी जांच की जा सकती है।

Shrimati Mrinal Gore : According to the Factories Act, 1948, in a factory where 30 or more female workers are working, there should be Shishu Sadans or Creches made available there. But this rule is not being implemented. The factory owners are very shrewed. They employ only 29 workers. Will the hon'ble Minister consider the suggestion to get money from the owners to set up creches near the station in big cities like Bombay where working ladies can leave their Children.

डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र : यह सम्भव है कि कई जगह नियमों का उल्लंघन किया जा रहा हो। तभी मैंने निवेदन किया था महोदय, कि यदि कोई विशेष मामला हमारी जानकारी में लाया जाये तो हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है। मैं अगले प्रश्न पर आ चुका हूं। वह पहले ही बोलने को उठ खड़े हुए हैं। मैंने आपको पहले उठते हुए नहीं देखा वरना अनुमति दे देता।

गन्दी बस्तियां हटाना

*107. **श्री वी० एम० सुधीरन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में विशेषकर केरल राज्य में, गन्दी बस्तियों के हटाने पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1977-78 के लिए अपने वार्षिक योजना दस्तावेजों में दिये गये आंकड़ों के आधार पर तृतीय वित्तीय वर्ष 1976-77 की समाप्ति के दौरान गंदी बस्ती उन्मूलन/सुधार पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किया गया व्यय इस प्रकार है।

क्र० सं०	राज्य का नाम	(व्यय लाख रुपयों में)		
		1974-75 (वास्तविक)	1975-76 (वास्तविक)	1976-77 (पूर्वानुमानित)
1		2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	28.30	..	31.00
2.	असम	..	..	..
3.	बिहार	..	..	..
4.	गुजरात	60.20	37.54	47.00
5.	हरियाणा	..	..	..
6.	हिमाचल प्रदेश	..	..	..
7.	जम्मू तथा कश्मीर	..	..	1.45

1	2	3	4
8. कर्नाटक	..	..	..
9. केरल	..	..	..
10. मध्य प्रदेश	1.70	0.90	4.16
11. महाराष्ट्र	32.55	8.50	10.28
12. मणिपुर	..	..	..
13. मेघालय			..
14. नागालैण्ड	..	..	..
15. उड़ीसा	..	..	..
16. पंजाब	..	..	..
17. राजस्थान	3.53	1.64	5.00
18. सिक्किम	..	..	0.45
19. तमिलनाडु	400.00	365.20	360.00
20. त्रिपुरा	..	..	..
21. उत्तर प्रदेश	1.00	1.00	5.50
22. पश्चिम बंगाल	..	..	..
योग	527.28	414.78	468.84

स्पष्ट है कि आवास हेतु राज्य योजना में दी गई निधियों में से गंदी बस्ती उन्मूलन के लिए केरल सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है।

श्री० वी० एम० सुधीरन : क्या केरल सरकार से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सिकन्दर बख्त : कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

श्री के० ए० राजन : गंदी बस्तियों को हटाने के बारे में केरल सरकार ने एक विस्तृत योजना भेजी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना को स्वीकार कर लिया गया है। क्या स्थिति है ?

श्री सिकन्दर बख्त : मुझे इसकी कोई भी जानकारी नहीं है।

Shri Shyam Sunder Das : Has the Bihar Government submitted any report in this behalf. How much funds have been given to that Government ?

Shri Sikander Bakht : There is no provision for Bihar State.

श्री तुलसीदास दासप्पा : केन्द्रीय सरकार ने बंगलौर जैसे स्थानों में गंदी बस्तियों को हटाने हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने संबंधी पहली योजना का क्या बना.....

अध्यक्ष महोदय : अभी अभी बिहार की बात हो रही थी और अब आप मैसूर की बात कर रहे हैं। यह प्रश्न केरल के बारे में है। ऐसी स्थिति में प्रश्न के अन्तर्गत तो देश के सभी स्थान आयेंगे।

श्री तुलसीदास दासप्पा : मैं जानना चाहता हूं कि राज्यों को राशि देने संबंधी योजना का क्या बना ?

श्री सिकन्दर बख्त : यह योजना 1956 में शुरू की गयी थी जिसे 1969 में समाप्त कर दिया गया ? 1972 में 20 शहरों के लिए पर्यावरण सुधार संबंधी एक और योजना चलायी गई। इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को पर्यावरण सुधार संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस हेतु 20 शहरों का चयन किया गया है।

श्री रतनसिंह राजवा : बम्बई शहर के लिए कितनी राशि का नियतन किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप सारे भारत की बात करना चाहते हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : मेरे पास अभी सूचना नहीं है।

श्रीमती सुशीला नायर : गंदी बस्तियों को हटाने संबंधी योजना की मुख्य बातें क्या हैं। क्या लोगों को गंदी बस्तियों से हटाकर बहुत दूर ले जाया जाता है अथवा उन्हें अच्छे आवास प्रदान किये जाते हैं ताकि वे जहां तक संभव हो अपना जीवन निर्वाह कर सकें।

श्री सिकन्दर बख्त : गंदी बस्तियों को हटाने संबंधी योजना का उद्देश्य लोगों को उनके व्यवसाय वाले स्थान के निकट पुनः बसाना है।

Shri Kanwar Lal Gupta : There are two aspects of slum clearance. One is to take away and rehouse the people at another place and other is to improve the facilities of the area. Though this question relates to Kerala. Still I would like to know the programme about slum clearance in Delhi.

Previously, slum clearance was under Delhi Corporation. Now it has been entrusted to D.D.A. Will the Government provide funds to D.D.A. for slum clearance ?

Shri Sikander Bakht : It has not been considered.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री कंवरलाल गुप्ता : मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़े हुए थे।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री के बैठने के बाद मैंने दूसरे व्यक्ति को ही बुलाया था। इन्होंने कहा कि इनके पास आंकड़े नहीं हैं और उत्तर नहीं दे सकते।

श्री सिकन्दर बख्त : दिल्ली में गंदी बस्तियों को हटाने का काम गंदे क्षेत्र सुधार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत होता है। इसमें क्षेत्रों को गंदे क्षेत्र घोषित करने, रिहायश के अयोग्य मकानों में सुधार करने, ऊंची इमारतें बनाने, रिहायशी मकानों के रहने के अयोग्य घोषित करने तथा सुधार और मरम्मत के बाद वापस करने आदि आदि की व्यवस्था है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा भवन-निर्माण

*108. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, महरौली के निकट लगभग 50 लाख रुपये की लागत का एक भवन का निर्माण करा रही हैं;

(ख) क्या यह समाचार सही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का यह जांच कराने का विचार है कि उन्हें इन वर्षों में अपनी आय के अनुपात से अधिक ऐसी परिसंपत्ति कैसे प्राप्त हुई ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा महरौली के समीप सुलतानपुर गांव में स्थित अपने फार्म में एक फार्म हाउस का निर्माण किया जा रहा है जिस का निचली मंजिल का निर्मित क्षेत्र 146.4 वर्ग मीटर और तहखाने (बेसमेंट) का 121.5 वर्ग मीटर है। मकान का नक्शा, दिल्ली नगर निगम द्वारा दिसम्बर, 1975 में स्वीकृत किया गया था।

(ग) क्योंकि सरकार को निर्माण की सम्भावित लागत के बारे में कोई सूचना नहीं है। अतः किसी प्रकार की जांच करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस भवन के निर्माण के लिए कितनी भूमि का आवंटन किया गया है और किस दर से वह भूमि उन्हें दी गई है? क्या नक्शे में तहखानों तथा तैराकी पूल आदि के बनाने में काफी परिवर्तन किये गये हैं?

श्री सिकन्दर बख्त : भूमि का आवंटन नहीं किया गया था। यह जमीन उन्होंने किसी गैर-सरकारी सौदे में खरीदी थी तथा इसका क्षेत्रफल 4.3 एकड़ है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या आप के उत्तर से मैं यह तात्पर्य लगा लूं कि फार्म के लिए अलाट की गई भूमि का उपयोग आवास भवन के लिए किया जा रहा है?

श्री सिकन्दर बख्त : श्रीमान जी, कुछ विशिष्ट तरह के छोटे फार्म हाऊसों के निर्माण की छूट होती है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय इस स्थिति में हैं कि वह सदन को यह आश्वासन दिला सकें कि यदि तहखानों तथा तैराकी पूल बनाने के लिए नक्शे के तुलना में अधिक फेर बदल किया गया तो वह मामले की जांच करवायेंगे?

श्री सिकन्दर बख्त : अभी तक किसी विशेष रद्दोबदल की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया है। यदि इससे सम्बद्ध कोई जानकारी हमें दी गई तो हम निश्चय ही उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री राम जेठमालानी: क्या माननीय मंत्री महोदय को देश की जनता की बढ़ती हुई इस भावना की जानकारी है कि वर्तमान सरकार इस मामले में भूतपूर्व प्रधान मंत्री के प्रति काफी नरम रवैया अपनाये हुये है। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि यदि भूतपूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है तो उसकी जांच करवायी जाये। सरकार को निश्चय ही इस बात का अहसास होना चाहिये। यदि सरकार को इस तथ्य की संतोषजनक जानकारी है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री के अधिकार में जो परि-सम्पत्तियां हैं, वह उनकी आय क्षमता से काफी अधिक हैं, तो सरकार से उसकी उचित जांच करवानी चाहिये।

श्री सिकन्दर बख्त : श्रीमान जी भावना का इस प्रश्न के साथ क्या सम्बन्ध है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें ऐसे मामलों के बारे में भावावेष में नहीं आना चाहिये और यदि इस मामले का संबंध भूतपूर्व प्रधान मंत्री से हो तो हमें और अधिक सतर्कता बरतनी चाहिये। किसी को भी इस प्रकार की भावना नहीं पनपने देनी चाहिये कि हम किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाना चाहते हैं या किसी की पैरवी करना चाहते हैं। इस प्रकार की धारणा कभी नहीं होनी चाहिये यदि कोई यह चाहता है कि उनके विरुद्ध जांच करवाई जाये, तो पहले उन्हें उनके विरुद्ध प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिये। बिना किसी प्रमाण के सरकार इन आरोपों पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है।

भारतीय खाद्य निगम तथा सी०ए०पी० की भंडारण क्षमता

*110. **श्री बी० गंगाधर अप्पा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम तथा सी० ए० पी० की कुल भण्डारण क्षमता कितनी है; और

(ख) क्या वर्तमान क्षमता पर्याप्त है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (1) भारतीय खाद्य निगम के पास 1-5-1977 को भण्डारण क्षमता (अपनी, किराये की और प्लिथ तथा ढकी हुई) 190.9 लाख मीटरी टन थी जिसमें 77.2 लाख मीटरी टन क्षमता कैप स्टोरेज के रूप में थी।

(ख) ढकी हुई उपलब्ध भण्डारण क्षमता पर, जोकि पर्याप्त नहीं है, दबाव बना रहा है। तथापि, स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा सभी सम्भव उपाय किए गए हैं।

Shri B. Gangadhar Appa : In case after increase in capacity, more stores are required, then how does the Government propose to provide that and that too in how many days ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : प्रश्न स्पष्ठ नहीं है ।

Shri B. Gangadhar Appa : In case the foodgrain is more, then have the Government got any plan to increase the storage capacity also ?

Shri Surjit Singh Barnala : For that arrangement is being made.

श्री रामचन्द्र मल्लिक : क्या **कृषि तथा सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार का विचार भंडारों के निर्माण के लिए कोई ऐसी योजना बनाने का है जिसके अन्तर्गत सहकारिता निकायों तथा सरकारी सहायता से भंडारों का निर्माण कार्य करवाया जा सके ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : सीधे सहकारी समितियों के माध्यम से यह कार्य करवाने का तो अभी कोई विचार नहीं है। हमने कुछ गैर-सरकारी क्षेत्र के लोगों को हमारी आवश्यकतानुसार भंडारों का निर्माण करने के लिये कहा है। इन व्यक्तियों को बैंकों से ऋण मिल जायेगा। यदि सहकारी समितियां इस प्रकार के भंडारों का निर्माण करना चाहती हैं तो वह भी ऐसा कर सकती हैं।

श्री रामचन्द्र मलिक : क्या उसके लिए कोई राजकीय सहायता प्रदान की जायेगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : उसके लिए कोई राजकीय सहायता नहीं दी जाती, केवल ऋण दिया जाता है।

Shri Bhagirath Bhanwar : In some areas and specially in backward areas where there are no storage facilities, rains cause heavy damages to foodgrains and sometime people in these areas fail to get foodgrains. May I know from the hon. Minister if steps will be taken to have stores in such areas which are without any stores ?

Shri Surjit Singh Barnala : If you bring such areas to our notice, we will definitely take some action in the matter.

Shri Manohar Lal : Is it a fact that there is shortage of stores as a result of which lot of foodgrains are wasted. In view of this may I know if somebody wants to give his land for storages purposes, that land will be exempted from land ceiling :

Shri Surjit Singh Barnala : No, there is not such proposal to exempt that land from land ceiling.

श्री एस० आर० दमाणी : मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ लोगों को भंडार बनाने के लिए कहा है ताकि भण्डारण क्षमता की कमी को पूरा किया जा सके। परन्तु मैं यह समझता हूं कि इस योजना को काफी पहले आरम्भ किया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि

अब तक कितनी भण्डारण क्षमता का निर्माण गैर-सरकारी क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जा चुका है तथा उन व्यक्तियों के माध्यम से क्षमता में विकास करने की योजना क्या है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हम पहले ही विभिन्न संसाधनों के आधार पर 50 लाख टन की भण्डारण क्षमता किराये पर ले चुके हैं । हम भण्डार किराये पर लेकर उनमें अनाज का भण्डारण कर देते हैं ।

उर्वरकों का आयात

111. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वर्ष में अन्य देशों से उर्वरकों का आयात कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और उनसे कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। उर्वरकों का देशी उत्पादन भी उत्तरोत्तर बढ़ रहा है।

(ख) यह जानकारी बतलाना सार्वजनिक हित में नहीं है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि गत वर्ष कितनी मात्रा में आयात किया गया ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : उसके उत्तर के लिए मुझे नोटिस चाहिये।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : जब प्रश्न उर्वरकों के आयात के बारे में है तो इनके पास आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए थे ताकि यह हमें बता सकते।

Shri Tej Pratap Singh : May I know if some steps are being taken by the Government to increase the production capacity of fertilizer factory situated at Kandla for bringing down the import ?

Shri Surjit Singh Barnala : So many factories are being run and all efforts are being made to produce the maximum fertilizer.

Shri Roopnath Singh Yadav : May I know from the Minister if he is aware of the fact that fertilizer factories in the country are very few and it has to be imported from other countries. So, in view of this, may I know if steps will be taken by the Government to establish new fertilizer factories.

Shri Surjit Singh Barnala : Efforts are being made to establish new factories.

श्री शंकर राव माने : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने महाराष्ट्र सरकार की रसायन उर्वरक की मांग का अध्ययन कर लिया है और यदि हां, तो उस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : विभिन्न राज्यों की मांगों का अध्ययन छः महीने के बाद किया जाता है। उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी बात सुनी जाती है तथा उसके बाद उनकी मांग के अनुसार निर्णय किया जाता है।

Shri Surendra Bikram : May I know from the Minister as to what types of fertilizers are being imported and what types of fertilizer is being produced in the country ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह ब्यौरा उपलब्ध करवाने के लिए मैं अलग नोटिस की अपेक्षा करता हूं।

डा० हैनरी आस्टिन : अब जबकि सरकार उर्वरकों के निर्यात पर विचार कर रही है, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उसने केरल तथा कोचीन डिवीजन स्थित एफ० ए० सी० टी० आदि वर्तमान परियोजनाओं की अधिकतम क्षमता का उपयोग करने के प्रश्न पर भी विचार किया है। इनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हम सभी वर्तमान उर्वरक संयंत्रों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

Shri Ugrasen : May I know if the quality of the fertilizer which is being imported is better than that which is being produced indigenously or not ?

Shri Surjit Singh Barnala : The fertilizer is not being imported because of its quality but it is being imported because we need it.

Shri Ugrasen : It has not been stated by the Minister whether the Government considers the quality factor or not ?

Shri Surjit Singh Barnala : Fertilizer of good quality is imported.

डा० बी० ए० सईद मुहम्मद ; इस समय में जो उर्वरक का आयात किया गया उसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मुझे खेद है कि इस समय सम्बद्ध जानकारी मेरे पास नहीं है तथा अभी मैं इस का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं।

Job-Oriented Education System

112. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav :**
Shri Nawab Singh Chauhan :

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce job-oriented education system in place of the present one; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) :
(a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

Outlines of various features of Work Experience and Vocationalisation for the school stage (10+2) may be seen in the two brochures (copies available in the Lok Sabha Library) "Curriculum for the Ten-Year School—A Framework" and "Higher Secondary Education and its Vocationalisation" prepared by the NCERT. As stated in the first brochure "At the Primary stage, work experience should begin with simple, creative, self-experience activities performed with locally available material and simple tools. It is desirable to avoid any activity with an element of monotony in it. In the upper primary (or middle) and secondary classes the use of tools should be introduced in a scientific manner." "Work Experience areas should be identified through community surveys and,

wherever necessary, the expertise of artisans and mechanics should be utilised for the programme. In technologically oriented work experiences, the desired level of skill and precision should be attempted." "In order to give the students some experience in a number of areas of work, it is suggested that one area of work may be offered in one semester, and so on". "The actual areas of work which should be included in the curriculum would be governed by local needs but the areas of work should cover the various processes, techniques and tools of work, as far as possible." "Work Experience should be aimed at providing experiences which are not otherwise provided in the curriculum. It has implications for the teaching and learning of school subjects and provides a basis for integrating knowledge. Well organised work experience may, from the higher primary stage, result in some earning for the student, either in cash or in kind, and this potentiality should be exploited where possible.

At the higher secondary level Job oriented courses in the vocations which offer good employment opportunities will be selected on the basis of well conducted occupational surveys in each district of the country. The courses may be of various durations depending upon the expected skill levels by the employing agencies. To provided adequate basic knowledge for further carreer improvement the necessary components of Science, Social Science and Commerce subjects will be incorporated into the relevant curricula. Facilities will be created for further education through evening, holiday or block time special instruction and training. Advanced diploma courses will be within the reach of the students. Provision has been made under the Apprentices (Amendment) Act 1973 for Apprenticeship Training of students who have completed two years vocational course after 10 years of general education. The methods of instruction will be based on semester system permitting the students to accumulate credits according to their convenience without restriction that the students will have to complete the courses within a rigidly fixed time interval. In preparing the curricula the Government's policy of creating employment opportunities through village and industries will be kept in view.

Shri Nawab Singh Chauhan : I want to know the steps proposed to be taken by the Government for changing the system of education and providing employment to the lakhs of Graduates coming out from Universities every year ?

डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र : बेकारी की समस्या शिक्षा से नहीं जुड़ी रहती क्योंकि इंजीनियरिंग कालिजों तथा तकनीकी संस्थाओं से निकलने वाले विद्यार्थी भी बेरोजगार होते हैं। अतः यह सब जनशक्ति आयोजन तथा रोजगार के सामान्य वातावरण पर निर्भर करता है।

Shri Nawab Singh Chauhan : Are not those who qualify engineering examination part of education system ? Don't you think that jobs should be provided to all those who qualify examinations ?

डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र : मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्ण सहमत हूं कि शिक्षा प्रणाली ऐसी बनायी जानी चाहिये कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थियों को रोजगार मिल सके। इसीलिये शिक्षा के व्यवसायीकरण पर अधिक जोर दिया गया है। इसे दो स्टेजों में बांटा गया है एक तो दस वर्ष तथा दूसरे जमा दो वर्ष स्टेज । तकनीकी संस्थाओं से बाहर निकलने वाले विद्यार्थियों के लिये भी पूरे रोजगार नहीं हैं। रोजगार खोलने की समस्या का समाधान अन्य मंत्रालयों को भी करना चाहिये।

Shri Ram Naresh Yadav : Ever since independence we have been hearing that our system of education is defective and not employment-oriented but no solid system has so far emerged. Will the Hon. Minister prepare a comprehensive system of education which should be job-oriented. Is there any such scheme which envisages changes in the system whatever necessary.

डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र : शिक्षा जैसे प्रश्न के बारे में कोई भी बात आखिरी नहीं होती । आजादी के बाद दो महत्वपूर्ण आयोग गठित किये गये हैं एक तो डा० राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग तथा डा० कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग और इन आयोगों की सिफारिशों के

फलस्वरुप इस तथा दूसरी सभा ने 1968 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनायी जिसके फलस्वरूप शिक्षा प्रणाली में अनेक परिवर्तन किये गये हैं। हम इस प्रणाली पर पुनः विचार कर रहे हैं और कुछ समय के बाद सभा में कुछ ठोस प्रस्ताव रखेंगे।

श्री एल० के० ढोले : मंत्री महोदय ने जनशक्ति आयोजन की बात ठीक ही की है। शिक्षित बेरोजगारों की विकट समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्या वर्तमान सरकार के विचाराधीन जनशक्ति आयोजन संबंधी कोई प्रस्ताव है ?

डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र : जनशक्ति आयोजन के लिये पृथक संस्थाऐं हैं । हमारे देश में गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग हैं, जो अन्य उत्पादन संबंधी शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। हमारी समिति को उचित आंकड़े नहीं मिलते । हम गैर सरकारी क्षेत्र से नजदीक का सम्बन्ध बनाये हुए हैं ताकि उनसे उचित आंकड़े एकत्र कर सकें तथा कठिनाईयां हल हो सकें।

Shri Laxman Rao Mankar : Is it a fact that various states introduced system of education according to Kothari Commission Report but vocational education in XIth and XIIth class could not be started for want of funds. If so, what steps are being taken by the Government to provide funds ?

डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र : यह कहना ठीक नहीं है कि व्यवसायिक शिक्षा शुरू ही नहीं की गयी । इसे अनेक राज्यों में शुरू किया गया है जिसके समर्थन में मैं ऐसे राज्यों की एक सूची भी दे सकता हूं। फिर भी मैं इस बात को मानता हूं कि यह संतोषजनक नहीं है क्योंकि वांछित लक्ष्यों को पूरा करने के लिये व्यावसायिक शिक्षा लागू करने हेतु कुछ स्कूलों को वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकी है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : पिछले कुछ दिनों से मंत्री महोदय सभा को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि रोजगार परक शिक्षा प्राप्त लोगों को रोजगार उपलब्ध करने में सरकार असमर्थ है, इसलिए रोजगार परक शिक्षा को ही समाप्त कर दिया जाये और सम्भवतः मंत्री महोदय +2 शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध हैं । जब देश को अनेक प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है तो मंत्रालय द्वारा जनशक्ति आयोजन के समय भविष्य में लोगों को प्रशिक्षित करने संबंधी कदम उठाना क्या उचित नहीं है, ताकि बहुत लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें ? क्या सरकार समस्या के प्रति व्यावसायिक शिक्षा समाप्त करने के बजाये इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनायेगी ?

डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र : व्यवसायिक शिक्षा समाप्त करने का प्रश्न ही नही उठता । हम पूर्णतः समझते हैं कि इस पर बल दिया जाना चाहिये। और इसी कारण हम इस संबंध में योजना आयोग से बातचीत कर रहे हैं।

Shri Harikesh Bahadur : I want to know from the Hon. Minister as to why the subject of education is not taken over by the Government so that uniformity could be ensured ?

डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र : एकरूपता के लिये कोठारी आयोग ने कहा है कि देश की विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये भारत जैसे बड़े देश में यह सम्भव नहीं है। शिक्षा अब भी राज्य का विषय है। उसे समवर्ती सूची में तो लाया जा चुका है लेकिन संसद द्वारा किसी अधिनियम के परख किये बिना शिक्षा का केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लेना सम्भव नहीं है। इसका उचित होना या न होना संदेहजनक है।

Shri Gauri Shankar Rai : Will it be possible for the Central Government to chalk out a plan under which there is coordination between the two and meet all the future requirements so that unnecessary expenditure could be avoided. Is any scheme for technical education under the consideration of the Governme nt ?

डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं इसके संबंध में कदम उठाये जा रहे हैं।

कावेरी जल का बंटवारा

*115 **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :**

श्री एस० जी० मुरुगय्यन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कावेरी नदी के जल के बंटवारे पर विवाद के बारे में कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या ऐसी कार्यवाही शीघ्र ही की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

कावेरी नदी के जल के उपयोग और विकास के बारे में सम्बद्ध राज्यों अर्थात् कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच, अगस्त, 1976 में केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री द्वारा ली गई अन्तर्राज्यीय बैठक में मतैक्य हो गया था।

यह सहमति हुई थी कि पानी की कमी वाले वर्षों और पर्याप्त पानी वाले वर्षों में कावेरी-जल के बंटवारे के तरीके से संबंधित विभिन्न मामले, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा हल किए जाएं । यह भी सहमति हुई थी कि कावेरी घाटी प्राधिकरण नामक एक प्राधिकरण का गठन किया जाए और उक्त तीनों राज्यों के सचिवों की समिति द्वारा इस प्राधिकरण के कृत्य और प्रक्रिया नियम निर्धारित किए जाएं ।

तदनुसार, दोनों समितियों की स्थापना की जा चुकी है और सम्बद्ध मुख्य मंत्रियों की अगली बैठक में विचार किए जाने के लिए इन समितियों की रिपोर्टें जुलाई, 1977 के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : तमिलनाडु में मुख्यतः सिंचाई कावेरी नदी के जल से ही की जाती है। यह विवाद गत तीन वर्षों से भी अधिक समय से अनिर्णीत पड़ा है। यदि आप 1974 से पहले का समय भी गिन ले तो फिर यह समय पांच वर्ष से भी अधिक हो जायेगा। श्रीमान जी, वर्ष 1974 में जो समझौता हुआ था वह सम्भवतः समाप्त नहीं हो जायेगा । समझौते में आवश्यकता से अधिक के जल का अनुमान लगाने की व्यवस्था है। तमिलनाडु में काफी अधिक मात्रा में भूमि हजारों वर्ष से चली आ रही है। दूसरी तथा तीसरी योजना के दौरान केवल कुछ एकड़ और भूमि सम्भवतः जोड़ दी गई है। यह इतना ही है । कर्नाटक सरकार को कावेरी तथा उसकी सहायक नदियों पर अनधिकृत रूप से बांध का निर्माण क्यों करने दिया गया था। अब बांध के निर्माण के बाद या सरकार का विचार इस मामले में हस्तक्षेप करके, तमिलनाडु को पहले की तरह ही जल की सप्लाई बनाये रखने का है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जो वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया है उसमें यह स्पष्ट है। उसके अनुसार दो समितियों का गठन किया जा चुका है तथा इनका प्रतिवेदन जुलाई 1977 के अन्त तक आ जाने की संभावना है ताकि मुख्य मंत्रियों की अगली बैठक में उन पर विचार किया जा सके। । अतः इस मामले का निपटारा मुख्य मंत्रियों के परामर्श के साथ किया जा रहा है। यह निपटारा गठित की गई समितियों के प्रतिवेदन के आधार पर किया जायेगा।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : श्रीमान जी समिति का गठन किया जा चुका है । गत तीन वर्षों से उनकी बैठकें चल रही है। गत तीन वर्षों से ही तमिलनाडु को जल नही मिल रहा है। केवल तंजावूर जिले में ही गत 3 वर्षों में तीन लाख एकड़ भूमि बंजर हो गई है। वहां स्थिति काफी गंभीर है। इसके कारण कावेरी डेलटा का क्षेत्र भी सूखाग्रस्त हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कल्याणसुन्दरम आप मुख्य प्रश्न पूछिये।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। मंत्री महोदय चूंकि नये हैं इसीलिये मैं इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह विवाद तो काफी समय से चल रहा है। क्या आप समझते हैं कि यह प्रश्नकाल में ही हल हो जायेगा?

श्री कल्याणसुन्दरम : मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि केवल समितियों के आश्वासन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह कर्नाटक सरकार से अनुरोध करेगी कि वह तमिलनाडु में खेती बाड़ी के लिए कुछ जल छोड़ दे क्योंकि वहां जून के महीने से खेती का कार्य आरम्भ किया जाता है? क्या भारत सरकार कर्नाटक सरकार से अनुरोध करेगी कि वह खेती के लिए कुछ पानी छोड़ दे?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: यह विवाद 1884 से चला आ रहा है जबकि यहां अंग्रेजी राज्य था। अब हम इस विवाद को सुलझाने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : यह उत्तर नहीं है मंत्री महोदय मेरा प्रश्न ही नहीं समझ पाये हैं। आप पिछली सरकार पर दोषारोपण करके अपनी वर्तमान अकर्मण्यता को मत छिपाइये। यह एक ऐसा राज्य है जोकि गत 3 वर्षों से जल समस्या का शिकार बना हुआ है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह इसमें हस्तक्षेप करेगी ताकि जब तक विवाद का निपटारा नहीं होता तब तक राज्य को कुछ जल उपलब्ध करवाया जा सके। समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती रहे तथा सरकार भी अपनी सुविधानुसार उस पर निर्णय करती रहे। परन्तु खेती का काम तो शीघ्र आरम्भ हो जाये। क्या इसके लिए तुरन्त कुछ किया जायेगा?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं इस मामले का अध्ययन करूंगा तथा यह देखने का प्रयास करूंगा कि शीघ्र क्या किया जा सकता है।

श्री तुलसीदास दासप्पा : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें मालूम है कि कर्नाटक अनेक बार तमिलनाडु को उदारता पूर्वक जल दे चुका है। जब हमारे यहाँ कर्नाटक में सूखा पड़ा हुआ था उस समय भी हम तमीलनाडू तथा विशेष रूप से तनजावूर जिले की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उनके लिए काफी जल उपलब्ध करवाते आये हैं, यद्यपि अब 1924 का समझौता आज की परिस्थितियों में न्याय संगत नहीं रह गया है परन्तु फिर भी इसके अनुसार हम तमिलनाडु को उसकी देय मात्रा के अनुसार निरन्तर जल देते आये हैं।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : दोनों सदस्यों द्वारा जो विचार प्रकट किये गये हैं उनसे स्पष्ट है कि यह मामला कितना गंभीर है। हम इसे निपटाने के लिए अपना पूर्ण प्रयत्न करेंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Cavery waters dispute is hanging fire for the last so many years. It has been stated by the hon. Minister that a committee has been constituted. May I know if the Committee has been asked to submit its report in a specified period ? When Committee will submit its report ?

Shri Surjit Singh Barnala : The Committee will submit its report by the end of July.

राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् में तालाबन्दी

अल्प सूचना प्रश्न 1. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने तालाबन्दी की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से तालाबन्दी की घोषणा की गई है और कर्मचारियों की क्या मांगें हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां, परिषद् के दिल्ली स्थित कार्यालय ने 30-5-1977 से कार्य बन्द कर दिया है।

(ख) प्रबन्धकों द्वारा लगाये गये नोटिस के अनुसार, काम बन्द करने के कारण हैं "लम्बे समय से आन्दोलनात्मक तरीके अपनाना जिसके कारण परिषद् के अधिकारियों का घिराव हुआ है और संस्था के सामान्य कार्य में गड़बड़ हुई है"। दूसरी ओर कर्मचारियों की यूनियन ने पर आरोप लगाया है कि "प्रबन्धकों ने कर्मचारियों को डराने धमकाने के लिये तालाबन्दी की है। कर्मचारियों की मांग है कि उन चार कर्मचारियों को बहाल किया जाये जिन्हें आपातकालीन स्थिति के दौरान बर्खास्त किया गया था और प्रबन्धकों द्वारा आपात्कालीन स्थिति के दौरान शुरु की गई श्रम विरोधी कार्रवाईयों को बन्द कर दिया जाये।"

चार कर्मचारियों की बहाली की मूल मांग के अलावा राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के कार्यालय द्वारा 30 मई, 1977 को काम बन्द किये जाने के पश्चात् जोड़ी गई मांगे हैं कि तालाबन्दी को उठा लिया जाये और मई 1977 के वेतनों का भुगतान कर दिया जाये।

प्रबन्धकों ने चार कर्मचारियों की सेवाएं उनके नियुक्ति आदेश के अनुसार जांच के बाद समाप्त कर दी थीं। ये कर्मचारी प्रबन्धकों के अनुसार प्रश्नकर्ता थे और उन गांवों में मौजूद नहीं पाये गये जहां कार्यक्रम के अनुसार उन्हें काम करना चाहिए था। इन चार कर्मचारियों के संबंध में एक विवाद दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग के समक्ष दिसम्बर, 1955 में उठाया गया। उस पर समझौता अधिकारी ने जनवरी और फरवरी, 1976 के दौरान समझौता कार्रवाई की लेकिन समझौता कार्रवाई असफल रही। तथापि, दिल्ली प्रशासन ने इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन न्याय निर्णय के लिये भेजना उचित नहीं समझा, क्योंकि उनके अनुसार, इन कर्मचारियों की सेवायें उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार समाप्त की गई प्रतीत होती हैं। उसके पश्चात् कर्मचारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष वर्ष 1976 में ही एक रिट याचिका दायर कर दी, मामला न्यायाधीन है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं मंत्री जी को यह बता दूं कि कुछ कर्मचारियों के मन में यह भ्रांति पैदा हो गई है कि स्वयं श्रम मंत्री ही समझौता नहीं चाहते। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे पर्चे बांटे गये हैं। मैं जानकारी चाहता हूं कि इस मामले में मंत्री जी का व्यक्तिगत रवैया या मंत्रालय की क्या धारणा है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : श्रम मंत्री तो हमेशा चाहते हैं कि समझौता हो जाये और ऐसी स्थिति पैदा ही न हो यदि ऐसी स्थिति आ भी जाये तो वह इतनी बिगड़ने न पायें? यह बात बिल्कुल गलत है कि श्रम मंत्री तालाबंदी जारी रखना चाहते हैं। तथाकथित तालाबंदी की घोषणा किये जाने के बाद कर्मचारी संघ के लोग दिल्ली प्रशासन के श्रम आयुक्त के पास पहुंचे कि वह हस्तक्षेप करें। सहश्रम आयुक्त, दिल्ली ने 1 जून अर्थात् तालाबंदी के घोषणा के दूसरे दिन ही उत्तर भेजकर अनुरोध किया कि दोनों पक्ष व्यक्तिगत स्तर पर चर्चा के लिए 3 जून को पधारें। 3 जून को वार्ता में दोनों पक्षों ने भाग लिया प्रबन्धकों की ओर से परिषद् के रजिस्ट्रार और संघ की ओर से उनके महासचिव ने भाग लिया। सह श्रम आयुक्त की उपस्थिति में हुई वार्ता में सह श्रम आयुक्त ने कुछ सुझाव दिये और दोनों पक्षों ने उन पर विचार के लिए समय मांगा है।

एक अन्य प्रश्न मई के वेतन के बारे में उठ खड़ा हुआ है। दिल्ली प्रशासन के सुलह अधिकारी ने 15 जून को परिषद के प्रबन्धकों से बातचीत करके यह पहल की है कि कर्मचारियों को मई महीने का वेतन दिया जाये। अतः यह आरोप सत्य नहीं कि श्रम मंत्री विवाद को हल नहीं करना चाहते।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मंत्री जी के सहयोग पूर्ण बर्ताव को देखते हुए और इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् मूलतः एक अनुसंधान संगठन है, क्या अधिकारियों की यह मांग कि विवाद में उन्हें भी एक पक्ष माना जाये, व्यावहारिक मांग है और क्या श्रम मंत्रालय प्रबन्धकों से यह सिफारिश करेगा कि अधिकारियों को भी वार्ता में शामिल किया जाये ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह सत्य है कि यह एक अनुसंधान संस्थान है और ऐसे संस्थानों को कार्य-चालन का एक विशेष स्तर बनाये रखना होता है। वास्तव में एक शिकायत यह प्राप्त हुई कि क्षेत्र अनुसंधान में लगे कुछ लोग अपने कार्य स्थल पर नहीं पाये गये। इसी से विवाद शुरू हुआ और लम्बे समय से चला आ रहा है। वर्तमान प्रश्न का सम्बन्ध कर्मचारियों के संघ से है और कर्मचारी संघ एक पक्ष है जिसके साथ सह श्रम आयुक्त बातचीत कर रहे हैं।

श्री के० ए० राजन : मंत्री जी ने तालाबंदी को 'तथाकथित तालाबंदी' कहा है। आप पहले बताइए कि यह तालाबंदी है या नहीं। दूसरी क्या बातचीत, समझौता वार्ता, न्यायाधिकरण को सोंपने या न्यायालय में जाने आदि की सामान्य प्रक्रिया के बाद द्विपक्षीय वार्ता भी की जायेगी ताकि औद्योगिक विवाद को सुलझाया जा सके।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैंने "तथाकथित तालाबंदी" ही कहा था क्योंकि यह मामला विवादास्पद है। संस्थान ने यह आधार बनाया है कि यह औद्योगिक स्थापना नहीं है अतः इस पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू नहीं होता और न ही यह दिल्ली दुकान और स्थापनाएं अधिनियम के अन्तर्गत आता है। चूंकि यह मामला न्यायालय में है और दिल्ली उच्च न्यायालय के विचाराधीन है तभी मैंने तथाकथित कहा है। दूसरे जहां तक द्विपक्षीय वार्ता का प्रश्न है। हम भी इसी के पक्ष में हैं। पर जब यह बातचीत असफल हो जाती है तभी श्रम आयुक्त बीच में हस्तक्षेप करते हैं। इस मामले में श्रम आयुक्त की वार्ता असफल रही और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उस रिपोर्ट के आधार पर ही दिल्ली प्रशासन ने यह विचार अपनाया है कि प्रबन्धकों की कार्यवाही ठीक है और इसलिए इसे न्यायाधिकरण को सौंपने की जरूरत नहीं। इसके विरुद्ध वादी ने उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है। इसलिए यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री के० राममूर्ति : चूंकि माननीय श्रम मंत्री जी ने केवल चार श्रमिकों के मामले को न्यायालय के विचाराधीन बताया है इसलिए क्या वह बतायेंगे की तालाबंदी उठाई जा रही है और क्या श्रम मंत्री स्वयं तालाबंदी को न्यायोचित मानते हैं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा: श्रम मंत्री अकेले ही कार्य नहीं करते। मैंने तालाबंदी के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है कि यह न्यायोचित है या नहीं । जब तालाबंदी की शिकायत किसी भी पक्ष द्वारा की जाती है तो सुलह कराने के प्रयास आरम्भ हो जाते हैं। सह श्रम आयुक्त ने दोनों पक्षों से बातचीत कर कुछ सुझाव दिए हैं। दोनों पक्षों ने सुझावों पर विचारार्थ समय मांगा है। आशा है कि कोई हल निकल आयेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know, the number of persons affected by the lock-out ? Further, whether the hon'ble Minister has exerted his influence or has he taken personal interest to get the lockout lifted ?

Secondly, he has stated that an enquiry was held. May I know whether the workers were offered an opportunity to express their point of view and if so, how many workers came forward to express their views ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : हमारी जानकारी के अनुसार परिषद में 198 व्यक्ति कार्य कर रहे थे जिनमें 59 अधिकारी हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि जांच 1975 में कराई गई थी। यह पर्यवेक्षक द्वारा आरम्भ की गई थी और परियोजना नेता द्वारा जारी रखी गई। सम्बन्धित कर्मचारियों से कार्य से अनुपस्थित रहने का स्पष्टीकरण मांगा गया जो उन्होंने लिख कर दे दिया। स्पष्टीकरण पर विचार हुआ और उसे असंतोषजनक पाया गया। उन्हें कर्तव्य अवहेलना का दोषी पाया गया और परिणामस्वरूप परिषद् के निदेशक ने दिसम्बर 75 में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी और सेवा की शर्तों के अनुसार उन्हें एक मास का नोटिस दिया गया ।

Sh. Hukam Chand Kachwai : May I know whether the Government are exerting their influence to lift the lockout.

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं प्रत्येक विवाद का समाधान निकालने के लिए इच्छुक रहता हूं।

श्री सौगता राय: श्रमिकों की संख्या देखते हुए यह छोटा सा विवाद माना जा सकता है और शायद इसी कारण प्रबन्धकों ने इसे श्रम विवाद माना ही नहीं है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि कर्मचारियों ने संसद सदस्यों में एक परिपत्र परिचालित किया है कि श्रम मंत्री और प्रबन्धकों के बीच कोई गुप्त समझौता है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस स्तर पर श्रम मंत्री जी अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच समझौता कराने का प्रयत्न करेंगे।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं पहले ही कह चुका हूं कि लुके-छिपे कोई बात नहीं हुई। यदि ऐसी बात होती तो मैं इतने विस्तार से उत्तर न दे पाता। जो इश्तहार निकाला गया है उसमें शीर्षक बहुत भ्रामक है। जहां तक मेरे हस्तक्षेप का प्रश्न है, यह अजीब प्रश्न है। चूंकि एक इश्तहार प्रकाशित हुआ है इसलिए मुझे एक निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने को कहा जा रहा है। अधिकारियों को सारी बात की जानकारी है।

Shri Om Prakash Tyagi : So far as I know the enquiry was conducted during the emergency and the result is questionable. May I know from the honble Minister whether he will exert his influence to get them reinstated and whether the enquiry will be conducted again to find out the guilty, otherwise the suspicion will continue to be there.

श्री रवीन्द्र वर्मा : जांच दिसम्बर, 1975 में करायी गई थी। दिल्ली प्रशासन ने यह निर्णय लिया था कि जांच सही तौर पर की गई थी और उसके निष्कर्ष सही निकले हैं। इस निर्णय के विरुद्ध चार कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं उन्हें ध्यान में रखा जायेगा।

श्री ओ० वी० अलगेशन : इस संस्थान के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : श्री अशोक मेहता ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या श्रम मंत्री इस ढंग से हस्तक्षेप करेंगे कि दोनों पक्ष किसी निर्णय पर पहुच सकें और तालाबंदी शीघ्र ही समाप्त हो जाये।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं भी चाहता हूं कि तालाबंदी शीघ्र ही समाप्त हो । लेकिन जब श्रम आयुक्त इस बारे में कार्यवाही कर रहे हैं तो मेरे इस वक्तव्य से कि मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, क्या कोई समाधान निकल सकेगा ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीय बीज निगम का समाप्त किया जाना

101. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय बीज निगम को समाप्त करने और संयुक्त क्षेत्र में राज्य बीज निगम स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय बीज निगम के वर्तमान कर्मकारियों में छंटनी किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो क्या उससे अच्छी किस्म के अधिक उपज देने वाले बीजों के उत्पादन में बाधा पड़ने और बीजों की उत्पादन लागत बढ़ जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि संयुक्त क्षेत्र में राज्य बीज निगमों की स्थापना होने से दोनों के कार्यकलाप पूरक रहेंगे ।

(ख) इस बात का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या कुछ कर्मचारी फालतू रहेंगे और यदि हां तो कितने ।

(ग) अधिक उत्पादनशील किस्मों के बीजों के उत्पादन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। इसके विपरीत अधिक मात्रा में तथा तुलनात्मक लागत पर बीज उपलब्ध हो सकेंगे :

खाद्यान्नों के लिए भण्डारण क्षमता

*102. **श्री आर० कोलनथाइवेलु** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के लिए अतिरिक्त भण्डारण क्षमता स्थापित करने हेतु 200 करोड़ रुपये का विश्व बैंक ऋण प्राप्त करने का सरकार का विचार है, यदि हां, तो उक्त ऋण मिलने की शर्तें क्या हैं और कितनी अतिरिक्त भण्डारण क्षमता स्थापित की जानी है; और

(ख) ऋण कब तक प्राप्त हो जाएगा और अतिरिक्त भण्डारण क्षमता कब तक स्थापित हो जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सरकार ने विश्व बैंक से 149.2 करोड़ रुपये की अनुमानत लागत पर 32 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता के निर्माण सम्बन्धी परियोजना और बल्क हैंडलिंग, प्रशिक्षण आदि के अध्ययन के लिए भी सहायता देने का अनुरोध किया है। इस राशि का कुछ अंश विश्व बैंक से मिलने की आशा है। बैंक के साथ अन्तिम रूप से बातचीत होने और निर्णय लिए जाने के बाद ही ऋण आदि की शर्तों के बारे में ब्योरे उपलब्ध होंगे ।

(ख) मौजूदा संकेतों के अनुसार यह ऋण 1977 के अन्त तक मिलने की सभावना है और 1980-81 तक अतिरिक्त क्षमता के तैयार होने की संभावना है।

दिल्ली में गैर-सरकारी संस्थाओं और स्कूलों को अनुदान

*103. **श्री सुशील कुमार धारा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है; और

(ख) यदि अनुदान लगभग 100 प्रतिशत दिया जाता है तो क्या कारण है कि गैर-सरकारी सस्थाओं और स्कूलों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता अथवा उनका प्रबन्ध दिल्ली प्रशासन द्वारा अपने नियंत्रण में नहीं लिया जाता ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली और नई दिल्ली की गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को अनावर्ती खर्च अर्थात फर्नीचर की खरीद और भवन आदि के लिए 62.2/3% और आवर्ती व्यय का 95% तक सहायक अनुदान दिया जाता है ।

(ख) शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रयास को प्रोत्साहन देना चाहिए । जैसा कि उपर (क) में बताया गया है, प्रबन्धकों से यह आशा की जाती है कि वे आवर्ती व्यय का 5 प्रतिशत और अनावर्ती व्यय तथा पूंजीगत व्यय का एक बड़ा भाग वहन करेंगे।

उर्वरक का वितरण

109. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को उर्वरक के वितरण की वर्तमान प्रणाली को पुनरीक्षित करने का है जिससे उन्हें उर्वरक सरलता से और उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिये जाने वाले पुनरीक्षण की मोटी रूप रेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सूरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) इस समय उर्वरकों के वितरण की वर्तमान प्रणाली का सामान्य पुनरीक्षण करने का कोई विचार नहीं है। देश में उर्वरकों के वितरण की वर्तमान प्रणाली सुसंगठित है और उसका उद्देश्य देश के सब भागों में किसानों को समय पर तथा उचित मूल्यों पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धि को सुनिश्चित करना है। उर्वरकों को पर्याप्त मात्रा में और समय पर उपलब्ध कराने के लिए स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है और आयात का पर्याप्त आश्रय लिया जा रहा है। खपत के क्षेत्रों के समीप आयात किये गये उर्वरकों का समीकरण भण्डारण किया जा रहा है। खुदरा दुकानों की संख्या में भी वृद्धि की जा रही है।

मिस रोहिनी खाडिलकर के साथ कथित भेदभाव

*113. **श्री वसन्त साठे** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मिस रोहिनी खाडिलकर के साथ भेद भाव किया गया और उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा विरोध किए जाने पर भी कोट्टयम में राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) : अखिल भारतीय चैस संघ की केन्द्रीय परिषद द्वारा 15 अप्रैल, 1977 को नई दिल्ली में लिए गए निर्णय तथा कोट्टयम में 22 मई, 1977 को अपनी वार्षिक आम बैठक में संघ की महा सभा द्वारा किए गए समर्थन के अनुसार कुमारी रोहिनी खाडिलकर को राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने की अनुमति दे दी गई थी ।

पांचवीं योजनावधि के लिए कर्नाटक को आबंटन

114. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और सिंचाई मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य में पांचवीं योजना के अन्तिम तीन वर्षों में 1976-77 से 1978-79 में, व्यय को पूरा करने के लिए कुछ धनराशि देने की स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां तो किन-किन विकास कार्यों के लिए यह राज सहायता दी जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता एक मुश्त ऋण व एक मुश्त अनुदान के रूप में दी जाती है । उसका किसी विशेष योजना के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता। 1976-77/1977-78 में पांचवीं योजना के लिए कर्नाटक सरकार को 60.36/62.93 करोड़ रुपए की रकम नियुक्त/आवंटित की गई थी। अभी 1978-79 के विषय में आंकड़े बताना संभव नहीं।

(ख) सहायता बिना योजना का सन्दर्भ बताये ही दी जाती है । अतः विकास कार्यों का नाम बताना संभव नहीं है ।

केन्द्रीय विद्यालयों तथा राज्यों द्वारा संचालित स्कूलों के बीच अन्तर को दूर करने का प्रस्ताव

*116. **डा० रामजी सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस तथ्य की दृष्टि से कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है, सरकार का विचार केन्द्रीय विद्यालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों के बीच अन्तर को दूर करने का है ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : इस तथ्य के बावजूद कि 'शिक्षा' अब भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III समवर्ती सूची में सम्मिलित है, राज्य सरकार अपने-अपने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्कूल सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्यत: जिम्मेदार बनी रहेगी। राज्य सरकारों द्वारा संचालित स्कूलों का उद्देश्य स्थानीय जनता की आवश्यकताएं पूरा करना है तथा ये स्कूल राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डों से सम्बद्ध हैं ।

केन्द्रीय विद्यालय (सैन्ट्रल स्कूल) रक्षा कार्मिकों सहित मुख्यत: स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए हैं, जिनमें पाठ्यचर्या तथा शिक्षा का माध्यम एक समान है । ये स्कूल, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं ।

केरल में गैर-सरकारी क्षेत्र में काजू बागान

*117. **श्री के० ए० राजन :**

श्री पी० के० कोड्डियन :

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार की गैर-सरकारी क्षेत्र में काजू के बाग लगाने की एक योजना एक वर्ष से अधिक समय से केन्द्रीय सरकार के पास अनुमोदन के लिए पड़ी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में 85,000 हेक्टार गैर-सरकारी भूमि तथा 60,000 हेक्टार सरकारी भूमि में काजू के बागान लगाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर, 1976 में मंजूरी दे दी थी । इस योजना के अन्तर्गत केरल को क्रमबद्ध रूप में 25,000 हेक्टार गैर-सरकारी भूमि तथा 10,000 हेक्टार सरकारी भूमि में काजू के बागान लगाने के लिए राज सहायता के रूप में 1.25 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की मंजूरी दी गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की करारी हार की जांच के लिए समिति

*118. **श्री जी०एम०बनतवाला :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की करारी हार के कारणों की जांच करने के लिए सरकार ने इस बीच कोई समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ग) समिति के निदेश पद क्या हैं ; और

(घ) समिति सरकार को कब तक अपना प्रतिवेदन दे देगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) जी, नहीं।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

Acquisition of Land under Urban Land Ceiling Act

*119. **Shri Dharmasinghbhai Patel** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state the acreage of land acquired in the country so far under the Urban Land Ceiling Act?

The Minister of Works and Housing and Supply & Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : No report has been received from the States in which the Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976, is in force, except the Government of Karnataka, about the extent of vacant land acquired under the Act. It is understood from Karnataka Government that 13,174.03 sq. metres of vacant land in Bangalore urban agglomeration has been notified as excess vacant land for acquisition under section 10(3) of the Act.

Landless Labourers

*120. **Shri Karpoori Thakur** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the total number of landless labourers in the rural areas of the country;

(b) the number of such landless labourers who were given land by Government last year; and

(c) the programme of Government for giving land to the remaining landless labourers ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) According to the 1971 Census, there were 45.6 million agricultural labourers in the rural areas of the country. There is no separate estimate of the number of landless labourers.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) Surplus land and other available land will continue to be distributed to eligible categories including landless agricultural labourers.

Financial assistance to poor families in Rajasthan to Build Houses

966. **Shri Krishna Kumar Goel** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether most of the poor families in Rajasthan who were allotted land for building houses, are not in a position to build houses for want of money;

(b) the amount of assistance given for this work during the last 3 years by the nationalised banks, Life Insurance Corporation and other financial institutions, separately; and

(c) other schemes which are under consideration of Government for ccelarating the pace of this work ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Yes, Sir.

(b) The Rajasthan State Co-operative Housing Finance Society Limited, an apex body at the State level, is providing loan assistance to the eligible allottees of house-sites to construct houses thereon. The Society has so far sanctioned a loan of Rs. 9.94 crores. The main source of finance for the Society is the Life Insurance Corporation of India.

In June, 1976, the Reserve Bank of India issued guidelines to all Scheduled Commercial banks to provide finances for housing schemes intended for the economically weaker sections of the community. Upto the 31st December, 1976, various banks in Rajasthan had sanctioned loans amounting to Rs. 12.10 lakhs for the housing schemes intended for the economically weaker sections of the community and the amount disbursed was Rs. 1.06 lakhs.

(c) To promote rural housing, the Government of Rajasthan provides building materials such as brick making clay, bajri, murrum, stone etc., free of cost, to the landless families. Besides, the State Government is considering the question of construction of houses in rural areas through the Rajasthan Housing Board with assistance from the Housing and Urban Development Corporation and the nationalised banks.

Debt Liquidation

967. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have received any reports of cases of fictitious proceedings for debt liquidation during the period of Emergency;

(b) whether Government propose to appoint a commission or a committee to go into such cases of fictitious debt liquidation and if so, the outline thereof; and

(c) whether Government are also aware of the fact that grave corrupt practices were adopted in the name of debt liquidation ?

The Minister of Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) & (c) Relief of agricultural indebtedness is a State subject. The State Governments have passed enactments for according relief from indebtedness by way of moratorium, discharge of debts and scaling down of debts. No reports of cases of fictitious proceedings for debt liquidation or grave corrupt practices have been received by the Government of India.

(b) Does not arise.

Centrally aided scheme to clean and beautify big cities in Madhya Pradesh

968. **Shri Kalyan Jain** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether a centrally aided scheme to clean and beautify some big cities of the country was started some time back;

(b) the names of the cities covered by this scheme and the amount of aid given by the Central Government to them; and

(c) the names of the cities of Madhya Pradesh covered by this scheme ?

The Minister of Works and Housing and Supply & Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) No scheme with the specific objective of beautifying the cities was started in the Central sector. However, the Scheme for Environmental Improvement in Slum Areas was started in April, 1972 with the purpose of providing essential basic amenities in those slum areas which were not due for clearance for at least 10 years. This Scheme was in the Central sector upto 31st March, 1974 and has been transferred to the State sector from the beginning of the 5th Plan period.

(b) A statement is annexed.

(c) Indore city was covered by this scheme.

Statement

Statement showing the cities covered under the Central Scheme for Environmental Improvement in Slum Areas and amount of grant given by the Central Government.

Sl. No.	Name of City	Amount of grant released in 1972-73 and 1973-74
1.	Calcutta	5,89,00,000
2.	Bombay	2,55,83,500
3.	Delhi	1,75,77,500
4.	Madras	2,95,16,000
5.	Hyderabad	30,35,800
6.	Ahmedabad	14,00,850
7.	Bangalore	72,82,350
8.	Kanpur	1,32,19,000
9.	Lucknow	1,24,04,999
10.	Poona	27,31,000
11.	Nagpur	1,02,18,198
12.	Indore	28,06,000
13.	Jaipur	46,57,440
14.	Srinagar	30,00,000
15.	Patna	21,18,000
16.	Cochin	9,70,000
17.	Ludhiana	39,66,660
18.	Cuttack	7,88,000
19.	Gauhati	1,81,000
20.	Rohtak	7,89,500

Formulation of rice zones

969. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of rice zones in the country and whether rice consuming areas have not been included in the rice zones; for instance Rajasthan has been included in northern zone instead of southern zone; and

(b) whether the principles which were necessary for the formation of zones were not kept in view while making zones and the policy of Government in this regard at present?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) There are at present about 15 rice zones in the country. Excepting for the Northern and Southern rice zones where each zone comprises a few States, other zones are more or less single state zones. The rice consuming areas of Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and Pondicherry are included in the Southern rice zone. To help the consumers in Rajasthan to meet their demand for superior variety of rice, Rajasthan has been included in the Northern rice zone.

(b) Rice zones are formed/enlarged according to the needs of the situation which changes from time to time. During 1976-77 marketing season, Southern rice zone has been created keeping in view the interests of the producers as well as the consumers in the area.

Decontrol of Sugar

970. **Shri Birendra Prasad** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to decontrol sugar; and

(b) if so, by what time?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) & (b) The question of decontrol of sugar will be among the issues examined when Government next consider the sugar policy.

राजोरी गार्डन के फ्लैटों के अलाटियों को प्रतिपूर्ति की राशि देना

971. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजोरी गार्डन (जी–8) में दिल्ली विकास प्राधिकरण के एल० आई० जी० के फ्लैटों का मूल्य प्रसाद नगर और कालकाजी में एल० आई० जी० के फ्लैटों से अधिक था ;

(ख) यदि हां, तो इस विषमता के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार राजोरी गार्डन के अलाटियों को उपयुक्त प्रतिपूर्ति की राशि देने पर विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) फ्लैटों के मूल्यों में भिन्नता, डिजाईन, कुरसी क्षेत्र और कार्य प्रदान करने की दर में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है ।

(ग) जी, नहीं ।

शिक्षा संबंधी नीति के बारे में महाराष्ट्र में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं से प्राप्त ज्ञापन

972. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की शिक्षा नीति के संबंध में महाराष्ट्र राज्य के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं से 25 मार्च, 1977 से सरकार को कितने अभ्यावेदन तथा ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) उपरोक्त अभ्यावेदनों और ज्ञापनों के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सरकार को राष्ट्रीय नीति के बारे में काफी संख्या में देश भर से अलग-अलग व्यक्तियों और संस्थाओं से अभिवेदन प्राप्त हुए हैं । इनके राज्यवार अलग-अलग विवरण नहीं रखे गए हैं ।

(ख) भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा का कार्य लिया है । नीति की समीक्षा करते समय इन अभिवेदनों में दिए गए सुझाव ध्यान में रखे जाएंगे ।

Dilapidated Condition of Temples of Chandrawati at Jhalra Patan Nagar (Rajasthan)

†973. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether ancient temples of Chandrawati in south of Jhalra Patan Nagar in Jhalawar district in Rajasthan are in a neglected and dilapidated condition; and

(b) if so, the steps being taken for the repair, proper maintenance and renovation of these temples which are known for their architecture and sculpture?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) No, Sir. Necessary repairs to the temples have been carried out.

(b) Does not arise.

Setting up of Central School in Ratlam

†974. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether there is a large number of Central Government employees at Ratlam (M.P.) working in Railways, Posts and Telegraph, Income-tax and other Central Departments;

(b) whether they had demanded (in 1974-75) opening of a Central School in Ratlam; and

(c) if so, the action taken in the matter?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a), (b) and (c) : The number of Central Government employees at Ratlam is not known. There has been no proposal from them to the Kendriya Vidyalaya Sangathan to open a Vidyalaya.

उपशिक्षा निदेशक, दिल्ली के विरुद्ध शिकायत

975. **श्री शिवनारायण सूरसूनिया** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन तथा शिक्षा मंत्रालय को दिल्ली प्रशासन के एक उप-शिक्षा निदेशक के विरुद्ध, जिसने आपातस्थिति के दौरान बहुत सी ज्यादतियां कीं, शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या उसी व्यक्ति को पदोन्नति दी गई क्योंकि उसने दरियागंज क्षेत्र में बहुत से अध्यापकों को बिना कारण निलम्बित किया ;

(ग) क्या 100 अध्यापकों ने दिल्ली प्रशासन तथा शिक्षा मंत्रालय को उप-शिक्षा निदेशक, उस समय के क्षेत्र V (बालक), दरियागंज के शिक्षा अधिकारी के बुरे व्यवहार और ज्यादतियों के बारे में लिखा है ; और

(घ) मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां

(ख) जी नहीं ।

(ग) लगभग 50 शिक्षकों ने हाल ही में शिकायतें की हैं।

(घ) दिल्ली प्रशासन (शिक्षा विभाग) दिल्ली द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

मन्त्रिमण्डल स्तर के मन्त्रियों के सरकारी आवास में सुविधाएं उपलब्ध करने का मानदण्ड

976. श्री ए० बाला पजनोर : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्रियों तथा इसी दर्जे के अन्य पदों पर काम करने वालों के सरकारी आवासों में एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, गीजर, रेफ्रीजरेटर तथा लिफ्टें लगाने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ;

(ख) उन मामलों के ब्यौरे क्या हैं जिनमें मानदंड से अधिक सुविधाएं दी गईं और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का जीवन बिताने पर बल देने की भावना के अनुरूप इन मानदंडों को भी बदलने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) फर्नीचर, फर्निशिंग और वातानुकूलन, जल-शीतलक गीजर्ज, रेफ्रीजिरेटर्ज आदि जैसे बिजली सयंत्रों की मुफ्त सप्लाई के लिए ही केवल एक मापदण्ड है । वह इस प्रकार है :

1. मंत्री (चाहे मण्डलीय स्तर का या अन्य)	38,500	रुपये
2. उप-मंत्री	22,500	रुपये
3. अध्यक्ष लोक सभा	38,500	रुपये
4. उपाध्यक्ष लोक सभा	38,500	रुपये
5. उपसभापति राज्य सभा	38,500	रुपये
6. सदस्य योजना आयोग	38,500	रुपये
7. मुख्य न्यायमूर्ति, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय	38,500	पये
8. सर्वोच्च न्यायालय के जज	30,000	रुपये

जहां तक बिना मूल्य सप्लाई का संबंध है अभी तक मापदण्ड को बढ़ाया नहीं गया है । जहां कहीं कोई फर्नीचर, फर्निशिंग मुफ्त सप्लाई के मापदण्डों से अधिक लेना चाहता है वहां किराया वसूल करने का उपबन्ध है । केवल न्यायमूर्ति ए० सी० गुप्त के अनुरोध पर, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों के लिए 30,000 रुपये की निर्धारित राशि से अधिक 1647 रुपये के मूल्य का फर्नीचर, फर्निशिंग उन्हें सप्लाई किया गया था । इसके लिए श्री गुप्त अधिक सप्लाई की गई मदों की दर पर किराया प्रभार तथा विभागीय प्रभार अदा कर रहे हैं।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन मौजूदा सरकार के मंत्री फर्नीचर, वातानुकूलन आदि के प्रयोग पर अपने आप ही सादगी बरत रहे हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फोरेस्ट सीमैन यूनियन, अंदमान और निकोबार द्वीपसमह से प्राप्त अभ्यावेदन

977. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन विभाग (अंडमान और निकोबार) के मास्टर, ग्रीसर्स, फायरग्रेन-कम-लस्कर को समुद्री विभाग (अंडमान और निकोबार) में वही काम करने वालों को दिये जाने वाले वेतनमान से कम वेतनमान दिये जाते हैं और यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन को फोरेस्ट सीमैन यूनियन से कोई अभ्यावेदन मिला है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में कृषि फार्म

978. **श्री वयालर रवि** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में नये कृषि फार्मों की स्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार से धन की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) केरल में नये कृषि फार्मों की स्थापना करने के बारे में भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल सरकार ने वर्ष 1977-78 के लिए अपने वार्षिक योजना संबंधी सुझावों में ईदुकी जिले में एक नया कृषि जिला फार्म स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये की व्यवस्था की थी। योजना आयोग फसलों की खेती करने के लिए 1977-78 में राज्य की वार्षिक योजना में 380.20 लाख रुपये की एक मुश्त राशि के लिए व्यवस्था करने को सहमत हो गया है । इस फार्म को स्थापित करने के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था संभवतः राज्य सरकार द्वारा इसमें से ही की जायेगी ।

केरल में चावल के मूल्य में वृद्धि

980. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातस्थिति हटाई जाने के उपरान्त केरल राज्य में चावल के खुले बाजार मूल्य में वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप राशन के डिपुओं से चावल की उठान में वृद्धि हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या उपाय किये हैं और सरकार की नीति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) केरल में खुले बाजार में चावल के मूल्य और चावल की दुकानों से उसकी निकासी में वृद्धि हुई है लेकिन यह मुख्यतः मार्च, 1977 से आगे, जबकि सामान्यतया निकासी में वृद्धि की प्रवृत्ति आई है केरल में कमी के महीनों के शुरू हो जाने के कारण है।

(ख) केरल सरकार के चावल के आवंटन को मार्च, 1977 महीने के एक लाख मीटरी टन से बढ़ाकर अप्रैल और मई, 1977 महीने के लिए 1.25 लाख मीटरी टन प्रति माह कर दिया गया है तथा उसमें जून, 1977 के लिए और वृद्धि करके 1.35 लाख मीटरी टन कर दिया गया था। केन्द्रीय पूल में चावल की कुल उपलब्धता, कमी वाले अन्य राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं तथा अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार की नीति केरल सरकार को चावल का यथा सम्भव अधिक से अधिक आवंटन करने की है ताकि उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

गृह विज्ञान के वरिष्ठ अध्यापकों की पी० जी० टी० पद पर पदोन्नति

981. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के स्कूलों के गृह विज्ञान के उन वरिष्ठ अध्यापकों का प्रश्न जो लगातार तीन "समर इंस्टीट्यूट" में भाग लेते हैं और उनमें अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, पी०जी०टी (गृह विज्ञान) के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा या उन्हें पी०जी०टी० के वेतनमान में पदोन्नत कर दिया जाएगा;

(ख) क्या गृह विज्ञान के सभी ऐसे वरिष्ठ अध्यापकों को, जिन्होंने लगातार दो 'समर इंस्टीट्यूट' में भाग लिया है, इन गर्मियों की छुट्टी में दिल्ली प्रशासन के स्टेट इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन द्वारा आयोजित तीसरे 'समर इंस्टीट्यूट' में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अध्यापकों की संख्या क्या है जिन्होंने लगातार दो 'समर इंस्टीट्यूट' पूरे कर लिए हैं और जो तीसरे 'समर इंस्टीट्यूट' में भाग लेंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र) : (क) निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार, गृह-विज्ञान के जिन अध्यापकों की मूल अर्हताएं बी० एस० सी० (गृह-विज्ञान), बी० एड० है और जिन्होंने लगातार तीन ग्रीष्म संस्थानों के जरिये गृह विज्ञान में एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम संतोषजनक रूप से पूरा कर लिया है, वे योग्यता व वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं। उनकी स्वतः पदोन्नति का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) राज्य शिक्षा संस्थान, दिल्ली प्रशासन ने, ऊपर प्रश्न (क) के उत्तर में परिभाषित संक्षिप्त पाठ्यक्रम की रूपरेखाओं के आधार पर किसी भी ग्रीष्म-संस्थान का आयोजन नहीं किया है। 1975-76 के दौरान आयोजित ग्रीष्म-संस्थानों का उद्देश्य नई शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत स्कूलों में कार्य-अनुभव के रूप में टेलरिंग, इम्ब्रोएडरी, बेकरी और कन्फेक्शनरी आरम्भ करने के लिए गृह-विज्ञान विज्ञान अध्यापकों को तैयार करना था। संक्षिप्त पाठ्यक्रम की रूप-रेखा के आधार पर प्रथम ग्रीष्म संस्थान केवल इस वर्ष से आरम्भ किया जा रहा है। अतः तीसरे ग्रीष्म-संस्थान में भाग लेने के अवसर प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्योंकि संक्षिप्त पाठ्यक्रम की रूप-रेखा के आधार पर ग्रीष्म-संस्थान इस वर्ष पहली बार आरम्भ किया जा रहा है । अतः दो लगातार ग्रीष्म-संस्थान पूरा कर लेने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में वरिष्ठ ड्राइंग अध्यापकों का ग्रेड

982. **श्री यादवेन्द्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या सरकारी स्कूलों के वरिष्ठ ड्राइंग अध्यापकों को 1972 से स्नातकोत्तर अध्यापक ग्रेड दिया जा रहा है किन्तु सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में तथा ग्यारहवीं कक्षा को पढ़ा रहे वरिष्ठ ड्राइंग अध्यापकों को यह ग्रेड नहीं दिया जा रहा ;

(ख) यदि हां, तो इस विषमता के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस संबंध में बहुत समय से शिक्षा मंत्रालय के विचारार्थ एक ज्ञापन पड़ा हुआ है तथा क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मामला न्यायालय के अधीन है क्योंकि ड्राइंग शिक्षकों द्वारा दर्ज की गई समादेश याचिका अभी तक न्यायालय के विचाराधीन है ।

Use of Hindi in University Grants Commission

†983. **Shri Sukhadeo Prasad Verma** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the total number of Hindi officers in the University Grants Commission working on different posts; and

(b) whether Hindi is being neglected in the Commission?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) None.

(b) No, Sir. According to the information furnished by UGC all communications received in Hindi in the Commission's office are generally replied to in Hindi.

Hindi Cell in University Grants Commission

†984. **Shri Janeshwar Mishra** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether there is any Hindi Cell in the University Grants Commission; and

(b) whether letters in Hindi received from different States are replied to in Hindi?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) No, Sir.

(b) According to the information furnished by the UGC, the letters received from different States in Hindi are generally replied to in Hindi.

आसनसोल और दुर्गापुर सब-डिविजनों में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की जटिल समस्या

985 **श्री रोबिन सेन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या वर्द्धवान जिले में आसनसोल तथा दुर्गापुर सब-डिवीजनों के ग्रामीण क्षेत्रों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लोगों के मोहल्लों में पानी की जटिल समस्या है और पानी की कमी के कारण बहुत से व्यक्ति हैजा से मरते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पीने योग्य पानी की सप्लाई के लिये रूप-रेखा

986 **श्री चित्त वसु :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार ने सबके लिए पीने योग्य पानी की सप्लाई हेतु इस बीच कोई रूप-रेखा तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) जल पूर्ति, राज्य का विषय है । राज्य सरकारें उनके द्वारा तैयार की गई प्राथमिकताओं के अनुसार नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जलपूर्ति योजनाओं को बनाने और उनका निष्पादन करने का कार्य करती हैं । इसके लिये प्लान के राज्य क्षेत्र में निधियों की व्यवस्था की गई है ।

जहां तक नगरीय क्षेत्रों का संबंध है, लगभग 80 प्र० श० जन संख्या के लिये पहले ही स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था कर दी गई है । ग्रामीण क्षेत्रों में जलपूर्ति की स्थिति अधिक गंभीर है । विशेषकर लगभग 1,13,000 ग्रामों में जिन्हें समस्या मूलक ग्रामों की संज्ञा दी गई है अर्थात् वे गांव जहां 1.6 कि० मी० की दूरी के भीतर जल के स्त्रोत नहीं है, वे गांव जहां जल से उत्पन्न होने वाले स्थानीय रोग पैदा होते हैं और वे गांव जिनके पानी में जोखम वाले क्लोराइड्, फ्लोराइड्, लोह मिश्रण जैसे अश्रदव्य मिले रहते हैं । राज्य सरकारों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत इन गांवों में काम सम्पन्न करना है ।

समस्या मूलक ग्रामों में जल उपलब्ध करने की समस्या को निपटाने के लिये केन्द्र ने केन्द्रीय क्षेत्र में एक योजना बनाई है, यह राज्य क्षेत्र के प्लान नियतन के अतिरिक्त है ।

Danger to health due to industrial affluence discharged into rivers

987. **Shri Uggrasen :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) wherther the health of human beings and aquatics is being endangered increasingly as a result of industrial affluence being discharged into the rivers; and

(b) the effective steps being taken by Government in this regard?

The Minister of Works and Housing and Supply & Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) & (b) It is true that the health of human beings and aquatics is endangered as a result of pollution of river waters by industrial affluents. To meet the situation, a legislation known as 'The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, has already been enacted and came into force on 23rd March, 1974. Fifteen States have since adopted the Act and the remaining are also being persuaded to adopt it. The Act provides for the setting up of a Central Board and similar Boards in the States to plan a comprehensive programme for the prevention, control or abatement of pollution of streams and wells in the country and to secure execution thereof. The Central Board and Boards in fourteen States have already been set up and are functioning. The Act provides for the prosecution of those polluting streams and wells and for penalties on conviction.

बर्दवान में बांकुरा, पुरुलिया जिलों में सूखा

988. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बांकुरा तथा पुरुलिया जिलों और बर्दवान के कुछ असिंचित क्षेत्रों में व्याप्त अत्यधिक सूखे की स्थिति की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) वहां खाद्यान्न की सप्लाई करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल की सरकार ने बताया है कि उसे जिलों में व्याप्त स्थिति का पूरा ज्ञान है और परेशानी में पड़े हुए व्यक्तियों को समुचित सहायता प्रदान की जा रही है। सन् 1976-77 के दौरान उन्होंने टैस्ट रिलीफ कार्यों तथा 'फूड फार वर्क' कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए बांकुरा, पुरुलिया तथा बर्दवान जिले के जिला अधिकारियों को क्रमशः 214.80 लाख, रु० 116.11 लाख रुपए और 12.59 लाख रुपए स्वीकृत किए । 1-4-1977 से 12-5-1977 की अवधि के दौरान राहत कार्यों के लिए राज्य सरकार ने बांकुरा के लिए 50.25 लाख रु०, पुरुलिया के लिए 47.00 लाख रुपए और बर्दवान जिले के लिए 1.00 लाख रुपए स्वीकृत किए । बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में (जिनके अंतर्गत प्रतिमाह लगभग 66,600 लाभानुभोगी आते हैं) निःशुल्क सहायता के रूप में खाद्यान्नों का वितरण भी किया जा रहा है। राज्य सरकार इन जिलों में व्याप्त स्थिति पर पूरा ध्यान रख रही है और उस स्थिति का सामना करने के लिए हर संभव उपाय करने को तैयार है। राज्य सरकार ने बताया है कि सन् 1977 के दौरान मई तक इन जिलों में रिकार्ड की गई बरसात संतोषजनक रही है और पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुई बरसात से अधिक है । राज्य सरकार के पास प्राकृतिक विपदाओं का सामना करने के लिए 661 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध है । अभी तक अग्रिम योजना सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना नहीं की गयी है ।

(ग) पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण के लिए गेहूं और मिलों की आवश्यकताओं की पूरी तरह पूर्ति की जा रही है । राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि वे आवश्यकता पड़ने पर प्रतिमाह के लिए गेहूं और मिलों को आवंटित मात्रा से अधिक केन्द्रीय सरकार के औपचारिक आवंटन की प्रतीक्षा किये बिना ही सीधे भारतीय खाद्य निगम से लें सकते हैं । केन्द्रीय पूल से चावल का आवंटन बढ़ा दिया गया है । केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार को, पुरुलिया जिले के लिए उनकी मांग के आधार पर 500 मीटरी टन मिलो आवंटित करती रही है परन्तु भारतीय खाद्य निगम ने सूचना दी है कि राज्य सरकार ने इस आवंटन के तहत कोई माल नहीं उठाया है।

सराय खलील दिल्ली की विकास योजना

989. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सराय खलील दिल्ली में रहने वाले लोगों को वहां से हटाया गया था;

(ख) क्या सरकार को उनसे किराये तथा मस्जिदें बनाने आदि के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या सरकार का उन्हें फिर से सराय खलील में बसाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने सराय खलील के बारे में योजना में संशोधन किया है जिससे उन सभी को वहां बसाया जा सके?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इन्द्र लोक में एक मस्जिद बनाने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 200 वर्ग गज का भूमि भाग का आबंटन किया है।

(घ) तथा (ङ) सरकार की सामान्य नीति यह है कि उन सभी लोगों को जिन्हें निहायशी क्षेत्रों से निकाला गया था उसी क्षेत्र में अथवा उसके समीपवर्ती क्षेत्र में उचित पुनर्विकास के बाद पुनः बसाया जाये। । सराय खलील के लिये जो नीति है वह जहां तक सम्भव होगी इसी कार्यक्रम का एक अंग होगी।

धान का वसूली मूल्य और निर्बाध रूप से इसे इधर-उधर लाना-ले जाना

990. **श्री गंगानाथ प्रधान** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का कृषकों से धान के वसूली मूल्य को, जो पहले नियत किया गया था, बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार को किसानों एवं राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन मिला है कि जैसे गेहूं एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-ले जाने की अनुमति है उसी तरह धान लाने-ले जाने के लिये भी अनुमति दी जाये?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार को इस आशय के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि गेहूं की भांति धान को भी एक राज्य से दूसरे राज्य में मुक्त रूप से लाने ले जाने की अनुमति दी जाये। अक्तूबर, 1977 से शुरू होने वाले अगले विपणन मौसम 1977-78 की नई खरीद नीति तैयार करते समय इस मामले पर विचार किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों को संसद् सदस्यों के साथ रहने की अनुमति देना

991. **डा० बापू कालदते** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को संसद् सदस्यों के साथ रहने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो यह अनुमति कब से दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जो संसद् सदस्यों के साथ रहते हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जब कभी अनधिकृत रूप से साथ रहने के मामले नोटिस में आते हैं तो आबंटन नियमों व उपबन्धों के अनुसार अनधिकृत रूप से साथ रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

Changes in Master Plan of Delhi

992. **Shri Yagya Datt Sharma** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether keeping in view the state of unauthorised construction in the centrally administered territory of Delhi, Government propose to make efforts to solve the housing problem by making changes in the Master Plan; and

(b) if so, the steps taken so far and proposed to be taken in future in this regard?

The Minister of Works and Housing and Supply & Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) Yes, Sir. On merits.

(b) The Master Plan has been revised increasing the density in the various Planning Divisions, amending zoning regulations, where necessary, and change of land use on merits. Such an exercise has to be on a continual basis. Studies have also been initiated to prepare a Second Master Plan for Delhi to meet the future needs of Delhi's urban growth.

Extension of Kamla Balan Embankment

993. **Shri Ram Sewak Hazari** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state whether Government propose to extend the Kamla Balan Embankment in Bihar from Darjia to Tilakeshwar?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): It has been reported by the Bihar Government that a scheme envisaging extension of the Kamla Balan Embankment from Darjia by about 16 kms. is under consideration with them for which hydrological data is still being collected.

शिक्षण संस्थाओं में असन्तोष

994. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात् स्थिति उठाये जाने के बाद अनेक स्थानों पर शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त असन्तोष का स्वरूप क्या है;

(ख) विद्यार्थियों और/अथवा सम्बद्ध शिक्षकों की इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या विश्वविद्यालयों या अन्य शिक्षा संस्थाओं में शान्ति बनाये रखने के लिये कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की जा रही है और यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) पिछले 2-3 महीनों के दौरान शैक्षिक संस्थाओं में झगड़ों के कई मामले हुए हैं। कुछ स्थानों पर हिंसक घटनायें हुई हैं, जिनमें हमले, घेराव, प्रदर्शन, हड़ताल इत्यादि शामिल हैं। छात्रों की मांगों में परीक्षाओं का स्थगन, छात्र यूनियनों को फिर से शुरू करना, परीक्षा के बगैर अगली उच्च कक्षाओं में तरक्की और आपात् स्थिति के दौरान निष्कासित किये गये छात्रों का पुनः प्रवेश शामिल है। अध्यापकों की मांगों में सेवा शर्तों में सुधार और उन प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना शामिल है, जिन्होंने आपात् स्थिति के दौरान ज्यादतियां की थीं।

यद्यपि, स्थिति पर निगाह रखी जा रही है, राज्य सरकारों से छात्रों और अध्यापकों द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों तथा शिकायतों की जांच और उचित शिकायतों को दूर करने के लिये तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। उनसे कार्रवाई तुरन्त करने का अनुरोध किया गया है ताकि ग्रीष्म अवकाश के बाद शिक्षा संस्थायें पुनः खुलने तक शान्ति बनाये रखने के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार हो सके।

भूमि की उत्पादकता

995. **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूमि की उत्पादकता बनाये रखने के लिये कोई कदम उठा रही है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों को कोई अनुदेश जारी किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) कृषि विश्वविद्यालयों को कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिये गये हैं, तथापि कृषि विश्वविद्यालय अपने सामान्य अनुसन्धान कार्यक्रम के एक अंग के रूप में, भूमि की उत्पादकता बनाये रखने पर अनुसन्धान कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उर्वरकों तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों के सन्तुलित उपयोग के लिये सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं।

नर्मदा जल

996. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा जल विवाद आम सुनवाई और बहस के लिये अब भी न्यायाधिकरण के सामने है;

(ख) यदि हां, तो अब तक पूरे हुए कार्य की प्रगति की रूपरेखा क्या है तथा न्यायाधिकरण द्वारा कब तक अपना निर्णय दिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के चार राज्यों में लम्बे समय से चले आ रहे इस विवाद के समस्त मामले को नये प्रधान मंत्री को उनके पंचाट के लिये सौंपकर मित्रतापूर्ण समाधान के लिये नये सिरे से प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और क्या सरकार ने न्यायाधिकरण से यह अनुरोध किया है कि वह सुनवाई और फैसले के कार्य को शीघ्र पूरा करें?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) पक्ष राज्यों अर्थात् गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान ने इस मामले के पहले दौर में बहस पूरी कर ली है। अब गुजरात द्वारा उसके आगे बहस की जा रही है। न्यायाधिकरण ने बताया है कि वह अपनी रिपोर्ट संभवतः एक वर्ष के अन्दर दे देगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए यह सवाल पैदा नहीं होता।

न्यायाधिकरण ने बताया है कि काम को जितनी जल्दी हो सके पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

बासमती चावल का वसूली मूल्य

997. **श्री गुलाम मोहम्मद खां :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय पूल के लिये बासमती चावल की वसूली हेतु नए मूल्य निर्धारित किये हैं;

(ख) क्या बाजार में बासमती चावल गत वर्ष की तुलना में काफी कम आ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने राज्यवार, बासमती चावल के लिये क्या दर निर्धारित की है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) जी हां। पंजाब और हरियाणा के लिये बासमती चावल के वसूली मूल्य निर्धारित किये गये हैं। 1976-77 मौसम के दौरान बासमती चावल की मंडियों में आमद 1975-76 मौसम की आमद की तुलना में कम हुई है।

(ग) पंजाब और हरियाणा के लिए 1976-77 मौसम में केन्द्रीय पूल के लिये बासमती चावल की वसूली के लिये निम्नलिखित मूल्य निर्धारित किये गये हैं:—

(मूल्य प्रति क्विंटल)

राज्य	बढ़िया बासमती ग्रेड—1	बढ़िया बासमती ग्रेड-2
	रु०	रु०
पंजाब	175.50	172.50
हरियाणा	175.50	172.50

Expenditure Incurred on Storage and Distribution of Imported Wheat Rice and Milo

998. **Shri Brij Bhushan Tiwari** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state;

(a) the total value (cost and freight) of wheat, rice and milo imported during 1975-76 and the expenditure incurred on storage and distribution thereof; and

(b) the average cost thereof per quintal as also the price at which the same was sold to consumers?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) The total value (cost and freight) of wheat, rice and milo imported during 1975-76 was Rs. 1069.13 crores. It is not possible to precisely indicate the expenditure incurred on storage and distribution of the imported grains as these get merged with the expenditure incurred on the indigenous stocks.

(b) The average economic cost of imported wheat, rice and milo was as under:

	Rs. per quintal
Wheat imported	171.03
Rice imported (all varieties)	242.61
Milo imported	146.20

These foodgrains were supplied to the State Government at the Central issue prices of Rs. 125/- per quintal for wheat, Rs. 135/- to Rs. 172/- per quintal for different varieties of rice and Rs. 86/- per quintal for milo, upto 7-11-76 and Rs. 70/- per quintal from 8-11-76. To these issue price, the State Governments added their distribution costs before the foodgrains were sold to consumers.

राजकीय फार्मों को समाप्त करना

999. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय गृह मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि सूरतगढ़ जैसे राजकीय फार्मों को छोटे किसानों में बांट दिया जाना चाहिये और यंत्रीकृत राजकीय फार्मों को तथा सहकारी फार्मों को समाप्त कर दिया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो उस वक्तव्य का सारांश क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इसके फलस्वरूप वर्तमान राजकीय फार्मों की स्थिति और राजकीय फार्म निगम जैसे सरकारी उपक्रम के कार्यकरण पर प्रभाव पड़ने की संभावना है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) समवत: इसका सम्बन्ध केन्द्रीय गृह मंत्री के उस कथन से है जो उन्होंने 25 अप्रैल, 1977 को भारतीय लोक प्रशासन नई दिल्ली में 'आयोजना और क्रियान्वयन प्रणालियों' से सम्बंधित एक विचार गोष्टी में दिया था। जैसा कि केन्द्रीय गृह मंत्री ने अपने भाषण के प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर दिया था। उनका यह कथन केन्द्रीय गृह मंत्री की हैसियत से न हो कर उनकी व्यक्तिगत हैसियत से था।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

नारियल के वृक्षों के रोग

1000. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि केरल में नारियल के वृक्ष स्थानिक (टोपिकल) रोगों से प्रभावित हैं;

(ख) क्या उक्त बीमारी का मुकाबला करने की राज्य सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के प्रति सरकार का क्या रवैया है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में नारियल के पेड़ों पर 'जड़ मुरझान' नामक रोग का धीरे-धीरे कुप्रभाव पड़ रहा है।

(ख) तथा (ग) जी हां। राज्य सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के आधार पर भारत सरकार ने रुग्ण और अनुत्पादक नारियल के बागानों को पुनः ठीक ठाक करने के लिये एक केन्द्रीय योजना की स्वीकृति दी है और उसके परिव्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1977-78	7.066 लाख रुपये
1978-79	32.343 लाख रुपये
	39.409 लाख रुपये

वर्षा से प्रभावित गेहूं की वसूली

1001. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने वर्ष 1977-78 के खरीद सीजन में वर्षा से प्रभावित गेहूं की वसूली हेतु विशिष्टियों में नरमी बरतने के लिये कोई आदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे वसूल किये गये गेहूं के भण्डारण पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ग) क्या वर्षा से प्रभावित ऐसे गेहूं के भण्डारण के लिये पूर्वोपाय लिये गये हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख) और (ग) भारत सरकार निर्दिष्टियों में ढील दे दी है ताकि वर्षा से प्रभावित गेहूं की वसूली की जा सके। ऐसे खाद्यान्नों की भण्डारण क्षमता अपेक्षाकृत कम है और इस स्टाक का उचित ढंग से भण्डारण करने के लिये सभी आवश्यक सावधानी बरती जा रही है।

Percentage to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in National Seeds Corporation

1002. **Shri Mahi Lal:**

Shri Sheo Sampat :

Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state:

(a) the total number of employees in the National Seeds Corporation, category-wise and designation-wise;

(b) the number and percentage of the employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes category-wise and designation-wise out of them;

(c) whether reserved quota for the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been filled up there and if not, the reasons therefor and steps taken or being taken to fill the reserved quota; and

(d) the action taken or being taken by Government particularly in individual cases in view of the provisions for reservation in promotion?

The Minister of Agriculture & Irriagtion (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) and (b) A statement containing the required information is enclosed. [Placed in Library. See L.T. No. 404/77].

(c) The quota of posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is 15% and 7½% respectively. As would be seen from the statement enclosed, there is a shortfall in the case of Class I and Class II posts.

The National Seeds Corporation came into being on 1st July, 1973. Earlier the Seed set up was functioning under the aegis of ICAR. With the establishment of NSC, the staff recruited by ICAR was transferred to the Corporation, similarly certain surplus staff of the Govt. of India was also transferred to the Corporation. In the initial stages, posts of different cadres were filled up by transfer on deputation from various Government offices and in due course of time the officials opted for absorption in the N.S.C. Other than these factors, which resulted in an inadequacy of Scheduled Castes and Scheduled Tribes' representation, it has also been noticed that the N.S.C. being a technical organisation has had to fill posts at different levels by open advertisement and candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, possessing requisite qualifications and experience, were not forthcoming in adequate numbers. On certain occasions, applicants belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes have even been appointed by relaxing prescribed qualifications, age limits, etc. Finally, since Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees get comparatively better jobs elsewhere more readily it has been found that they have left the Corporation and the resultant vacancies were normally filled up by promotion.

Most of the Class I and Class II posts in the National Seeds Corporation are, according to the relevant recruitment rules, required to be filled up by promotion for which there is no reserved quota. It is only for Junior Class I and Class II posts that a quota for promotion of Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates exists. However, these reserved quota posts for promotion are to be treated as unreserved in case adequate numbers of the reserved category candidates are not eligible.

(d) As and when such individual cases come to the notice of Government, they are examined on merits and with sympathy.

Uniformity in the sale price of Sugar

1003. **Shri Laxmi Narayan Nayak** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether there are two prices of sugar in various States in the country viz. controlled price and open market price;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to take some concrete steps to bring about uniformity in sale price of sugar throughout the country so that it is available to consumers at one price?

The Minister of Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) & (b) The price of levy sugar is uniform throughout the country and has been maintained at Rs. 2.15 per kg. since December, 1972. Free sale sugar prices vary, depending on supply and demand.

65% of the output of sugar factories is taken at a fixed price which is lower than the cost of production, the objective being to supply a portion of the consumer requirements at a fixed and reasonable price. The remaining 35% production is, under the circumstances, to be sold at higher prices which fluctuate on the basis of supply and demand in the free market.

(c) A single uniform price will mean a change in the present dual pricing system and the matter will, therefore, have to be carefully considered. This will be examined by Government when it next considers sugar pricing policy.

Reservation of Posts for Members of S.C. and S.T. in Private Educational Institutions

†1004. **Shri Mangaldeo Visharad:** Will the Minister of **Education Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether there is no reservation of posts for the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in private educational institutions whereas such provision exists in the Government educational institutions; and

(b) if so, the steps proposed to be taken in this regard?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) The private educational institutions are governed by the Delhi School Education Act and Rules, 1973. These do not provide for any reservations of posts for S.C. and S.T. candidates in privately managed schools.

(b) This will have to be examined by Government.

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, 1965 की सिफारिशों की क्रियान्विति

1005. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तत्कालीन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, 1965 की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है;

(ख) अब तक की गई कार्यवाही के क्या ठोस परिणाम निकले हैं; और

(ग) सरकार 6--14 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले सभी बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने के लिये यदि किसी कार्यवाही पर विचार कर रही है तो वह क्या है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र) : (क) तत्कालीन सरकार द्वारा अपनाई गई प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के बारे में शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशों को राष्ट्रीय शिक्षा संकल्प नीति में शामिल कर लिया गया है। इस संकल्प की सम्बद्ध व्यवस्थायें केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वियन के विभिन्न स्तरों के अन्तर्गत हैं ।

(ख) वास्तविक परिणामों की और अधिक बातें इस प्रकार हैं :--

प्राथमिक और मिडिल कक्षाओं में बच्चों के नामांकन अनुपात 1968-69 में क्रमश: 78.1 तथा 33.5 प्रतिशत से बढ़कर 6--11 और 11--14 आयु-वर्ग के बच्चों के लिये क्रमश: 87 तथा 39 प्रतिशत हो गये हैं। प्राथमिक शिक्षा को देश के सभी राज्यों में सरकारी और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों में नि:शुल्क कर दिया गया है। यह उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लड़कों के लिये छोड़कर सभी राज्यों के मिडिल स्कूलों में भी नि:शुल्क है। राज्यों द्वारा अधिक गरीब वर्गों के लिये, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, मुफ्त वर्दियों की पूर्ति, लेखन सामग्री तथा उपस्कर देने के विभिन्न उपायों को अपनाया गया है ताकि स्कूलों के लिये छात्रों को आकर्षित किया जा सके तथा उनको वहां रोका जा सके। परिस्थिति के अनुसार अध्यापन पर बल देते हुए शैक्षिक सुधारों, जैसे बहु-प्रवेश, उत्तम मूल्यांकन पद्धतियां, पाठ्यचर्या का संशोधन आदि का भी इस सम्बन्ध में समर्थन किया गया है। राज्यों ने अध्यापकों के दर्जे और उपलब्धियों में सुधार करने और उनको पर्याप्त तथा सन्तोषजनक सेवा शर्तें प्रदान करने के लिये कदम उठाये हैं। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का लगातार पुनरीक्षण किया गया है ताकि उनकी विषयवस्तु और मात्रा में सुधार हो सके। क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के माध्यम के रूप में अपना लिया गया है और स्थानीय संशोधनों के सहित त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में कार्यान्वयन के लिये स्वीकार कर लिया गया है। पाठ्यक्रम को संशोधित कर दिया गया है और पाठ्यचर्या में उनकी विषय-वस्तु के अनुसार सुधार किये गये हैं। अनिवार्य आधार पर कार्य अनुभव, विज्ञान और गणित अध्यापन का समर्थन किया गया है। ग्रामीण प्रतिभा छात्रवृतियों को शैक्षिक अवसरों की समानता का प्रसार करने के लिये लागू किया गया है।

(ग) निर्देशक सिद्धान्त को पूरा करने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकता के लिये सरकार एक समय सीमित योजना तैयार कर रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों के मूल्यों में वृद्धि

1006. श्री विजय कुमार मंडल : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व अधिकारियों ने मकानों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि की थी; और

(ख) मूल्यों को 'न लाभ न हानि' के आधार पर कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख). यह सत्य है कि कुछ मामलों में सरचार्ज सम्मिलित किया गया था। तथापि मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षणाधीन है।

रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के रजिस्ट्रार के विरुद्ध आरोप

1007. श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के रजिस्ट्रार के विरुद्ध कालेज को धनराशि में घोटाला करने के आरोप में पुलिस का मामला दर्ज है मगर फिर भी वह अपने पद पर कार्य कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) शासी बोर्ड से मामले पर विचार करने तथा उसके सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही करने का अनुरोध किया जा रहा है।

तेंदु के पत्तों का व्यापार

1008. **श्री शिव सम्पत** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आदिवासियों का मुख्य व्यवसाय तेन्दु के पत्ते हैं;

(ख) क्या सरकार को तेन्दु के पत्तों के व्यापार का राष्ट्रीयकरण के कारण इन आदिवासियों को अनेक कठिनाइयों के बारे में पता है; और

(ग) क्या सरकार का समाज के निर्बल वर्गों अर्थात्, आदिवासियों के लाभ के लिये तेन्दु के व्यापार का राष्ट्रीयकरण हटाने का विचार है और यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

आदिवासी तेन्दु की पत्तियों को अप्रैल के अन्तिम सप्ताह से जून के प्रथम सप्ताह तक इकट्ठा करते हैं और बाकी साल में बहुत से अन्य कार्य करते हैं।

(ख) राज्य में तेन्दु के पत्तों के व्यापार का राष्ट्रीयकरण तेन्दु पत्ता श्रमिकों, अर्थात् आदिवासी तथा विभिन्न जातियों के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिये किया गया था, क्योंकि राष्ट्रीयकरण से पहले उनको ठेकेदारों से उचित वेतन नहीं मिलता था।

(ग) तेन्दु के पत्तों के व्यापार के राष्ट्रीयकरण को खत्म करने के सम्बन्ध में सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Small Irrigation Scheme in Bihar

1009. **Shri Ishwar Choudhary** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Bihar Government have requested Central Government several times for the implementation of Small Irrigation Schemes;

(b) if so, the number of small irrigation Schemes approved and also the amount given by the Central Government during the last three years; and

(c) whether some canals, hydrant boring, etc., have also been provided under these Schemes?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Minor Irrigation Schemes form an important item in the State Plan and hence the question of requesting the Central Government several times for implementation of small irrigation schemes by the Bihar Government does not arise.

(b) According to the procedure in vogue, Central assistance to the State plan schemes is released in block loans and grants for annual plan as a whole and is not related to any individual scheme or group of schemes. Hence it is not possible to give details about

Central assistance for minor irrigation schemes or the number of schemes taken up with Central assistance. However, the figures for the total outlay provided for minor irrigation schemes in the State plan for Bihar during the last three years are furnished below:

(Rs. in crores)

1974-75	10.45
1975-76	14.70
1976-77	18.00

(c) Yes sir, these schemes are included in the minor irrigation programme being implemented in Bihar.

गाडगिल आश्वासनों के अन्तर्गत व्यक्तियों को पुनः बसाने संबंधी योजना

1010. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री गाडगिल आश्वासनों के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाये जाने के बारे में 27 मई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7718 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाडगिल आश्वासनों के अन्तर्गत योग्य पाये गये 1221 परिवारों को पुनः बसाने की योजना को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूप-रेखा क्या है; और

(ग) योजना को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 323 परिवारों के सम्बन्ध में उन्हें उसी स्थान पर पुनः बसाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण विस्तृत वास्तविक सर्वेक्षण तथा क्षेत्रों के क्षेत्रीय कार्यान्वयन नक्शों को अन्तिम रूप देने के बाद शेष रिहायशी अनधिवासियों को पुनः बसाने की योजना बनाएगा।

गुजरात में मूंगफली का उत्पादन

1011 **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में इन दो वर्षों के दौरान मूंगफली का उत्पादन इससे पहले की तुलना में बहुत ही कम हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1975-76 में राज्य में मूंगफली के उत्पादन का रिकार्ड स्तर 20.3 लाख मीटरी टन तक पहुंच गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार 1976-77 में उत्पादन वर्ष 1975-76 की तुलना में कुछ कम है परन्तु इससे पहले के वर्षों की तुलना में अधिक है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कपास, तिलहन तथा दालों का उत्पादन करने के लिए पैनल

1012. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपास, तिलहन तथा दाल का उत्पादन बढ़ाने की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पैनल के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इसका प्रतिवेदन किस तारीख को प्रस्तुत किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) भारत सरकार ने वर्ष 1977-78 के दौरान कपास, खाद्य तिलहनों और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक कार्यकारी योजना तैयार करने और दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए कृषि विभाग में भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष दल नियुक्त किया था । इस विशेष दल के अन्य सदस्य निम्नलिखित थे :—

1. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा पदेन सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, नई दिल्ली ।
2. सचिव, योजना आयोग, नई दिल्ली ।
3. सचिव, खाद्य विभाग, नई दिल्ली ।
4. सचिव, वस्त्र उद्योग विभाग, नई दिल्ली ।
5. सचिव, नागरिक आपूर्ति और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली ।
6. भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार ।
7. भारत सरकार के कृषि आयुक्त ।
8. संयुक्तायुक्त (वाणिज्यिक फसलें), कृषि विभाग, नई दिल्ली ।
9. संयुक्तायुक्त (कपास), कृषि विभाग, नई दिल्ली ।
10. संयुक्तायुक्त (खाद्य फसलें), कृषि विभाग, नई दिल्ली ।

विशेष दल ने 16 मई, 1977 को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

Closure of Sugar Mills in Bihar

1013. **Shri Mritunjay Prasad Varma** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether several sugar mills in Bihar have been lying closed for years and as a result, sugarcane growers, labourers, etc. are facing great financial difficulties; and

(b) if so, the names of those mills; the dates since when each of them is lying closed: the unsold stock of sugar lying with each mill; the arrears due to sugarcane growers; Government's plan to recommission these mills?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Three sugar factories out of a total of 30 in Bihar are lying closed. Sugarcane growers of the areas of these factories are not facing any difficulty because their sugarcane areas are allotted to and the cane purchased by other neighbouring factories. The work force is, however, put to difficulties.

(b) Bihar Sugar Works, Pachrukhi Distt: Siwan and Sakri Sugar Works of the Darbhanga Sugar Co. Ltd., Distt: Dharbangha are laying closed since 1975-76 season and Rohtas Industries Ltd. Dalmianagar is lying closed since 1967-68. The Bihar Sugar Works had sbout twenty thousand quintals of unsold stock of sugar produced in 1974-75 and earlier aeasons which is being disposed of now. Its disposal had been held up earlier as a bank had taken over the stock under its control and did not take steps for its disposal. The Sakri Factory has no undisposed stock of sugar. There is no communication from Rohtas Industries Ltd. regarding sugar stocks. The cane price arrear dues against the Bihar Sugar Works amount to Rs. 11.22 lakhs and those against the Sakri Sugar Factory amount to Rs. 19.14 lakhs. Dalmianagar factory had reported that an amount of Rs. 0.01 lakh as cane arrear was due as on 15-12-67. The Government of Bihar have no immediate plan

for recommissioning the Bihar Sugar Works, because it is a private factory owned by four members of a family who have ceased to take any interest in it for the last 3 years and no other party is willing to take and run the factory by investing additional funds because the factory owes large dues aggregating about Rs. 2 crores including a loan of about Rs. 1.42 crores of the bank, wage dues of workers amounting to about Rs. 70 lakhs and tax dues of the State Government amounting to about Rs. 20 lakhs besides other miscellaneous dues. The State Government propose to acquire ownership of Sakri Sugar Factory. Plan for re commissioning this mill will be chalked out after the intended take over materialises. At present the factory is a unit of the Darbangha Sugar Company which is not in a position to run it owing to financial and other reasons.

2. As Rohtas Industries Ltd., Dalmianagar, has been closed for a decade, it appears Bihar Government have no proposal to reopen it.

बेल्जियम से गेहूं

1014. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत खाद्य सहायता के लिए द्विपक्षीय कार्यक्रम के अंतर्गत भी बेल्जियम से 4,000 टन गेहूं ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह सहायता लेने के क्या कारण हैं जबकि देश गेहूं के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है;

(ग) क्या किसी अन्य देश के साथ भी ऐसा समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख), (ग) और (घ) भारत को बेल्जियम से खाद्य सहायता के रूप में 4,000 मीटरी टन गेहूं प्राप्त हो रहा है जो कि उन्होंने भारत को अपने 1975-76 के खाद्य सहायता कार्यक्रम के अधीन आबंटित किया था। चालू वर्ष के लिए किसी अन्य देश के साथ अब तक कोई खाद्य सहायता संबंधी करार नहीं किया गया है।

विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर आफ एमिनेन्स को नियुक्त करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

1015. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रो० आफ एमिनेन्स को नियुक्त करने के बारे में मार्ग निर्देशक सिद्धांत बनाए हैं ;

(ख) क्या गत वर्ष में दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ प्रोफेसर आफ एमिनेन्स की नियुक्ति हुई है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी नियुक्तियों के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मिदनापुर में रोजगार उन्मुख विश्वविद्यालय की स्थापना

1016. **श्री सम्बर गुह** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार और विभिन्न संगठनों से मिदनापुर जिला, पश्चिम बंगाल में बंगाल के एक निर्माता स्वर्गीय ईश्वर चन्द विद्यासागर के नाम पर एक रोजगार उन्मुख विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनेक बार पहले और हाल में अप्रैल, 1977 में हुई बैठक में इस पर चर्चा की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने के कार्य में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) जी हां। विश्वविद्यालय की स्थापना का मामला मुख्य रूप से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तथापि, जून, 1972 के बाद स्थापित किया गया विश्वविद्यालय केन्द्रीय स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का तभी पात्र होगा जबकि उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया जाए। तदनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने आयोग से मिदनापुर में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के अपने प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया था। आयोग ने अप्रैल, 1977 में यह तय किया कि इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से और चर्चा करने की आवश्यकता है।

Misappropriation of Funds By DDA Officers

1017. **Shri Ram Vilas Paswan** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Shri O. P. Verma, General Secretary, Delhi Development Authority Employees Association had submitted a memorandum on 19th May, 1977 against the corruption and bungling prevalent in the D.D.A.;

(b) whether there is a group of officers in the D.D.A. which instead of serving public interest served a particular person and a particular party during emergency;

(c) whether these officers misappropriated public fund to the tune of crores of rupees;

(d) whether hundreds of employees were ruined, several were suspended and dismissed by these officers; and

(e) if so, the action taken so far by Government against these officers; and whether Government propose to appoint an Inquiry Committee to go into the black deeds of the D.D.A. ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Yes, Sir.

(b), (c) (d) & (e) The matter is being looked into.

आसाम में बाढ़ रोकने के उपाय

1018. **श्री निहार लास्कर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग के बारे में 30 अगस्त, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2025 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम राज्य में प्रति वर्ष बाढ़ से होने वाली क्षति को रोकने के लिये वर्तमान सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : उन कार्यों को, जो तत्काल किए जाने हैं, और व्यापक योजना के तैयार होने तक जिनको रोका नहीं जा सकता, तथा उन कार्यों को पूरा करने के लिए जो व्यापक योजना तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक अन्वेषण करने के लिए जरूरी है, ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग के लिए ऋणों के रूप में धन-राशि उपलब्ध करते रहने के अलावा, केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड की स्थापना किए जाने के लिए, भारत सरकार एक विधेयक पर विचार कर रही है। विधेयक में प्रस्तावित बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ों के नियंत्रण, तटों के कटाव और जल-निकास में सुधार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण करना तथा एक बृहद योजना तैयार करना है।

भारतीय खाद्य निगम के स्टाक में जमा अनाज की ठीक हालत में रहने की अवधि

1019. **श्री के० एन० दास गुप्ता** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के स्टाक में जमा अनाज औसतन कब तक ठीक रह सकता है;

(ख) इनको खराब होने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) अनाज के बफर स्टाक को किस स्तर तक रखने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) लगभग 15 महीने।

(ख) स्टाक के अदला-बदली की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नये अनाज की अपेक्षा यथासम्भव पुराना अनाज पहले खपत केन्द्रों में भेजा जाता है और पहले पुराने अनाज को देने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। इसके अलावा, सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों की निकासी बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं।

(ग) सरकार ने केन्द्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में एक तकनीकी ग्रुप नियुक्त किया था जिसने खाद्यान्नों का बफर स्टाक रखने के सभी पहलुओं की जांच की थी। इस ग्रुप ने सिफारिश की है कि पांचवीं योजना के अन्त तक अंततः 120 लाख मीटरी टन का न्यूनतम बफर स्टाक तैयार किया जाना चाहिये। तथापि, उनका यह भी विचार था कि संसाधनों और भण्डारण स्थान पर दबाव को ध्यान में रखते हुए अगले दो तीन वर्षों में कुछ थोड़ा कम अर्थात 100 लाख मीटरी टन का बफर स्टाक तैयार किया जाए। यह स्टाक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए अपेक्षित परिचालन स्टाक के अलावा होगा। सरकार तकनीकी ग्रुप की रिपोर्ट की जांच कर रही है।

पारादीप पत्तन पर मत्स्यग्रहण बन्दरगाह

1020. **श्री सरत कुमार कार** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन पर मत्स्य ग्रहण बन्दरगाह का निर्माण करने संबंधी परियोजना-प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो झींगा मछली का निर्यात करके पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना के बावजूद भी परियोजना में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) कोई अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है, क्योंकि विभिन्न मंत्रालयों/राज्य सरकारों आदि को तकनीकी तथा वित्तीय दोनों दृष्टि से इस प्रकार की परियोजनाओं की विस्तार से जांच करनी होती है।

व्यस्क महिलाओं को बुनियादी शिक्षा

1021. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं का दर्जा सम्बन्धी समिति की सिफारिश के अनुसार व्यस्क महिलाओं को बुनियादी शिक्षा देने की योजना स्वीकृत की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो देश के किस भाग में यह योजना लागू हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Alleged Corruption Charges Against Vice-Chancellor, B.H.U.

†1022. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether allegations of corruption, partiality and expulsion of hundreds of students for political reasons were levelled against Dr. Shrimali, the outgoing Vice-Chancellor of Banaras Hindu University during his tenure and whether the previous Government had been ignoring the demand of the students of Banaras Hindu University for an enquiry against Dr. Shrimali and whether the present Government propose to enquire into these allegations; and

(b) whether a statement of the facts and action taken in regard to the opening of fire by some anti-social elements on the student leader and the General Secreatry of the Students Union in the University Campus on the evening of 28th April, 1977 would be laid on the Table of the House?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Representations have been received alleging various irregularities, corruption etc. against the previous Vice-Chancellor of Banaras Hindu University. These representations were dealt with according to the provisions of the University Act and Statutes, and orders of the President as the Visitor of the University thereon were communicated to the University, wherever necessary. In January 1977 another representation was received which together with the reply of the University thereon is under examination.

(b) According to the information received from the U.P. Government, a report was lodged by Shri Bharat Singh, President, Banaras Hindu University Students' Union on 28th April, 1977 at Police Station, Bholpur, Varanasi, alleging that one Shri Bhagwati Singh and two other persons had threatened him with dire consequences in the event of any proceedings being initiated by the former against Dr. Ram Avadh Singh, Head of the Department of Commerce, and that on his protesting against the threat, a shot was fired at him, although he escaped.

Another complaint was also filed with the Police on the same day by one shri Avdhesh Singh, a student of M.A. (Sanskrit) of the BHU, alleging that he, accompanied by Shri Bhagwati Singh, went to see a relation of theirs, in the Bhagwan Dass Hostel. On their way back S/Shri Paramhans Singh, Suresh Singh, and some others fired shots at them and Shri Bharat Singh was challenging them from his room.

On the basis of these two complaints two separate cases, both under S.307 I.P.C., are being investigated by the Police. Meanwhile, the Police arrested Shri Bhagwati Singh and Shri Avdhesh Singh on 28-4-77 and sent them to jail on 29-4-77.

Inclusion of Production and Distribution of Wine in the Union List

1023. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that most of the State Governments are banking on liquor consumption as their main source of revenue, as a result, its production and consumption have been sharply increasing and it is mainly prevalent among and consumed by the labour class and rural people;

(b) whether Government are also aware that wide consumption of liquor has resulted in spurt in the social crimes being committed in the country; and

(c) if so, whether Government, according to their declared policy, will enforce prohibition by including wine production and distribution in the Union List?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture: (Dr. Pratap Chandra Chunder) (a) The State Governments tap various sources in their efforts to augment their revenue and one of them is the excise levies on liquor. According to the statistics available excise levies on liquor is not identifiable as their main source of revenue.

According to information available, during the last few years the production of Indian made foreign liquor and country liquor appears to have remained steady around 27000 kilo litres and 43000 kilo litres. However, there was a rise in production of Beer to about 70,000 kilo litres in 1976 compared with about 60,000 litres during the previous few years. No statistics are available of the proportion of liquor consumed by labour class and rural people.

(b) Social Crimes are caused through an inter-action of multiple factors, such as changes in socio-economic structure, value-systems, environment. Any spurt in social crime. therefore, cannot be solely attributed to liquor consumption.

(c) The Government's policy on prohibition is already enshrined in Article 47 of the Constitution of State Policy. Pursuant to this, a minimum programme for achieving reduction in the consumption of alcoholic beverages was introduced from 2 October 1975. However, measures to step up the tempo of the programme and to wean people away from the evils of the drink habits would be considered at the next meeting of the Central Prohibition Committee in consultation with the representatives of the State Governments as the production, manufacture, possession, transport, purchase and sale of intoxicating liquors is a State subject.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक कर्मचारी द्वारा कथित आत्महत्या किए जाने की जांच

1024. **श्री आर० के० अमीन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक कर्मचारी ने विकास मीनार की 17वीं मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली थी क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उसको नई सेवा में जाने की अनुमति नहीं दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त घटना की कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उस जांच के निष्कर्ष क्या हैं और उन परिस्थितियों के लिए जिनके कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ी, जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

Bullock Cart

1025. **Shri Jagdambi Prasad Yadav** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the number of bullock-carts is increasing in India by two lakhs even in the present jet age thereto; and

(b) the steps being taken by Government for the development of bullock-cart which is in use since time immemorial so that it may continue to ply on muddy, sandy and watery as well as pucca roads smoothly?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the table of the House by the concerned Ministry.

Drinking Water Facility in Rajasthan Villages

1026. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether adequate and satisfactory drinking water facility is still not available in most of the villages in Rajasthan;

(b) the number of villages where clean drinking water is not available; and

(c) the amount of assistance proposed to be given to the State Government for making arrangements for drinking water in all the villages of the State and the date by which this work is likely to be completed?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a), (b) & (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Re-Organisation of Cooperative Societies

1027. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government propose to reorganise cooperative societies;

(b) if so, the basis for the reorganisation of Gram Sahayoga Samities (Village Cooperation Societies); and

(c) whether Sahayoga Samities in rural areas in Bihar State have been reorganised?

The Minister of Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The reorganisation of primary agricultural cooperative credit societies to form a viable base is a Plan programme being implemented by the State Governments.

(b) The norm for the reorganisation of primary agricultural cooperative credit societies is a minimum annual agricultural production credit of Rs. 2 lakhs to be able to sustain a full-time paid Secretary; the reorganised societies are expected to cover 2,000 hectares of cropped area approximately within a radius of 10 kms.

(c) The primary agricultural cooperative credit societies in the rural areas of Bihar State have not yet been re-organised on this basis.

Allotment of House Sites to Rural Families in M. P.

1028. **Shri Kalyan Jain:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state the schemes Government are considering to accelerate the progress in the work of allotment of house sites to rural families in Madhya Pradesh?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): From out of 7,77,000 eligible families in Madhya Pradesh, house-sites have already been allotted to 7,73,000 families. The Government of Madhya Pradesh is taking steps to allot house-sites to the remaining families.

पश्चिम जर्मनी, यूगोस्लाविया और अमेरिका में यूथ क्लबों का अध्ययन

1029. **श्री] आर० [कोलनथाइवेलु** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी, यूगोस्लाविया, अमरीका आदि में यूथ क्लबों द्वारा रचनात्मक कार्यों में लाभप्रद योगदान दिए जाने के मामलों का सरकार ने अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इस देश की युवक शक्ति का देश के विकास में तीव्रता लाने के लिए उपयोग करने के उपायों पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्र निर्माण के कार्यों में युवकों के लाभप्रद प्रयोग के लिए एक राष्ट्रीय युवक नीति बनाने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ): युवक शक्ति का विकास कार्यों में उपयोग के उद्देश्य से बहुत से कार्यक्रम हैं। जिनमें राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, 15 से 25 की आयु वर्ग के लिए अनौपचारिक शिक्षा इत्यादि सम्मिलित हैं। इससे पहले कि सरकार एक राष्ट्रीय युवक नीति निर्धारित करने का निर्णय ले, यह आवश्यक प्रतीत होता है कि शिक्षा विदों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, युवक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और युवक नेताओं से व्यापक रूप से परामर्श किया जाए। यह मंत्रालय इस तरह के परामर्श आयोजित करने के लिए कदम उठा रहा है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार किया गया विज्ञान का पाठ्यक्रम

1030. **श्री वसन्त साठे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने तात्कालिक पर्यावरण तथा वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित विज्ञान का एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) कक्षा 1 से 5 में पर्यावरणात्मक अध्ययन ने, एक विषय के रूप में "विज्ञान" का स्थान ले लिया है। यह, पर्यावरण पर बल देने के दृष्टिकोण को महत्व देने के लिए है। कक्षा I तथा II के लिए अध्ययन की विषय वस्तु में, हमारा घर, हमारा अड़ोस-पड़ोस, हमारा स्कूल इत्यादि जैसे निकटतम सामाजिक, भौतिक तथा जैविक पर्यावरण से शिक्षा के भाग शामिल हैं।

कक्षा III से V के लिए पर्यावरणात्मक अध्ययन विषय, पर्यावरण के कुछ मार्गों के तदनुरूप भागों में आयोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए कक्षा III में, पृथ्वी, आकाश, मौसम, भूमि तथा फसलों से इसके संबंध, शक्ति कार्य तथा ऊर्जा सामग्री तथा उनकी विशेषताएं, जीवित वस्तुएं, मानव शरीर, पोषण तथा स्वास्थ्य इत्यादि कुछ भाग हैं।

पर्यावरणात्मक अध्ययन का उद्देश्य, बच्चों को अपने पर्यावरण का निरीक्षण करने तथा अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए समर्थ बनाना है जिससे वे निरीक्षण संवार, मूल्यांकन और प्रयोग आदि करने जैसी दक्षताओं का विकास कर सकें।

साहित्य, संगीत तथा नाटक अकादमियों को नया रूप दिया जाना

1031. **श्री वसन्त साठे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी, और संगीत तथा नाटक अकादमी को नया रूप देने/ नया ढांचा बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी को नया रूप देने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जबकि सभी तीनों अकादमियों के कार्य-कलापों के सुधार में सरकार दिलचस्पी ले रही है।

विश्वविद्यालयों के अनुदानों को युक्तिसंगत बनाना

1032. : **श्री वसन्त साठे** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विश्वविद्यालयों की जो अधिकांशतः नगरीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विश्वविद्यालय की तुलना में अधिक अनुदान दिए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले केन्द्रीय अनुदानों को युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार शहरी जनसंख्या की मुख्य रूप से जरूरत पूरी करने वाले विश्वविद्यालयों को अर्ध शहरी क्षेत्रों की जरूरत पूरी करने वाले विश्वविद्यालयों के मुकाबले में ज्यादा अनुदान नहीं दिए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य पुरस्कारों के बारे में शिकायतें

1033. **श्री शिवनारायण सरसूनिया** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन और शिक्षा मंत्रालय को वर्ष 1976-77 के लिए राज्य पुरस्कार के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में दिल्ली प्रशासन और मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या कुछ पुरस्कार राजनीतिक दबाव के आधार पर दिए जा रहे हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

बैलगाड़ियों का आधुनिकरण

1034. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैलगाड़ियों में वर्तमान लकड़ी के पहियों पर रबड़ टायर लगाकर उनको आधुनिक बनाने का है;

(ख) क्या देश में रबड़ का उत्पादन फालतू है; और

(ग) यदि हां, तो देश में गरीब किसानों की भलाई के लिए फालतू रबड़ का रबड़ टायर बनाने के उपयोग के लिए सरकार की क्या नीति है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और संबंधित मंत्रालय द्वारा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मंत्रियों के सरकारी निवासस्थानों के लिए लागू मानदण्ड के उल्लंघन के मामले

1035. श्री अरविन्द बाला पजनौर : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) गत दो महीनों में केन्द्रीय मन्त्रियों तथा प्रधान पद के अधिकारियों के सरकारी निवास स्थानों में परिवर्तन, अतिरिक्त निर्माण, नवीकरण, सुसज्जा, डिसटेम्पर करने आदि में कितना खर्च आया है अथवा आने की सम्भावना है ;

(ख) प्रत्येक मन्त्री पर हुए उपरोक्त व्यय का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में लागू मापदण्ड क्या है तथा इस मापदण्ड का कहां तक पालन किया गया है ; और

(घ) इस मापदण्ड के उल्लंघन के मामलों का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

[मंत्रालय में रखा गया / देखिए संख्या एल० टी० 405/77]

(ग) तथा (घ) फर्नीचर, फर्निशिंग और वातानुकूलन, जल-शीतलक, गीजर्ज, रेफ्रीजरेटर्ज आदि जैसे बिजली के संयंत्रों की मुफ्त सप्लाई के लिए ही केवल एक मापदण्ड है । वह इस प्रकार है :--

1. मंत्री (चाहे मण्डलीय स्तर का या अन्य)	38,500 रुपये
2. उप-मंत्री	22,500 रुपये
3. अध्यक्ष लोक सभा	38,500 रुपये
4. उपाध्यक्ष लोक सभा	38,500 रुपये
5. उप सभापति राज्य सभा	38,500 रुपये
6. सदस्य योजना आयोग	38,500 रुपये
7. मुख्य न्यायमूर्ति भारतीय सर्वोच्च न्यायालय	38,500 रुपये
8. सर्वोच्च न्यायालय के जज	30,000 रुपये

जहां तक बिना मूल्य सप्लाई का सम्बंध है अभी तक मापदण्ड को बढ़ाया नहीं गया है। जहां कहीं कोई फर्नीचर, फर्निशिंग, मुफ्त सप्लाई के मापदण्डों से अधिक लेना चाहता है वहां किराया वसूल करने का उपबंध है । केवल न्यायमूर्ति एम० सी० गुप्त के अनुरोध पर, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों के लिए 30,000 रुपये की निर्धारित राशि से अधिक 1647 रुपये के मूल्य का फर्नीचर/फर्निशिंग उन्हें सप्लाई किया गया था । इसके लिए श्री गुप्त अधिक सप्लाई की गई मदों की दर पर किराया प्रभार तथा विभागीय प्रभार अदा कर रहें हैं ।

संसदीय दलों के कर्मचारियों के लिए रिहायशी स्थान

1036. **श्री अरविन्द बाला पजनौर :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसदीय दलों और ग्रुपों के कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों को सरकारी आवास देने की वर्तमान सुविधाएं क्या हैं;

(ख) उन्हें सरकारी आवास देने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों को सरकारी आवास देने के मामले में उदारता बरतने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) सामान्यता संसद् में मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के स्टाफ को सरकारी रिहायशी वास, उनकी कुल संख्या का 33⅓ प्र० श० तक दिया जाता है । तथापि, संसद् में वे राजनीतिक पार्टियां जिन के 50 से कम सदस्य हैं परन्तु अध्यक्ष द्वारा उसे मान्यता दी गई है उन्हें विट्ठल भाई पटेल हाऊस में कमरों का एक सैट आबंटित किया जाता है । सामान्यता, उन्हें एक डबल सूट या 2 सिंगल सूट आबंटित किये जाते हैं । मांग आने पर गराज/सर्वेंट क्वार्टर भी, यदि उपलब्ध हों, तो आबंटित कर दिये जाते हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के वन विभाग में नैमित्तिक मजदर

1038. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के वन विभाग में कितने नैमित्तिक मजदूर हैं, और कितने वर्ष से वे वहां कार्य कर रहे हैं उसका वर्ष-वार अलग-अलग विवरण क्या है, और

(ख) क्या उन्हें नियमित वेतनमान व्यवस्था के अधीन लाने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो कब ?

कृषि और सिचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

'आपरेशन फ्लड' के अन्तर्गत डेरी विकास कार्यक्रम को केरल में लाग किया जाना

1039. **श्री वयालर रवि :**

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या कृषि और सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "आपरेशन फ्लड फेज दो" के अन्तर्गत डेरी विकास कार्यक्रम को केरल राज्य में भी लागू करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा इसकी क्रियान्वित में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :(क) केरल में दुग्ध उत्पादन और विपणन की एक परियोजना को क्रियान्वित करने के संबंध में एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) इस योजना की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :–

(1) किसी उपयुक्त स्थान पर संतुलित पोषक डेरी की स्थापना करना,

(2) एरनाकुलम स्थित वर्तमान डेरी संयंत्र का विस्तार करना ;

(3) पशुओं के लिए दाने-चारे, कृत्रिम गर्भाधान तथा स्वास्थ्य सेवाओं आदि उन्नत निवेशों की व्यवस्था करके दुग्ध उत्पादन बड़ाने का कार्यक्रम !

(4) दूध के लिए अधिक लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों की सहकारी सोसायटियाँ बनाने का कार्यक्रम ।

राज्य सरकार से शीघ्र ही सम्भाव्य परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

कालपत्र

1040. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री कालपत्र के बारे में दिनांक 6 अप्रैल, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 149 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग तीन वर्ष पूर्व लाल किला दिल्ली के समीप भूमि में दबाए गए कालपत्र के निकालने के बारे में सरकार ने की जाने वाली कार्यवाही का अंतिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप और ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

Excavation of the Rules of Vikramshila University

1041. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Education Social Welfare and Culture** be pleased to state the steps being taken by the Central Government for the excavation of the ruins of Vikramshila University?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Partap Chandra Chunder) : The Archaeological Survey of India has been conducting large-scale excavation since 1971-72 at this site, as a result of which a monastic complex surrounding the central shirne belonging to eight-ninth century A.D., has been exposed.

Provision for Drinking Water in Villages

1042. **Dr. Laxminarayan Pandeya:**
Shri Uggrasen:

Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether even today there are thousands of villages in the country where drinking water is not available;

(b) the number of such vilages;

(c) whether it will be possible to provide drinking water to all these villages during the Fifth Five Year Plan; and

(d) if so, action proposed to be taken for the purpose?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) & (b) About 1,13,000 villages either do not have a drinking water source within a reasonable distance, say, up to 1.6 kilometers or do not have water supply, which can be considered safe for drinking purposes.

(c) & (d) Rural water supply is included in the 'Minimum Needs Programme' which is in the State Sector of the Fifth Five Year Plan.. State Governments are taking steps to provide safe drinking water to as many villages as possible according to availability of resources.

The Central has embarked upon a plan in the Central Sector to deal with the problem of providing water in the problem villages in addition to the Plan allocation in the State Sector.

कार्य के स्थान पर अनाज की दुकानें खोलने का प्रस्ताव

1043. **डा० बापू कालदत्ते** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मूल्य में वृद्धि रोकने के उद्देश्य से काम के स्थान पर रियायती दरों पर अनाज बेचने वाली दुकानें खोलने का है ; और

(ख) क्या यह योजना गैर-सरकारी नियोक्ताओं के लिए भी अनिवार्य रूप से लागू की जायगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : राज्य के अन्दर खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार कों है । राज्य के अन्दर किसी स्थान विशेष पर राशन/उचित मूल्य की दुकान खोलने और दुकान के चलाने को लिए एजेंसी का

चुनाव करने का फैसला राज्य सरकार को करना होता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा गेहूं और माइलों के बारे में राज्य सरकारों की सारी जरूरतें पूरी की जा रही हैं और भारत सरकार द्वारा इन दोनों अनाजों के लिए निर्धारित निर्गम मूल्यों में राज सहायता का अंश होता है। राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्रों और कार्य स्थलों जहां बहुत बड़ी संख्या में मजदूर कार्य करते है, वहां पर अधिक राशन/उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएं ताकि लोगों को यथा सम्भव निकट स्थान से अनाज मिल सके।

पूर्ण मद्य निषेध लागू करना

1044. **श्री एंफ० एच० मोहसिन :**

श्री जी० एम० बनतवाला :

श्री स्कारिया थोमस ;

श्री मंगल देव विशारद :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त देश में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्र शासित राज्यों में तुरन्त पूर्ण मद्य निषेध लागू करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) (ख) तथा (ग) : राज्य की मद्य निषेध संबंधी नीति संविधान की धारा 47 में राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत के रूप में पहले ही निहित है। इसके अनुसरण में एल्कोहल वाले पेयों की खपत में कमी करने के लिए एक न्यूनतम कार्यक्रम 2 अक्तूबर, 1975 से लागू किया गया था। कार्यक्रम की गति बढ़ाने और लोगों की मद्यपान की बुरी आदत छुड़ाने के लिए अन्य उपायों पर राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के परामर्श से केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की अगली बैठक में विचार किया जायेगा क्योंकि मादक पेयों का उत्पादन, निर्माण, आधिपत्य, लाना, ले जाना, क्रय और विक्रय राज्य विषय हैं।

दिल्ली में मकान गिराये जाने के कारण क्षति

1045. **श्री सुशील कुमार धारा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान तोड़-फोड़ दस्ता द्वारा मकान, भवन, मन्दिर, दुकान तथा अन्य इमारतों को गिराने के अन्य तरीकों से दिल्ली और नई दिल्ली में नागरिकों की सम्पत्ति, जीवन और सम्मान को कितनी क्षति हुई है ;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम और अन्य निकायों ने अपने अधिकार का किस हद तक गलत उपयोग किया और उसका औचित्य क्या था ;

(ग) सरकार उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है जिन्होंने अपने अधिकारों का दण्डनीय दुरुपयोग किया ; और

(घ) इस हानि का निराकरण के लिए सरकार क्या उपचारात्मक कार्यवाही कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) आपात स्थिति के दौरान दिल्ली में मकान गिराने आदि के बारे में सभी उपलब्ध सूचना को एकत्र करने के लिए गठित तथ्य अन्वेषण समिति के सामने यह मामला विचाराधीन है ।

दहेज

1046. **श्री आर० के० अमीन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार, ऐसे कितने मामलों का पता लगा है ; और

(ख) इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र) : (क) कानून को लागू करना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है। इस बारे में केन्द्रीय सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं और न ही केन्द्र सरकार ऐसे आकड़े इकट्ठे करती है ।

(ख) भारत में महिलाओं की स्थिति से सम्बद्ध समिति की सिफारिश के अनुसार केन्द्र सरकार ने दहेज लेना और देना केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकारी आचरण नियमों का उल्लंघन घोषित किया है । राज्य सरकारों को भी ऐसी ही कार्यवाही करने के लिये परामर्श दिया गया है ।

(2) वर्तमान कानून को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए उड़ीसा, बिहार, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को संशोधित किया है । अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर अधिक कठोर दंड तथा पर्याप्त दहेज न लाने पर पत्नि को दाम्पत्य अधिकार देने से इंकार करने पर दण्ड देने के उपबंध इन अधिनियमों में किए गए है । बिहार और हिमाचल प्रदेश के राज्यों ने अधिनियम के अधीन अपराधों को प्रज्ञेय बनाया है ।

(3) शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम और नेहरू युवक केन्द्र कार्यक्रम के एक भाग के रूप में विभिन्न सामाजिक बुराईयों, जिनमें दहेज प्रथा भी शामिल है, से होने वाली हानियों पर प्रकाश डालने के प्रयत्न किए जाते हैं ।

(4) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सूचना साधनों द्वारा विशेष रूप से रेडियो, क्षेत्रीय प्रसार एककों तथा फिल्म प्रभाग के माध्यम से दहेज विरोधी प्रचार किया जा रहा है ।

(5) इस बुराई को प्रभावकारी रूप से दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के पूरक के रूप में स्वैच्छिक प्रयत्न भी आवश्यक हैं ।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए राजसहायता प्राप्त आवास योजना

1047. **श्री वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए 1952-53 में आरम्भ की गई सरकार की राज सहायता प्राप्त आवास योजना 350.00 रुपये प्रतिमास वेतन की सीमा पर आधारित थी ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार तथा बहुत सी औद्योगिक आवास सहकारी समितियों ने इस सीमा को बढ़ाकर 750.00 रुपये प्रतिमास करने का सरकार से अनुरोध किया है ;

(ग) इस मामले पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यद्यपि औद्योगिक आवास सहकारी समितियों से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है तथापि 600/- रुपये से 1000/- रुपये के विभिन्न स्तर तक की आय सीमा बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात आदि की सरकारों से विभिन्न अनुरोध प्राप्त हुए थे ।

(ग) अनुरोधों को मानना संभव नहीं हो पाया ।

भारतीय खाद्य निगम की प्रशासनिक नियंत्रण में ढील के कारण घाटा

1043. श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक नियंत्रण में ढील, एजेन्टों और क्लोर मिल मालिकों द्वारा देय राशि न वसूल करने और अनियमित लेखे के कारण भारतीय खाद्य निगम के प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य निगम को कुल कितना घाटा हुआ ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

नए विश्वविद्यालयों का खोला जाना

1049. श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष नये विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन

1050. श्रीमती मृणाल गोरे : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्तमान दिल्ली विकास प्राधिकरण को पुनर्गठित कराने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) तथा (ख) इस समय सरकार द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण का कोई पुनर्गठन नहीं किया जा रहा है ।

महाराष्ट्र के समुद्री-तट पर मत्स्य पतन

1051. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेज़रों के अनियमित संचालन के कारण महाराष्ट्र के समुद्र-तट पर अनेक मत्स्य पतन ठप्प हो गए हैं; और

(ख) क्या इसके लिए बम्बई पोर्ट ट्रस्ट को अतिरिक्त राज सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । तथापि मार्च 1977 में भारत सरकार ने बम्बई की सासून गोदी पर स्थित मछली पकड़ने की बंदरगाह के लिए 405.72 लाख रु० की मंजूरी दी है, जिसमें प्रारंभिक "ड्रेजिंग" के लिए 11 लाख रू० की राशि शामिल है ।

देश के विकास के लिए युवक संगठन

1052. **श्री एस० पी० सोम सुन्दरम** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के विकास में महती भूमिका निभाने के लिए बहुत से युवा संगठन मौजूद हैं ;

(ख) क्या सरकार का समय-बद्ध योजनाओं के माध्यम से युवक शक्तियों के समन्वित और सार्थक उपयोग के लिए ऐसे संगठनों के कार्यकरण के एकीकृत करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित ठोस मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है और उनके क्रियान्वयन के लिए कौन सी लक्ष्य तारीखें निर्धारित की गई हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बढ़ते हुए शहरीकरण की समस्या

1053. **श्री एस० डी० सोम सुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते हुए शहरीकरण की समस्याओं का, जिनके विषय में वर्ष प्रति वर्ष आवास मंत्रियों के विभिन्न सम्मेलनों में पूरे विस्तार से चर्चा की जा चुकी है, अन्ततोगत्वा विश्लेषण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है,

(ग) वृद्धि केन्द्रों तथा उपग्रह कस्बों को प्रोत्साहन देने संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस संबंध में यदि कोई समयबद्ध योजनाएं हों, तो उनकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी हां, इनका निरन्तर पुनरीक्षण हो रहा है ।

(ख) जनसंख्या के विकेन्द्रीकरण तथा अपेक्षाकृत अधिक सन्तुलित पुनर्वास पद्धति के लिए बड़े बड़े शहरों की द्रुतगति से वृद्धि को नियंत्रित करने तथा छोटे छोटे शहरों और कस्बों का विकास करने के लिए फिलहाल कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) यद्यपि नगर विकास अनिवार्यतः राज्य सरकार का विषय है, किन्तु वर्द्धन केन्द्रों, उप नगर आदि के विकास के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों की प्रतिपूर्ति के लिए 5वीं योजना अवधि के दौरान आरम्भ की गई नगर विकास तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास की एकीकृत योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार आर्थिक सहायता देती आ रही है । अब तक कुल 23 नगरों तथा कस्बों को सहायता दी गई । जहां तक कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास जैसे शहरों में जनसंख्या के दबाव को कम करने के बारे में है, जिन शहरी क्षेत्रों को सहायता दी गई उनमें पश्चिम बंगाल में हल्दिया और आसनसोल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मेरठ, गुड़गांव, अलवर तथा पानीपत, महाराष्ट्र में नई बम्बई तथा मद्रास के उपनगर मराहभलाई नगर भी शामिल है ।

(घ) केन्द्र द्वारा सहायता दिए गए नगरों तथा कस्बों के बारे में राज्य सरकारों द्वारा नगर विकास का एकीकृत कार्यक्रम बनाया गया है । इन कार्यक्रमों में क्षेत्र विकास आवास, जलपूर्ति, नालियां परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे अन्य वास्तविक तथा सामाजिक अर्ध संरचनायें जैसे विकास के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं । इन योजनाओं का सामान्यतः 5 वर्षीय चरण है और इन्हें मुख्यतः राज्य सरकारों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों की निधियों से कार्यान्वित किया जाता है ।

स्थल और सेवा योजना

1054. श्री एस०डी० सोम सुन्दरम : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास समस्या का समाधान करने के लिए 'स्थल और सेवा योजना' की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त योजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितना पूंजी निवेश किया है और राज्य सरकारों ने कितनी धनराशि दी है

(ग) विश्व बैंक ने कितनी सहायता दी है अथवा देने का वचन दिया है और ऐसी सहायता के लिए क्या शर्तें लगाई हैं; और

(घ) ऐसी सहायता का कितना उपयोग किया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) मौजूदा स्थल और सेवा योजना का उद्देय अलाटियों के लिए विकसित प्लाटों की व्यवस्था करना है ताकि वे उन पर अपने निजी मकान बना सकें ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने स्थलों और सेवाओं की परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है । आवास तथा नगर विकास निगम लिमिटेड ने गुजरात मध्यप्रदेश महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश के राज्यों से प्राप्त 13 स्थल और सेवा योजनाओं की वित्त व्यवस्था करने के लिए 4.001 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है । परियोजना की कुल लागत 4.876 करोड़ रुपये है और शेष राशि उधार देने वाले अभिकरणों द्वारा पूरी की जाएगी ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन जो विश्व बैंक से सम्बद्ध है, ने मद्रास नगर विकास परियोजना को ऋण देना मान लिया है जिसका एक स्थल और सेवा घटक भी है । मालूम हुआ है कि शर्तें तैयार नहीं की गई हैं ।

(घ) क्योंकि ऋण अभी प्रभावी नहीं हुआ है, अतः उसके प्रयोग का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रौढ़ निरक्षरता

1055. श्री एस०डी० सोम सुन्दरम : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रौढ़ निरक्षरता की वर्तमान स्थिति क्या है और उसकी समाप्ति के लिए निर्धारित योजना लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार सन्तुष्ट है कि अब तक किए गए प्रयासों से लक्ष्य पूरा हो सकेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का अशिक्षित प्रौढ़ों की अनोपचारिक शिक्षा के सुविचारित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कर्मचारी-वर्ग, तकनीशियनों व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्गों को प्रेरित और गतिशील बनाने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) से (ग) : 1951 1961 तथा 1971 की जनगणना के अनुसार, देश में साक्षर तथा निरक्षरों की संख्या इस प्रकार है :—

(संख्या करोड़ों में)

आयु वर्ग	1951		1961		1971	
	साक्षर	निरक्षर	साक्षर	निरक्षर	साक्षर	निरक्षर
5+	5.53	24.66	10.55	26.73	16.14	30.72
	(18.31%)	(81.69%)	(28.30%)	(71.70%)	(34.45%)	(65.55%)
15+	4.15	17.39	7.19	18.70	10.83	20.95
	(19.26%)	(80.74%)	(27.76%)	(72.24%)	(34.08%)	(65.92%

केन्द्रीय सरकार ने निरक्षरता उन्मूलन सम्बन्धी कोई योजना तैयार नहीं की है । शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षाविदों तथा शिक्षा फील्ड कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया है ताकि वयस्क शिक्षा सम्बन्धी बृहद् कार्यक्रम तैयार किया जा सके । इस प्रकार के कार्यक्रम का सम्बन्ध समाज के उन सभी वर्गों से है जो वयस्क शिक्षा में रुचि रखते हों ।

लघु कृषक विकास एजेंसी और सूखे की अधिकांशतः संभावना वाले क्षेत्र का कार्यक्रम

1056. श्री पी० राजगोपालन नायडू :

श्री के० मालन्ना :

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु कृषक विकास एजेंसी की स्थापना उन जिलों में निषिद्ध है, जहां सूखे की संभावना वाले क्षेत्र का कार्यक्रम क्रियान्वित होता है ; और

(ख) क्या सरकार इस निषेध को समाप्त करने पर विचार कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) लघु किसान विकास एजेंसी दोहरेपन से बचने के लिए जिले के किन्हीं भागों में अथवा सम्पूर्ण जिले में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम द्वारा अपने अन्तर्गत लिए गये क्षेत्रों में कार्य नहीं करती है । तथापि, दोनों योजनाओं के अन्तर्गत पहचाने गए छोटे तथा सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए एक जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

काश्तकारों द्वारा प्राकृतिक खाद का उपयोग

1057. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात के लिए प्रोत्साहन दे रही है कि काश्तकार गाय के गोबर आदि तथा अन्य प्राकृतिक खादों का उपयोग करें; और

(ख) यदि हां, तो काश्तकारों को क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) कृषकों को दिये जाने वाले कुछ प्रमुख प्रोत्साहनों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. गोबर-गैस संयंत्र लगाने पर आर्थिक सहायता (छोटे संयंत्रों पर 25 प्रतिशत, बड़े संयंत्रों पर 20 प्रतिशत, सामुदायिक संयंत्रों पर 33 प्रतिशत और पहाड़ी व जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित संयंत्रों पर 50 प्रतिशत) ।

2. (क) मशीनीकृत कम्पोस्ट खाद संयंत्रों तथा (ख) शहरों के इर्द-गिर्द मलजल तथा कूड़ा-करकट संबंधी स्कीम के द्वारा कम्पोस्ट खाद की उपलब्धि। इन स्कीमों को निर्माण/स्थापना की अवस्था में ही आर्थिक सहायता दी जाती है ।

3. मान्यताप्राप्त कृषक संगठनों के ज़रिये कृषकों के लिए प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण कैम्प चलाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ कम्पोस्ट-कार्य के लिए पंचायतों और स्थानीय निकायों को पुरस्कार दिये जाते हैं ।

Scheme to Protect Narainpur Area from Erosion

*1058. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Bihar Government have submitted a scheme to protect Narainpur area from erosion by the Ganga;

(b) if so, the amount being given by the Central Government for implementation of the scheme; and

(c) whether the work will start before the rainy season sets in?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) (a) & (c) The Government of Bihar has prepared a scheme estimated to cost Rs. 350 lakhs for the protection of Narainpur area from erosion by the Ganga. However, after scrutiny of the scheme by the Ganga Flood Control Commission and joint site-inspection by the engineers of the Commission, the Railways and the State Government, it was decided to take up the work in phases. It has been reported by the Bihar Government that the work of protection to vulnerable reaches near Narainpur Station has already been started.

(b) Bihar Government has approached the Ministry of Railways and the Ministry of Shipping and Transport whose properties in the area are also likely to be affected by the river erosion for sharing the cost of the scheme. The State Government has informed that the Railways have agreed to share one-fourth expenditure on the scheme but the Bihar Government is requesting them to share one-third cost. The Ministry of Shipping and Transport has shown its inability to share, however, the Bihar Government is again pressing them to share the one-third cost.

पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

1059. **श्री वसन्त साठे :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नागपुर के निकट रामटेक में ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार करेगी और संस्कृत के महाकवि कालिदास की स्मृति में उसका नाम रखेगी ;

(ग) क्या रामटेक में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कुछ संस्कृत विद्वानों ने सरकार से अनुरोध किया है ; और

(घ) उक्त प्रस्ताव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) मार्च, 1975 में इस आशय का एक प्रस्ताव किया गया था कि रामटेक में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने पर बिचार किया जाना चाहिए । उक्त प्रस्ताव को महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया गया था जिसने यह कहा कि जब वे संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में निर्णय करेंगे तो रामटेक को भी ध्यान में रखा जाएगा ।

हरिनगर, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के निम्न आय वर्ग के फ्लैट

1060. **श्री जी० बाई० कृष्णन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजौरी गार्डन (जी-8) नई दिल्ली में निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटन के लिए 24 अगस्त, 1976 को कोई ड्रा किया गया था;

(ख) क्या फ्लैटों की कीमत का निर्धारण राजौरी गार्डन के नाम से किया गया था जबकि वास्तविक आवंटन हरिनगर के फ्लैटों के लिए किया गया है जो बंजर खेतों और अनधिकृत कालोनियों से घिरा हुआ है और तथाकथित राजौरी गार्डन (जी-8) के नाम से फ्लैट कहीं है ही नहीं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उस क्षेत्र को जहां ये स्थित है और उनमें प्रयुक्त घटिया सामग्री को ध्यान में रखते हुए उक्त फ्लैटों की कीमत का पुनर्निर्धारण करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) जी हां। यह सूचित किया गया है कि ये फ्लैट जोन डी-8 में पड़ते हैं जिन्हें ड्राफ्ट जोनल विकास नक्शे के अनुसार राजौरी गार्डन कहते हैं तथा नक्शे के मुताबिक इर्द-गिर्द के क्षेत्रों में खुले स्थान, हाई स्कूल, अस्पताल तथा आवास के लिए विकास करने के लिए उद्दिष्ट है।

(घ) इन फ्लैटों की कीमत दुबारा निश्चित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसमें प्रयुक्त सामग्री विशिष्टि के अनुसार है।

चीनी उद्योग

1061. **श्री जी०वाई० कृष्णन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा ;

(ख) क्या चीनी का निर्यात बन्द कर दिया गया है ;

(ग) क्या चीनी की दोहरी मूल्य प्रणाली समाप्त कर दी गई है ;

(घ) क्या चीनी के वितरण पर नियंत्रण को पूर्णतः समाप्त किया जाएगा; और

(ङ) क्या चीनी उद्योग के संरक्षण को समाप्त किया जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) चीनी उद्योग जांच आयोग ने फरवरी, 1974 में प्रस्तुत रिपोर्ट में राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार किया है। रिपोर्ट की प्रतियां साथ में की गई कार्यवाही संबंधी नोट अगस्त, 1974 में संसद के समक्ष रखा गया था। इसमें बहुत सी पेचीदगियां हैं और किसी भी निर्णय में बहुत सी जटिलताएं रहेंगी। अतः अन्तिम निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) पंचांग वर्ष 1977 में 31 मई तक 2.54 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात हुआ था। अगली बार चीनी की नीति पर विचार करते समय सरकार निर्यात, दोहरा मूल्य निर्धारण, विनियन्त्रण आदि से संबंधित विभिन्न मसलों को ध्यान में रखेगी।

नारियल बोर्ड

1062. **श्री के० ए० राजन** :

श्री पी०के० कोडियन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य पण्य वस्तुओं के बोर्डों के आधार पर नारियल बोर्ड के गठन के लिए केरल सरकार द्वारा तैयार की गई एक योजना केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए काफी पहले भेजी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके अनुमोदन में क्या बाधाएं हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) प्रमुख नारियल पैदा करने वाले राज्यों के परामर्श से इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

चावल के मासिक कोटे में वृद्धि के लिए केरल का अनुरोध

1063. **श्री के० ए० राजन :**

श्री जी०ए० बनतवाला :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने जून से आगे चावल के मासिक कोटे में वृद्धि के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि के लिए अनुरोध किया गया है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :(क) और (ख) केरल के खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री ने 4 मई, 1977 को यह अनुरोध किया था कि केन्द्रीय पूल से केरल को चावल का आवंटन अप्रैल, 1977 मास के 1.25 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर मई, जून और जुलाई, 1977 के महीनों के लिए 1.50 लाख मीटरी टन कर दिया जाए। बाद में केरल सरकार ने जून 1977 मास के लिए चावल की जरूरत 1.64 लाख मीटरी टन निकाली थी। मई, 1977 के लिए चावल के आवंटन में वृद्धि करना स्वीकार्य नहीं किया गया था । जून, 1977 के लिए चावल का आवंटन बढ़ाकर 1.35 लाख मीटरी टन कर दिया गया था। सरकार जुलाई, 1977 के लिए भी 1.35 लाख मीटरी टन के स्तर पर चावल का आवंटन करने की कोशिश करेगी ।

Liquidation of Rural Debt

1064. **Shri Karpoori Thakur:**

Shri Janeshwar Mishra

Shri Chaturbhuj :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the burden of personal debts on agricultural labourers has increased uring the past few years;

(b) if so, the steps taken by Government to make them free from these debts ; and

(c) the main features of the Scheme being formulated by Government to check the exploitation of agricultural labourers by the users in future?

The Minister of Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) (a), (b) & (c) The Rural Labour Enquiry (1964-65) had estimated the average debt per agricultural labourer household as Rs. 148 ; the subsequent All-India Debt Investment Survey (1971-72) has estimated the average value of the debt per house-hold of agricultural labourers as Rs. 162. This Survey also indicated that the proportion of debt was higher among the smaller asset groups. To relieve the burden of rural indebtedness among the weaker sections, national guidelines had been issued for regulating money-lending and extending benefits of moratorium, total discharge and scaling down of debts, other than those from institutional or Government sources. For agricultural labourers whose annual house-hold income does not exceed Rs. 2,400/- total redemption from debt was suggested. As the subject of money-lending and money-lenders and relief of agricultural indebtedness is in the State List, the State Governments are implementing the legislative measures suggested.

The national policy is to increase the flow of institutional credit to the weaker sections. The primary agricultural cooperative credit societies have been recognised as the main institutional agencies for extending credit in rural areas. The reorganisation of these

primary credit societies to form a viable base has, therefore, been suggested as a time-bound programme to be implemented by the State Governments. Enrolment of the weaker sections as members of the cooperatives has also been stressed. Guidelines have also been issued by the Reserve Bank of India to the Cooperative and commercial banks regarding consumption loans to be given to the weaker sections including agricultural labourers.

Scheme for Pension of Old Persons

1065. **Shri Karpoori Thakur** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government are formulating a scheme to grant pension to helpless old persons; and

(b) if so, the time by which it would be implemented and the main points of the scheme

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

प्राइवेट प्लाट मालिकों को डी०डी०ए० द्वारा मुआवजे का भुगतान

1066. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०डी०ए० ने पुनर्वास बस्तियों के उपयोग के लिए गत दो वर्ष के दौरान प्राइवेट पार्टियों के प्लाटों और भूमि को उन्हें वैकल्पिक आवास व्यवस्था किए बिना या बिना मुआवजे का भुगतान किए ही अपने कब्जे में ले लिया था ;

(ख) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त मालिकों को मुआवजा देने का है, यदि हां, तो किस प्रकार, और

(घ) सरकार का विचार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है जिन्होंने ऐसी जमीन पर जबर्दस्ती कब्जा किया था ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) (ख) तथा (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(घ) यह उस सूचना पर निर्भर करेगा जो सरकार को (क) तथा (ख) के बारे में प्राप्त होगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों की नीलामी से अर्जित मुनाफा

1067. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितने प्लाट नीलाम किए गए और इसी अवधि में कितने प्लाट आबंटित किए गए ;

(ख) इन तीन वर्षों में इन प्लाटों की नीलामी से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कितना मुनाफा अर्जित किया ;

(ग) इन वर्षों में हुए मुनाफे के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को कितनी राशि का बोनस दिया गया;

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित किए गए फ्लैटों की संख्या दिल्ली में आवास समस्या को यथावत बनाए रखने के लिए भी काफी कम है; और

(ङ) यदि हां, तो दिल्ली में आवास समस्या हल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क)

प्लाट का वर्ग	नीलाम किए गए प्लाटों की संख्या	अलाट किए गए प्लाटों की सं०
रिहायशी	695	14140
औद्योगिक	565	2070
वाणिज्यिक . . .	420	408

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को दिये गए बोनस का वर्षवार भुगतान इस प्रकार है :—

वर्ष	अदा की गई राशि
1973-74	23.58 लाख रुपए
1974-75	27.45 लाख रुपए
1975-76	बोनस का भुगतान करना बन्द कर दिया गया था ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की अपनी आवास योजनाओं की दृष्टि से दिल्ली में आवास समस्या का मूल्यांकन करने के लिए इसके द्वारा कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया ।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग, जनता तथा सी०ए०बी० में व्यक्तियों के लिए मकानों का निर्माण कर रहा है। इसके अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रशासन ने क्रमशः ग्रुप आवास समितियों और प्लाट आवास समितियों को भूमि दी है, इन समितियों को उनको अलाट की गई भूमि पर मकानों का निर्माण करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, ग्रामीण आवास और औद्योगिक कर्मचारियों और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए सहायता प्राप्त आवास से संबंधित सामाजिक आवास योजनाओं का निष्पादन कर रहा है। आवास प्रयोजनों के लिए दिल्ली प्रशासन के जरिए उनके बजट प्लान में निधियों की व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण इस प्रयोजन के लिए अपनी आवर्तन निधि और जीवन बीमा निगम के ऋणों का उपयोग कर रहा है। सहकारी समितियां हुडको और दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति लिमिटेड से निधियां लेती हैं और सरकार का इन निकायों के जरिए सहकारी समितियों को बड़े पैमाने पर वित्तीय साधन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ।

दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों में नागरिक सुविधाएं

1068. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में उचित नागरिक सुविधाएं नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन कालोनियों में नागरिक सुविधाएं देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या उपराज्यपाल ने हाल ही में इन कालोनियों का दौरा किया है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें क्या रिपोर्ट मिली और उस पर उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) सरकार को यह मालूम है कि पुनर्वास कालोनियों में सभी नागरिक सुविधायें उपलब्ध नहीं है। ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सुविधाएं देने, छोटे खोम्चा फरोशों को प्लाट देने, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने मकानों में बिजली के मेन उपलब्ध कराने, प्लाटों को बदलने की अनुमति के संबंध में उपराज्यपाल ने आवश्यक अनुदेश दिये हैं और दिल्ली प्रशासन में वार्तालाप और सम्मेलनों के दौरान मामलों पर अनुवर्ती कार्यवाही कर रहे हैं।

शहर से डेरियों का दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में भेजा जाना

1069. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी डेरियां शहर से दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में भेज दी गई हैं;

(ख) जिन स्थानों पर उन्हें भेजा गया है, वहां पानी और नालियों आदि की कोई उचित सुविधाएं नहीं है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां; तो कब ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां, कुछ इलाकों में।

(ग) जी, हां।

(घ) यथासंभव शीघ्र ही।

Floor-wise Purchase and sale system of Buildings

1070. Shri Yagya Datt Sharma : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that floor-wise purchase and sale of a building is not permissible in some of the Union Territories;

(b) if so, the names of Union Territories where such sale and purchase is not permissible; and

(c) the reasons therefor?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a), (b) & (c) In the Union Territory of Delhi, floor-wise purchase and sale of multi-storeyed buildings is allowed with the prior permission of the authority competent to grant such permission. As regards Dadra and Nagar Haveli, the Administration has not imposed any ban on floor-wise purchase and sale of building. Replies from other Union Territories Administration have not been received.

Incentive to Agricultural Sector

1071. Shri Yagya Datt Sharma: Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration any scheme for giving incentives to the agricultural sector during the current year; and

(b) if so, the main features of the scheme?

The Minister of Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) & (b) Although no specific scheme, as such, for giving incentives to the agricultural sector is under consideration during the current year, there are several Central Sector Schemes included in the Budget Proposals for the year 1977-78 which provide various types of assistance for development of agricultural sector. For instance, subsidies are provided under various central and centrally sponsored schemes, e.g. Minikit Programme, nurseries programme, Intensive District Programme for Cotton and Jute development, programmes for development of oil seeds, sugarcane and pulses, integrated Dryland Farming Project, Drought Prone Area Programme, Small Farmers Development Agency Programme, Tribal Development Agencies Programme, etc.

Besides, certain other measures undertaken by the Government, like announcement of procurement price/support price for different crops, strengthening of institutional credit agencies, land reform measures and development of infrastructural facilities also provide incentives for agricultural development.

Teachers suspended during Emergency

†**1072. Shri Yagya Datt Sharma:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether teachers of many aided schools of Delhi Administration were suspended during the emergency;

(b) if so, the main charges levelled against them;

(c) whether there were several cases, out of them, in respect of which charges could not be levelled; and

(d) if so, the action proposed to be taken now by Government against the officers who issued orders for suspension without any charges against them?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) Yes, Sir, 29 teachers/employees of 18 Government aided schools of Delhi were suspended during emergency on the grounds of political affiliation and anti-Government activities.

(b) The main charges were political affiliation, anti-Government activities and activities disrupting the working of the schools.

(c) No, Sir. Specific charges were levelled against all.

(d) Does not arise.

चीनी की उपलब्धता और निर्यात

1073. **श्री एस०आर० दामाणी :**

श्री डी०डी० देसाई :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस फसल के उत्पादन के आधार पर और पिछले बकाया पड़े स्टाक को मिलाकर चालू वर्ष के दौरान चीनी की कुल कितनी उपलब्धता की संभावना है ;

(ख) लेवी चीनी के अन्तर्गत कितनी मात्रा ली जाएगी और उसके लिए कितनी कीमत निर्धारित की गई है; और

(ग) चालू वर्ष में चीनी के निर्यात के लिए पहले तय हो चुके करारों अथवा चीनी के निर्यात के ताजा प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1976-77 में उसके वास्तविक निर्यात के आंकड़े और अर्जित विदेशी मुद्रा कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) फैक्ट्रियों के पास 1-10-1976 को चीनी का पिछला बचा स्टाक 8.32 लाख मीटरी टन था जिसमें से लगभग 60,000 मीटरी टन स्टाक निर्मुक्त किया गया लेकिन उसे भेजा नहीं जा सका। इस प्रकार लगभग 7.72 लाख मीटरी टन का पिछला अनिर्मुक्त स्टाक और चीनी वर्ष 1976-77 में लगभग 48.00 लाख मीटरी टन चीनी के अनुमानित उत्पादन को ध्यान में रखते हुए चीनी की कुल उपलब्ध मात्रा लगभग 55.72 लाख मीटरी टन बैठती है।

(ख) प्रोत्साहन योजना के अधीन नई चीनी फैक्ट्रियों के खुली बिक्री के कोटे की अधिक हकदारी और विस्तार परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त चीनी की कुल उपलब्ध मात्रा में से लेवी चीनी का अंश लगभग 35.4 लाख मीटरी टन बैठता है। 1976-77 मौसम के लिए लेवी चीनी के मूल्य 19 नवम्बर, 1976 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर०/887(ई)/एस०काम०/शुगर में अधिसूचित किए गए थे। डी-29 ग्रेड के लिए रेलवे वैगनों में सुपुर्द करने हेतु ये निकासी मूल्य 141.96 रु० से लेकर 274.60 रु० प्रति क्विंटल तक है जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं है।

(ग) पिछले वर्ष लगभग 9.06 करोड़ रुपए मूल्य के 0.39 लाख मीटरी टन के हुए ठेके, जिनका 31-3-1977 तक लदान नहीं हो सका था, संगत ठेकों की विस्तार शर्तों के अनुसार वर्ष 1977-78 के दौरान कार्यान्वित करने के लिए आगे लाए गए थे। लगभग 1.06 करोड़ रुपए मूल्य का 5,000 मीटरी टन का एक दूसरा ठेका भी किया गया था जिसके लिए प्रस्ताव 31-3-1977 को प्राप्त हुआ था। काफी लम्बे समय तक स्टाक में पड़ी 1975-76 फसल की 250 मीटरी टन चीनी अप्रैल के पहले सप्ताह में 0.05 करोड़ रु० में बेची गयी थी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 10.43 करोड़ रुपये मूल्य के 0.45 लाख मीटरी टन स्टाक का वास्तविक लदान हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात के लिए कोई नए आश्वासन नहीं दिए गए हैं। 1976-77 के दौरान, 150.65 करोड़ रुपए मूल्य की 5.79 लाख मीटरी टन चीनी निर्यात की गई थी।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पास खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार

1074. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के पास 31 मार्च, 1977 को खाद्यान्न का कुल कितना सुरक्षित भण्डार था ;

(ख) डिपुओं में कितने स्टाक का भण्डारण किया गया है और खुले स्थान में कितना खाद्यान्न रखा गया है; और

(ग) रबी की फसल की वसूली की क्या नीति है, अब तक क्या प्रगति हुई है और उसके भण्डारण के लिए क्या प्रबन्ध किये गए हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास 31-3-77 को कुल अनुमानित स्टाक (बफर तथा परिचालन) लगभग 180 लाख मीटरी टन था।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के पास 31-3-77 को लगभग 160 लाख मीटरी टन खाद्यान्न था जिसमें से लगभग 104 लाख मीटरी टन ढके गोदामों में पड़ा हुआ था और लगभग 55 लाख मीटरी टन "कैप" भण्डारण (ढका तथा प्लिथ) में था।

(ग) सरकार ने सभी किस्मों के लिए निर्धारित 110 रु० प्रति क्विंटल के मूल्य पर किसानों द्वारा बिक्री के लिए लाए गए उचित औसत किस्म के सभी गेहूं को खरीदने का निर्णय किया है। गेहूं के संचलन पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है ताकि कृषक को अपनी उपज का इससे भी अधिक मूल्य मिल सके और कमी वाले राज्यों में खुले बाजार में बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इस वर्ष गेहूं की वसूली का कार्य अधिकांशतः समर्थन मूल्य के रूप में होगा। 18-6-1977 तक 46 लाख मीटरी टन से अधिक मात्रा की वसूली हो चुकी है। सरकारी एजेन्सियों द्वारा वैज्ञानिक ढंग से अतिरिक्त भण्डारण क्षमता तैयार करके भण्डारण संबंधी स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न पग उठाए गए हैं/जा रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम को किराये पर देने के लिए गोदामों का निर्माण करने हेतु प्राइवेट सैक्टर को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। "कैप" भण्डारण केवल अल्प अवधि के लिए और आयातित उपाय के रूप में किया जाता है।

खाद्यान्नों की वसूली के लिये वित्त पोषण

1075. **श्री एस० आर० दामाणी**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्यान्न वसूली कार्यों के वित्त पोषण की नीति क्या है;

(ख) खाद्यान्न वसूली कार्य में और अथवा सामान्य आर्थिक प्रणाली में किस प्रकार तथा कितनी अवधि में कुल धनराशि का पुनः उपयोग किया जाता है; और

(ग) वर्ष 1976-77 के दौरान खाद्यान्न वसूली के वित्तीय कार्य प्रणाली के क्या परिणाम निकले तथा उनकी इससे पूर्व वर्ष के परिणाम के साथ तुलनात्मक स्थिति क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों के वसूली कार्य के लिए वित्तीय व्यवस्था बैंकिंग सैक्टर से लिए गए ओवर-ड्राफ्ट के जरिए की जाती है और भारत सरकार ऋण की व्यवस्था करती है। निगम को स्टेट बैंक आफ इंडिया साथ में देश के राष्ट्रीयकृत और अनुसूचित बैंकों के कंसोर्टियम द्वारा इन ओवर-ड्राफ्टों की अनुमति दी जाती है।

(ख) समर्थन मूल्य के उपाय के रूप में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखा जाता है। अन्य एजेन्सियों द्वारा वसूल किए गए और केन्द्रीय पूल को दिये गए स्टाक को निगम लेता है और उनका भुगतान करता है। ये स्टाक केन्द्रीय आबंटन के प्रति विभिन्न राज्य सरकारों को पूर्व भुगतान पर दिए जाते हैं और उससे प्राप्त राशि बैंक में जमा की जाती है।

(ग) वर्ष 1976-77 के भारतीय खाद्य निगम के लेखे को अन्तिम रूप दिया जाने वाला है। अन्तिम रूप दिए जाने के बाद उनको लोक सभा के पटल पर रखा जाएगा।

गन्ने की बकाया राशि

1076. **श्री एस० आर० दामाणी :**

श्री ब्रज भूषण तिवारी :

श्री लक्ष्मी नारायण नायक :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में चीनी मिलों पर मिलवार गन्ना उत्पादकों की कितनी राशि भुगतान के लिये बकाया है;

(ख) कितने समय से यह राशि बकाया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किसानों द्वारा मिलों को की गई गन्ने की सप्लाई का तुरन्त भुगतान सुनिश्चित कराने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) गन्ने के मूल्य की बकाया राशि और ये बकाया राशियां किस मौसम की हैं, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मूल्य का भुगतान न करने के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि फैक्ट्री की वित्तीय स्थिति, न्यायालय से रोक आदेश, उत्पादकों का रकम लेने के लिये न आना आदि। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 406/77]**

(ग) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अधीन, गन्ने की कीमत का भुगतान सुपुर्दगी के 14 दिनों के अन्दर करना होता है। कुछेक राज्यों की सरकारों ने विलम्ब से भुगतान करने के लिये ब्याज की दंडीय दर लगाने के लिये कानून पास किया है। गन्ने के मूल्य के भुगतान के बारे में फैक्ट्रियों से साप्ताहिक रिपोर्ट मांगी गई है। भुगतान करने में असाधारण विलम्ब होने के मामलों को राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है।

Increase in price of Fertilisers

1077. **Shri K. Lakkappa :**

Dr. Laxmi Narain Pandeya:

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the increased prices of fertilisers have caused discontentment among the farmers; and

(b) if so, the steps being taken by Government to reduce their prices?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) (a) & (b): There are no reports available with Government about discontentment among the farmers on account of 'increased' prices of fertilizers. In fact there has been no increase in the prices of fertilizers since 1974; on the contrary prices of fertilizers have been reduced five times during the period from the 18th July, 1975 to the 8th February, 1977. A number of fiscal concessions, like subsidy on $P_2 O_5$; reduction in excise duty on single superphosphate; abolition of countervailing duty on muriate of potash; reduction in import duty on phosphoric acid and reduction in the cost of raw materials etc. have also been extended. The prices of fertilizers are reviewed from time to time and as and when any reduction is found possible/feasible, it is done.

रबी की फसल के लिए उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा

1078. **श्री के० लकप्पा:** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रबी की फसल के लिये उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये कोई कार्रवाई कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी हां।

(ख) विभिन्न उपायों में उर्वरकों के मूल्यों में कमी करना, फासफेटिक उर्वरकों पर राज सहायता देना, ब्लाक और गांव के स्तरों पर अतिरिक्त फुटकर दुकानों को खोलना, ऋण सुविधाओं को बढ़ाना, विस्तार और प्रशिक्षण क्रियाकलापों को सुचारु रूप से चलाना, समय पर उपलब्ध कराने के लिये आंतरिक क्षेत्रों में पूल उर्वरकों का समीकरण भण्डारण करना, सिंगल सुपर फासफेट के विनिर्माताओं तथा आई० पी० एल० को यूरिया की निर्मुक्ति करना ताकि फासफेटिक व पोटासिक उर्वरकों की बिक्री के कार्य व चुने हुए जिलों में उर्वरक वर्धन अभियान के कार्य के लिये सुविधा हो सके।

गहन उर्वरक संवर्द्धन अभियान के अन्तर्गत जिले

1079. **श्री के० लकप्पा:** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गहन उर्वरक संवर्द्धन अभियान चलाने के लिये उनके मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में कुछ जिलों का चयन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा उनके चयन की कसौटी क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी हां, इस मंत्रालय ने खरीफ 1977 के दौरान गहन उर्वरक संवर्द्धन अभियान चलाने के लिये देश में 66 जिलों का चयन किया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रत्येक जिले में उर्वरक की खपत तथा सिंचाई की क्षमता के स्तर का विश्लेषण करने के बाद ही जिलों का चयन किया गया है। उन जिलों का चयन किया गया है जहां तुलनात्मक दृष्टि से उर्वरकों की कम खपत होती है, परन्तु जहां सिंचाई की अच्छी संभावनायें मौजूद हैं। कृषि विकास के स्तर के अनुसार इन दोनों बातों के विषय में विभिन्न राज्यों में परिमाप अलग-अलग है।

विवरण

खरीफ 1977 के दौरान गहन उर्वरक संवर्द्धन अभियान के लिये चुने गये जिलों के नाम

1. **आन्ध्र प्रदेश**
   1. श्रीकाकुलम
   2. विशाखापत्तनम
   3. नेलौर
   4. निजामाबाद
   5. अनन्तपुर
2. **असम**
   1. गोलपारा
   2. नवगांव
3. **बिहार**
   1. गया
   2. भोजपुर
   3. रोहतास
   4. सारन
   5. पूर्वी चम्पारण
   6. भागलपुर
4. **गुजरात**
   1. गांधी नगर

2. बनसकंठा
3. महसाना

5. **हिमाचल प्रदेश**
1. सिरमौर

6. **हरियाणा**
1. जिंद
2. रोहतक
3. गुड़गांव

7. **जम्मू और कश्मीर**
1. श्रीनगर
2. अनन्तनाग

8. **कर्नाटक**
1. शिमोगा

9. **महाराष्ट्र**
1. भंडारा
2. औरंगाबाद
3. शोलापुर

10. **मध्य प्रदेश**
1. बालघाट
2. छतरपुर
3. ग्वालियर
4. टिकम गढ़

11. **उड़ीसा**
1. पुरी
2. बोलनगीर
3. कटक

12. **पंजाब**
1. गुरदासपुर

13. **राजस्थान**
1. अजमेर
2. अलवर
3. भिलवाड़ा
4. पाली
5. चित्तौड़गढ़
6. जयपुर
7. भरतपुर
8. बंसवाड़ा
9. बुंदी
10. टोंक
11. डूंगरपुर
12. गंगानगर
13. कोटा
14. झालवाड़
15. सिरोही
16. सवाई माधोपुर
17. उदयपुर

14. **तमिलनाडु**
1. तिरुत्तलवल्ली

15. **उत्तर प्रदेश**
1. मेरठ
2. जौनपुर
3. गाजीपुर
4. राय बरेली
5. इटावा
6. आजमगढ़
7. मैनपुरी
8. एटा
9. मथुरा
10. अलीगढ़
11. बुलन्दशहर

16. **पश्चिम बंगाल**
1. बर्दवान
2. बिरभूम

17. **केरल**
1. मल्लापुरम

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का रखरखाव

1080. **श्री के० लकप्पा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने अपने अन्न से भरे गोदामों को साफ सुथरा रखने के लिये एक अभियान शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) गोदामों को साफ रखने के लिये भारतीय खाद्य निगम द्वारा तैयार की गई निरीक्षण सूची का सारांश इस प्रकार है :—

(1) डिपो के अन्दर गुण नियंत्रण उपकरण बोरियां आदि अत्यधिक सुगम स्थान पर रखी जानी चाहिये।

(2) डिपों में उचित संरक्षण सम्बन्धी प्रबन्ध करना।

(3) डिपो के अन्दर उपयुक्त स्थानों पर डेस्ट बिन रखना।

(4) तौलपुल केबिन से अनावश्यक फर्नीचर आदि हटाना।

(5) यह सुनिश्चित करना कि डिपो में आग बुझाने के लिए उचित प्रबन्ध है।

(6) डिपों के परिसरों में उपलब्ध सारी खाली भूमि को साफ तथा समतल करना।

(7) डिपों के आंगन की दीवारों जो कि टूटी हुई हों, की मरम्मत करना, नालियों के टूटे हुए स्लेबों, क्षतिग्रस्त पैरापेट दीवारों, खिड़कियों के टूटे हुए शीशों, टूटी हुई एस्बस्टो शीट और ऊंचे पिलरों को बदलना तथा उनकी मरम्मत करना।

(8) गोदामों में पानी भर जाने की संभावना को रोकने के लिये गोदामों के परिसरों में नालियों में सुधार लाना।

(9) डिपो और कार्यालय के परिसर के बाहर रंगीन सफेदी और अन्दर सफेदी करना।

(10) खुली भूमि में अनावश्यक झाड़ियों, घास आदि को समय-समय पर साफ करना।

(11) प्रवेश द्वार और रेलवे वैगन के द्वारों के क्षतिग्रस्त अथवा विकृत होने पर तुरन्त मरम्मत करना।

(12) डिपो के आंगन में वृक्ष लगाना।

तीन मूर्ति भवन को प्रधान मंत्री का स्थायी निवास बनाना

1081. **श्री पी०जी० मावलंकर :**

श्री डी०बी० चन्द्रगौडा :

श्री सुशील कुमार धारा :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री शीघ्र ही एक नए निवास स्थान पर जा रहे हैं; यदि हां, तो कब और कहां; और

(ख) क्या सरकार वर्तमान तीन मूर्ति भवन (जिसमें जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय स्थित है) को प्रधान मंत्री का निवास स्थान बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) प्रधान मंत्री हाल ही में अपने नये निवास स्थान (बंगला नं० 1, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली) में आ गये हैं।

(ख) जी, हां।

अनाज के सुरक्षित भंडार (बफर स्टाक) की क्षति के प्रति सावधानी

1082. **श्री पी०जी० मावलंकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न प्रकार के अनाज का सुरक्षित भंडार (बफर स्टाक) रखा है;

(ख) क्या भण्डार किये गये अनाज को अच्छी तथा स्वच्छ स्थिति में रखा जाता है और क्या अनाज की क्षति के प्रति बरती जाने वाली सावधानी पर्याप्त है; और

(ग) क्या सरकार ने किसी अनाज का आयात किया है अथवा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) खाद्यान्नों को अच्छी तरह और साफ सुथरी हालत में रखने और अनाज को क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) खाद्यान्नों के स्टाक की स्थिति सुगम होने के कारण सरकार ने जून, 1976 से विदेशों से खाद्यान्नों की वाणिज्यिक खरीदारी बन्द कर दी है और निकट भविष्य में खाद्यान्नों का आयात करने की आवश्यकता नहीं समझती है। 1976-77 के दौरान आयात की गई मात्रा पिछले ठेकों के बारे में थी। ये ठेके पहले किये गये थे।

राज्यों में कालेज/विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के वेतनमान

1083. **श्री पी०जी० मावलंकर :** क्या **शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेज तथा विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के लिये बढ़े हुए वेतनमान देने सम्बन्धी सेन समिति की सिफारिशें सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों तथा सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा लागू की गई है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का ये वेतनमान शीघ्र लागू करने के लिये कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो कैसे और कब?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के परिशोधित वेतनमान सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में जनवरी, 1, 1973 से लागू कर दिये गये हैं। ये वेतनमान राज्य सरकारों को भी नवम्बर 1974 में स्वीकार करने तथा राज्य विश्वविद्यालय और कालेजों में लागू करने के लिये भेजे गये थे। इस योजना को भेजते समय राज्य सरकारों को ता० 1-1-1973 से ता० 31-3-1979 तक होने वाले अतिरिक्त खर्चे के 80% तक की वित्तीय सहायता देने का सुझाव दिया गया था। राज्य सरकारों को ये वेतनमान संशोधित करने तथा ता० 1-1-1973 के बाद किसी तारीख से लागू करने का भी विकल्प दिया गया था।

निम्नलिखित राज्य सरकारों ने उनके सामने दी गई तारीख से परिशोधित वेतनमान लागू कर दिये हैं और उन्हें केन्द्रीय सहायता भी स्वीकार की जा रही है।

(i)	बिहार	1-4-1973
(ii)	गुजरात	1-1-1973
(iii)	हरियाणा	1-1-1973
(iv)	हिमाचल प्रदेश	1-4-1975
(v)	मणिपुर	1-1-1973
(vi)	मेघालय	1-4-1975
(vii)	पंजाब	1-1-1973
(viii)	उत्तर प्रदेश	1-1-1973
(ix)	पश्चिम बंगाल	1-1-1973

3. महाराष्ट्र सरकार ने परिशोधित वेतनमान के आदेश जारी कर दिये हैं परन्तु कुछ अध्यापकों द्वारा रिट-याचिका दायर किये जाने के कारण इनका लागू किया जाना उच्च न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था। निम्नलिखित राज्य सरकारों ने परिशोधित वेतनमान लागू करने के लिये अपने प्रस्ताव पेश किये हैं तथा केन्द्रीय सहायता द्वारा उनके अनुरोध की जांच उनके परामर्श से की जा रही है।

(i) आन्ध्र प्रदेश

(ii) असम (केवल विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिये)

(iii) जम्मू और कश्मीर (केवल विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिये)

(iv) मध्य प्रदेश

(v) नागालैंड

(vi) उड़ीसा

4. कर्नाटक तथा राजस्थान सरकारों ने केवल विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान स्वीकार करने के आदेश जारी कर दिये हैं परन्तु अभी तक कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी है। तमिलनाडु तथा त्रिपुरा सरकारों ने सिद्धान्त रूप में परिशोधित वेतनमान स्वीकार कर लिये हैं परन्तु उनके लागू करने के लिये कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजे हैं। केरल सरकार ने यह सुझाव दिया है कि उनके द्वारा लागू किये गये वेतनमानों पर केन्द्रीय सहायता के लिये विचार किया जाए परन्तु उनके इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि योजना की मुख्य शर्तें राज्य सरकार को मान्य नहीं थी।

बाल कल्याण संबंधी नीति

1084. **श्री पी०जी० मावलंकर:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में बाल कल्याण संबंधी नीति को लागू करने के लिये ठोस कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक की गई कार्यवाही की मुख्य रूपरेखा और अद्यतन प्राप्त हुए वास्तविक परिणाम क्या हैं;

(ग) वर्ष 1977 में पूरे किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(घ) इसके अन्तर्गत कुल कितने बच्चे आयेंगे और इस पर कितना खर्च आयेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) बच्चों के लिये राष्ट्रीय नीति के अनुसरण में भारत सरकार ने दिसम्बर, 1974 में बच्चों की सेवाओं का उचित समन्वय एवं पुनरावलोकन, योजना के लिये मंच एवं केन्द्र बिन्दू प्रदान करने हेतु, प्रधानमंत्री जी, की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय बाल बोर्ड की स्थापना की थी। बच्चों के लिये राष्ट्रीय नीति कार्यान्वित करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर तैयार किये गये थे और दिसम्बर, 1975 में राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को उचित कार्यवाही हेतु भेज दिये गये थे। अत्यधिक महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांत और उन पर की गई कार्यवाही अनुबन्ध में दिये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 407/77]

(ग) ऊपर (ख) के उत्तर में दिये गये कार्यक्रम अविरल कार्यक्रम हैं और इसलिये 1977 में भी जारी रहेंगे।

(घ) क्योंकि अधिकतर कार्यक्रम अविरल हैं और लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है, इसलिये लाभप्राप्तकर्ताओं की उचित संख्या और उन पर किया गया खर्च देना कठिन है। फिर भी मुख्य कार्यक्रमों के बारे में अंतिम उपलब्ध जानकारी नीचे दी जाती है :—

कार्यक्रम का नाम	लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या लाखों में (1976-77)		किया गया खर्च रुपये लाखों में (1976-77)
1. विशेष पोषाहार कार्यक्रम	38.45		2405.70
2. बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम	2.34		145.31
3. सुरक्षा एवं देखभाल की जरूरत में बच्चों के लिये सदन . .	0.20		163.00
4. समेकित बाल विकास सेवा योजना (पूरक पोषाहार अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा) .	2.418 1.07	}	61.25
5. प्रतिरक्षण .	200.00		75.00
6. पौष्टिक रक्त क्षीणता के विरुद्ध रोगनिरोधन	80.00		40.00
7. विटामिन 'ए' की कमी के कारण नेत्रहीनता के विरुद्ध रोगनिरोधन	120.00		45.00
8. व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम .	1475 खंड	138.00	
9. नौकरी पेशा तथा बीमा माताओं के बच्चों के लिये शिशु सदन . . .	19050	25.00	

उच्च शिक्षा की संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व

1085. श्री गुलाम मोहम्मद खां: क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा तथा समाज के कमजोर वर्गों के उपयुक्त छात्रों को, विशेष रूप से अच्छी संस्थाओं तथा प्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों में, आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने के बारे में अपनी नीतियां घोषित की हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस समय उच्च शिक्षा के लगभग 80 प्रतिशत छात्र देश के 20 प्रतिशत उच्च आय वर्ग सम्पन्न परिवारों से आते हैं जबकि बाकी छात्र गरीब जनता के परिवारों से आते हैं जो देश की जनसंख्या का 80 प्रतिशत बैठता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीतियां क्या हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) से (ग) तक सरकार की नीति उच्च शिक्षा के प्रसार को नियमित करने और साथ ही समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए अवसरों में वृद्धि करने की है। केन्द्रीय सरकार द्वारा बताई गई मार्गदर्शी रूप-रेखाओं के अनुसार उच्च शिक्षा की सभी संस्थाओं में 20 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए जाने चाहिएं। शैक्षिक संस्थाओं को यह भी सलाह दी गई है कि वे किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अपेक्षित अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट दे और यदि अनु०जाति/अनु.ज०जाति के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत स्थान खाली रह जाएं तो अंकों में और छूट दे दी जाए।

सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्च शिक्षा की सुविधाओं का उपयोग फिलहाल मुख्यत: उच्च आय वाले वर्गों के व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। तथापि, सरकार को किसी राष्ट्रीय सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है जिससे उच्च शिक्षा में धनी परिवारों के छात्रों की निश्चित प्रतिशतता का पता चल सके।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि सुधार की प्रगति

1086. श्री सी० के० चन्द्रप्पन: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय से संबंधित मामलों, जैसे भूमि सुधार आदि, के बारे में भूतपूर्व प्रधान मंत्री के बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने में भूतपूर्व सरकार को कितनी सफलता मिली थी;

(ख) क्या इससे संबंधित मामलों के बारे में राज्यवार तथ्य देना संभव है; और

(ग) क्या वर्तमान सरकार का इन मामलों का कार्यान्वयन जारी रखने का विचार है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) और (ख) भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा घोषित किये गये 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के चार सूत्र कृषि और सिंचाई मंत्रालय से संबंधित हैं, और ये हैं:—(1) कृषि भूमि की अधिकतम सीमा की क्रियान्विति तथा अधिशेष भूमि को शीघ्र वितरण और भूमि अभिलेखों का संकलन करना, (2) भूमिहीन और निर्धन वर्गों के लिए आवास स्थलों की व्यवस्था करने के कार्य को तेज करना, (3) ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समाप्ति की योजना, भूमिहीन श्रमिकों, छोटे किसानों और कारीगरों से ऋणों की बसूली को रोकने के लिए कानून बनाना,

और (5) भूमिगत जल के प्रयोग के लिए सिंचाई और राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत 50 लाख हैक्टयर और भूमि को लाना। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार इन कार्यक्रमों के संबंध में की गई प्रग। को दर्शाने वाले 6 विवरण संलग्न हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 408/77]

(ग) इनमें से अधिकांश कार्यक्रम चल रहे थे। इस संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा करना योजना आयोग का कार्य है। उन्हें न केवल अलग-अलग रूप से जारी रखा जाएगा, बल्कि उन्हें दूसरे कार्यक्रमों के साथ-साथ ग्रामीण और कृषि विकास के गहन प्रयत्न के रूप में भी जारी रखा जाएगा।

वृक्षारोपण

1087. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री के पुत्र श्री संजय गांधी ने पांच सूत्री कार्यक्रम के नाम से एक योजना बनाई थी और वृक्षारोपण उनमें से एक कार्यक्रम था;

(ख) पिछली सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाये जाने के बाद क्या इसके क्रियान्वयन पर धनराशि खर्च की गई थी, और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम पर केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी धनराशि खर्च की और इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के क्या परिणाम निकले?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी हां।

(ख) और (ग) बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने के कार्य को वन महोत्सव (1952) और भारत को हरा-भरा बनाने के कार्यक्रमों में तथा काटे हुए वन क्षेत्रों तथा सामुदायिक परती भूमि पर वृक्ष लगाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में, (जिनके लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय निधि का उपयोग किया जा रहा है) स्वीकार किया जा चुका है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए सन् 1976-77 के लिए किये गये 150 लाख रु० के बजट आबंटन को बढ़ाकर 170 लाख रु० कर दिया गया है। सन् 1977-78 के दौरान यह राशि बढ़ाकर 770 लाख रु० कर दी गयी है।

नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा अधिनियम की क्रियान्विति

1088. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन**: क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा अधिनियम की क्रियान्विति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ख) क्या सरकार को राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से कोई अतिरिक्त नगरीय भूमि प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां; तो उसका संक्षिप्त विवरण क्या है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 को आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा,

हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा सभी संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। की गई कार्यवाही इस प्रकार है :—

(1) सक्षम प्राधिकारियों, नगर भूमि ट्रिब्यूनलों और अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

(2) अधिकतम सीमा के अधीन पड़ने वाली खाली भूमि के हस्तान्तरण के बारे में इस अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत नोटिसों पर कार्यवाही की गई है, और की जा रही है।

(3) इस अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत शहरी सम्पत्ति के हस्तान्तरण हेतु पूर्वानुमति के लिए आवेदनों पर कार्यवाही की गई और की जा रही है तथा अनुमति प्रदान की गई है।

(4) इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर ध्यान देने के लिए उच्च स्तरीय समन्वय समितियां नियुक्त की गई हैं।

(5) खाली भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(6) फालतू खाली भूमि के लिए दी जाने वाली राशि की दर निश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न जोनों में नगर संकुलनों को विभाजित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(7) जिन व्यक्तियों के पास फालतू खाली भूमि है उनका विवरण सक्षम प्राधिकारियों को मिल गया है और उनकी जांच की जा रही है।

(8) इस अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत जनहित अथवा कष्ट के कारण छूट देने के लिए आवेदनों की जांच की जा रही है, अब तक जिन आवेदनों पर छूट दी गई है, वे इस प्रकार हैं :—

आन्ध्र प्रदेश	122
गुजरात	685
कर्नाटक	153
महाराष्ट्र	5
पंजाब	2
उत्तर प्रदेश	6
पश्चिम बंगाल	25
दिल्ली	89
छावनी क्षेत्र	2

(ख) तथा (ग) कर्नाटक सरकार से पता चला है कि बंगलौर में 13,174.03 वर्गमीटर खाली भूमि का नगर संकुलन पहले ही सरकार के पास निहित है।

केरल में नारियल के लिये बीज उद्यान

1089. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अप्रैल, 1975 में केरल में नारियल के लिये बीज उद्यान स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या देश में नारियल के लिये बीज सामग्री की अत्याधिक कमी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस योजना को प्राथमिकता देने और शीघ्र मंजूरी देने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) केरल में कोको-बीज-उद्यान लगाने की योजना भारत सरकार ने अप्रैल, 1976 में स्वीकृत की थी जिसका विवरण इस प्रकार है :—

		रुपये
1976-77 .		1,62,200
1977-78 . .		70,800
1978-79 .		80,800
	कुल :	3,13,800

यह बीज उद्यान 8 हैक्टार क्षेत्र में लगाया जा रहा है जिसके लिए पौधरोपण की सामग्री, केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगौड में उपलब्ध कोको की अधिक उत्पादनशील किस्म से ली जा रही है ।

(ग) तथा (घ) कोको के अधिक उपज देने वाली किस्म के अच्छे बीजों अर्थात् 'फारेस्टरों' (जिसको प्रचारित किया जा रहा है) के मामले में भारत अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। इस कमी को दूर करने की दृष्टि से 8-8 हेक्टार क्षेत्र के बीजों के 2 बागीचों के संबंध में अप्रैल, 1976 में स्वीकृति दी गई है जिनमें से 1 केरल में स्थित है।

Production of Groundnut and Oilseeds

1090. Dr. Laxminaryan Pandeya:

Shri Ramanand Tiwary:

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the production of groundnut and other oil seeds during the year 1976-77;

(b) the annual production of groundnut and other oilseeds which would be sufficient to meet their demand in the country; and

(c) the steps taken by Government to meet the shortage?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Firm estimates of production of oilseeds during 1976-77 are likely to be available after the close of the agricultural year ; i.e. some time in July-August, 1977. According to reports available at present, the production of groundnut and of some other oilseeds in 1976-77 is reported to be lower than the record output achieved in 1975-76.

(b) & (c) It is difficult to frame a precise quantitative estimate of demand of oilseeds, which varies from year to year depending on a number of factors. However, based on an annual per capita intake of around 4.5 kgs. the requirement of edible oils for a population of 616.5 million in 1976-77 is estimated at 27.7 lakh tonnes. The annual production of edible oils in the country during 1976-77 falls considerably short of this requirement. The shortage in the current year is being met through imports. Steps are also being taken

to increase the production of oilseeds through the Centrally Sponsored Schemes of Intensive Oilseeds Development Programme, Extension of Oilseeds to new Irrigated Areas and Development of Non-traditional Oilseeds, viz, sunflower and soyabean, as well as through the crushing of cotton seeds and rice bran and collection of oilseeds of tree origin.

Fair price to Farmers for Wheat

1091. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government recently announced any new scheme for ensuring fair price to farmers for their wheat produce;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) whether Government propose to bring in conformity between the price line of goods as are essential for farmers and grain prices and if so, the outlines thereof?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Baranala : (a) & (b) With a view to ensuring a remunerative and reasonable price to the farmer for his produce, Government have decided to purchase all wheat offered by the farmer for sale at the price of Rs. 110/- per quintal fixed for fair average quality as against the procurement price of Rs. 105 per quintal till last year. Zonal restrictions on movement of wheat have also been removed and this is expected to enable the farmer to get even a higher price for his produce. The question of providing further relief to the farmer by way of subsidising inputs like fertilisers is also being considered.

(c) While there is no proposal to maintain a strict parity between prices of essential goods purchased by the farmers and prices of grains, in fixing procurement prices of grains, a number of factors including general level of prices, cost of production etc. are taken into account.

Damage to crop due to hail storms

1092. **Shri Meetha Lal Patel:**

Shri Ishwar Chaudhry:

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government have received or collected any information regarding the estimated damage caused to the crops due to hail storms recently in April, 1977;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the reaction of the Government in this regard?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) & (b) The information is being collected from the State Governments of Punjab, Haryana, U.P. and Rajasthan and it will be laid on the table of the House as soon as it is received.

(c) Does not arise.

Definition of small Farmers

1093. **Shri Meetha Lal Patel:**

Shri K. Mallanna :

Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government have made certain modifications in the definition of sma l farmers;

(b) if so, the factors taken into consideration while defining these farmers; and

(c) whether desert land in Rajasthan was also taken into consideration in this regard; and if so, in what manner?

The Minister of Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Different definitions of small farmers have been adopted for the I.D.A. assisted credit projects and for the special programmes like Small Farmers' Development Agency. Drought Prone Areas Programme, etc. Recently the Government of India have revised the definition of small farmers with reference to Drought Prone Areas Programme in respect of certain States.

(b) The nature of irrigation and productivity levels of important crops were the main criteria for revising the definition.

(c) Yes, Sir. The revised ceiling limits for small holdings in respect of Rajasthan are indicated below:—

	Irrigated area (In hect.)	Dry area (In hect.)
(i) Arid areas		
Bikaner Jaisalmer Barmer Nagaur Churu Jodhpur Jalore Pali	1.50	7.00 (10.00 in Jaisalmer)
(ii) Semi Arid areas		
Other districts of Rajasthan covered under D.P.A.P.	1.50	3.00

The limits as above have been specified separately for arid and semi arid regions of the State.

Heavy Tuition Fee in Good Schools

1094. Shri Meetha Lal Patel: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that heavy tuition fee has to be paid from the very beginning for educating children in good schools as a result of which people belonging to low and middle income groups are deprived of this facility; and

(b) if so, whether Government have taken certain steps to bring about radical changes in this system of education so as to ensure that general and lower section of the people are also able to avail of this facility?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) and (b) It will not be correct to say that good schools are only those schools which charge heavy tuition fees. While the tuition fee in Government and Government aided schools is generally regulated, the unaided private recognised schools determine tuition fee which they have to charge as they do not receive grant-in-aid from the Government.

The National Policy on Education (1968) contains the following statement with regard to admissions in special schools:—

"all special schools including public schools should be required to admit students on the basis of merit and also to provide prescribed proportion of free studentships to prevent segregation of social classes....."

During the 30th Session of the Indian Public Schools' Conference held at New Delhi in February, 1969 the late President, Dr. Zakir Hussain in his inaugural speech exorted the public schools to consider the desirability and possibility of instituting certain proportion of scholarship to talented students who do not have the financial means to join such institutions. In response to the President's appeal the Conference passed the following resolution:—

"Conference is unanimously of the view that every endeavour should be made to make it possible for wider public to avail itself of education at its schools and, having discussed the financial implications of this in depth, resolves that member schools take all measures compatible with the maintenance of standards, to keep costs as low as possible and to find ways and means of instituting scholarships on the basis of means and merit test, the following pattern being suggested:

(a) 2 to 5 percent of school strength as boarders; and

(b) 3 to 10 percent as day-boarders".

It is not known as to whether the public schools have actually instituted scholarships in terms of this resolution. The Government of India, is however administering the following two schemes of scholarships to enable children belonging to rural areas and those belonging to low income groups with a view to giving them an opportunity to study in special schools as well as approved residential secondary schools:—

(i) National Scholarships at the Secondary stage for talented children from Rural areas;

(ii) Government of India Scheme of Scholarships in approved Residential Secondary Schools.

The position with regard to each of these schemes is as follows:—

(i) To enable talented children from rural areas to study in good selected schools, two scholarships per Community Development Block are awarded under this scheme on merit basis. The students are required to study in schools selected by the State Governments where better facilities for education are available. The rates of scholarships admissible to scholars under this scheme are Rs. 500/ per annum for day scholars and Rs. 1000/- per annum for Hostelers provided they study in selected schools. This enables the talented rural children to have good education.

(ii) With a view to extending the benefits of public Residential School Education to deserving and talented children specially of lower income groups who otherwise be unable to avail such facilities because of lack of funds, Government of India administers a Scheme of Scholarships in approved Residential Secondary Schools. Under this Scheme 500 scholarships are awarded every year to the children in the 11-12 years age-group whose parental income does not exceed Rs. 500/- per month. Further 15 percent and 5% of the scholarships are reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates from States and Union Territories on the basis of their populations subject to their fulfilling minimum standard laid down. The selected scholars are entitled to full amount of school fees including cost of books and stationery, residential and such other non-refundable compulsory charges. Besides, they are given pocket allowance, clothing/Uniform allowance as well as cost of travelling for to and fro journeys.

Land Reforms

1095. Shri Mangal Deo Visharad : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the previous Government failed to effect land reforms and allot sufficient land for agriculture to the weaker sections;

(b) if so, the steps being taken to enforce land reforms effectively; and

(c) whether a committee of Members of Parliament or a Commission is proposed to be set up in this regard ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) A statement is attached.

(b) Land reforms is a State subject under the Constitution. The Government of India has been urging the States from time to time to take expeditious steps for its implementation. The implementation of the programme is reviewed from time to time in association with the State Governments and necessary corrective measures are suggested.

(c) No, Sir.

Statement

The first step in the process of land reforms was abolition of intermediary tenures like zamindaries, jagirs, inams etc. This has practically been completed and more than 20 million cultivators have been brought in direct contact with the State. Only a few minor inams and Jagirs remain and necessary steps for their abolition are being taken.

Land Reforms Policy has two main ingredients security of tenure and ceiling on agricultural holdings.

Security to tenure:

In a large number of States, the law either provides for automatic conferment of ownership rights on the cultivating tenants in the land or allows them to purchase such rights. Wherever tenancy has been allowed in whatever form, the legislations provide for protection against ejectment of tenants except under specified conditions as also for regulation of rent. In many cases, the right to resume land for personal cultivation by the land holder has been made subject to the condition that a minimum area is left with the tenant.

Ceiling on agricultural holdings:

Under the ceiling laws prior to their revision in pursuance of the guidelines issued in 1972, 8.1 lakh hectares of surplus land were distributed. Subsequent to the revision, 15 lakhs hectares of land have been declared surplus of which more than 8 lakh hectares have been taken possession of by States. Of the area taken possession of 4.8 lakh hectares have been distributed among 8.2 lakh beneficiaries. The programme of implementation is still under way.

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में ज्यातियां

1096. श्री चित्त बसु : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को आपातकाल में की गई ज्यादतियों की जांच करने के लिए जांच समितियां नियुक्त करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख) कुछेक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आपातकाल में की गई ज्यादतियों की जांच की मांग करने वाले कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदन तथा उन पर विश्वविद्यालयों की टिप्पणियां यह देखने के लिए विचाराधीन हैं कि क्या निरीक्षणीय जांच का कोई मामला है।

अनाज का निर्यात

1097. **श्री चित्त बसु**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के विचार चालू वर्ष में अनाज का निर्यात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) सरकार ने चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के निर्यात की अनुमति देने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। तथापि, पिछले वर्षों की तरह चालू वर्ष के दौरान बढ़िया बासमती की सीमित मात्रा का निर्यात जारी रखने की अनुमति दी गई है।

रिहेबिलेटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड

1098. **श्री चित्त बसु**: क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिहेबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड को संकट में गुजरना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह संकट किस प्रकार का है तथा उसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस कारपोरेशन को संकट से उबारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) और (ग): कारपोरेशन एक कठिन स्थिति से गुजर रहा है जिसके मुख्य कारण ये हैं—(1) इसके हथकरघा उत्पादन के बाजार की समस्या; (2) कुछ इंजीनियरिंग एककों के उत्पादन के लिए आदेशों का अभाव; (3) श्रमिक, जो भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी हैं, वे कुशल कामगार नहीं हैं।

कारपोरेशन के अधीन बहुत से एककों के लिए पर्याप्त आदेश प्राप्त करने और श्रमिकों को गैर-व्यवहार्य एककों से आर्थिक दृष्टि से सुदृढ एककों में लगाने के लिए गत वर्ष के दौरान उचित कदम उठाए गए हैं।

दिल्ली में चित्तरंजन भवन का स्थापित किया जाना

1099. **श्री चित्त बसु**: क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देशबन्धु, चित्तरंजनदास की याद में दिल्ली में चित्तरंजन भवन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : जी, नहीं।

दिल्ली नई दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों का गिराया जाना

1100. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर को सुन्दर बनाने के नाम पर तत्कालीन दिल्ली और नई दिल्ली के प्रशासन तथा नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा आपातकाल की अवधि में दिल्ली तथा नई दिल्ली में कितनी झुग्गी झोपड़ियां गिराई गई थीं ;

(ख) नगर को सुन्दर बनाने के लिए तत्कालीन सरकार के इस अभियान के परिणामस्वरूप कुल कितने परिवार प्रभावित हुए ;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि भतपूर्व प्रधान मंत्री के पुत्र श्री संजय गांधी ने स्वयं इस अभियान को चलाया था;

(घ) क्या सरकार ने निष्कासित किए गए परिवारों को आसपास की कालोनियों में पुनर्वास की योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग): मामला तथ्य अन्वेषण समिति के समक्ष है जिसे आपातकालीन अवधि के दौरान दिल्ली में मकान आदि गिराए जाने के बारे में सभी उपलब्ध सूचना एकत्र करने के लिए पहले ही स्थापित किया जा चुका है ।

(घ) तथा (ङ): सरकार का निर्णय यह है कि उन व्यक्तियों को जिन्हें रिहायशी क्षेत्रों से हटाया गया है, उन क्षेत्रों का उचित पुनर्विकास करने के बाद, उन्हीं क्षेत्रों में पुनः बसाया जाए ।

नई दिल्ली में त्रिलोकपुरी में मिट्टी भरने के ठेके

1101. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली सरकार के शासन के दौरान त्रिलोकपुरी पुनर्वास कालोनी, नई दिल्ली में मिट्टी भरने संबंधी ठेके किस व्यक्ति को दिए गए ;

(ख) ये ठेके किस मूल्य के थे;

(ग) क्या भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के पुत्र श्री संजय गांधी का इन ठेकों में हित था और यदि हां तो तत्संबंधी क्या तथ्य हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कम सप्लाई और गलत माप के आरोपों की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) उन ठेकेदारों के नामों का विवरण जिन्हें मिट्टी भरने का ठेका दिया गया था, संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 404/77]

(ख) 19,82, 310/- रुपये ।

(ग) सरकार को अभी मालम नहीं है ।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यरो ने हाल ही में इस कार्य के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण से रिकार्ड मंगवाया है ।

(ङ) इस मामले में अभी तक कोई अन्वेषण प्रस्तुत नहीं किए गए ।

राज्यों में प्राइमरी स्कूल शिक्षकों के वेतन

1102. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइमरी स्कूल शिक्षक के वेतन और भत्ते एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न हैं और इस बारे में पर्याप्त विषमता है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस विशेष मामले में समान मार्गदर्शी सिद्धांत (न्यूनतम मंज़री) निर्धारण करने पर विचार कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 410/77)

(ग) जी, नहीं ।

खाद्यान्नों का उत्पादन

1103. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76 के दौरान वस्तुत: कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1976-77 का अनुमानित उत्पादन कितना है;

(ग) वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान कुल कितने खाद्यान्नों की वसूली हुई और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के द्वारा कुल कितने खाद्यान्नों का वितरण हुआ; और

(घ) वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के अन्त में कितना-कितना रक्षित भंडार (बफर स्टाक) उपलब्ध था ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) फसल वर्ष 1975-76 (पहली जुलाई से शुरू) के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 1210 लाख मीटरी टन होने का अनुमान था । वर्ष 1976-77 के खाद्यान्नों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान चालू फसल वर्ष की समाप्ति के बाद उपलब्ध होने की संभावना है । तथापि, 1975-76 की तरह फसल वर्ष 1976-77 के दौरान मौसम की स्थिति उतनी अनुकूल नहीं रही है और उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 1976-77 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन पिछले वर्ष के रिकार्ड स्तर से कम हो सकता है ।

(ग) वित्तीय वर्ष 1975-76 और 1976-77 के दौरान खाद्यान्नों की आन्तरिक वसूली क्रमशः लगभग 103 लाख मीटरी टन और 121 लाख मीटरी टन हुई थी । इन वर्षों में सार्वजनिक वितरण क्रमशः 103 और 102 लाख मीटरी टन के आस-पास था;

(घ) वित्तीय वर्ष 1975-76 और 1976-77 के अंत में सरकारी एजेंसियों के पास (बफर तथा परिचालन दोनों) कुल अनुमानित स्टाक क्रमशः 105 लाख मीटरी टन और 180 लाख मीटरी टन था।

अनाज की खरीद

1104. श्री विजय कुमार मंडल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किसानों को अब जब शुल्क से छूट दे दी गई है; यदि गैर-सरकारी मण्डियां उन्हें कम दरों की पेशकश करती हैं तो किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर अपना अनाज बेचने के लिये क्या सुविधाएं दी गई हैं ;

(ख) सरकार ने वर्ष 1977 में अब तक कितनी मात्रा में गेहूं और अन्य अनाज की खरीद की; और

(ग) इस काम में लगे राज्यों के लोगों तथा गोदाम कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कदाचारों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सरकारी एजेंसियों ने सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्यों पर गेहू, जौ और चने की खरीदारी करने के लिए विभिन्न राज्यों में बहुत अधिक संख्या में क्रय केन्द्र खोले हैं ।

(ख) 1977-78 के रबी विपणन मौसम के दौरात 18 जून, 1977 तक सरकारी एजेंसियों ने कुल 45.89 लाख मीटरी टन गेहूं खरीदा था । इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम ने खुले बाजार में वाणिज्यिक खरीदारी के रूप में 9961 मीटरी टन जौ और 19854 मीटरी टन चना खरीदा है

(ग) कदाचारों को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों के अधिकारियों, भारतीय खाद्य निगम और मंडियों/क्रय केन्द्रों पर अन्य वसूली एजेंसियों द्वारा निरन्तर चौकसी और निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा, मंडी समितियां और फील्ड स्तरीय समन्वय समितियां भी किसानों के हितों की निगरानी कर रही हैं और कदाचारों को समाप्त करने में मदद कर रही हैं ।

केरल में संस्कृति विद्यापीठ की स्थापना

1105. श्री पी० के० कोडियन :

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक संस्कृति विद्यापीठ की स्थापना करने संबंधी मामला वर्ष 1974 से सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का अनुमोदन करने में विलम्ब के क्या कारण हैं।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) विद्यापीठों की स्थापना के लिए, केरल में विद्यापीठ की स्थापना, विस्तृत योजना का एक भाग था, जिस पर विचार करने के लिए समय लगा। हाल ही में, केरल में विद्यापीठ के मामले को अलग से उठाने का निश्चय किया गया है तथा मामले पर राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है।

मूल्य कम करने के लिए अनाज के भंडार से अनाज सप्लाई करने की मांग

1106. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय अनाज व्यापारी संघ ने मांग की है कि सरकार को कीमतें कम करने की दृष्टि से अनाज के फालतू भण्डार को खुले बाजार में देना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अखिल भारतीय अनाज व्यापारी संघ द्वारा जारी की गई प्रैस-विज्ञप्ति की एक प्रति 21 मई, 1977 को प्राप्त हुई है। अन्य बातों के साथ-साथ फैडरेशन ने सरकारी एजेंसियों द्वारा खुले बाजार में दालों, चना तथा मक्का आदि के फालतू स्टाक को बेचने का सुझाव दिया है ताकि उनके मूल्यों को नीचे लाया जा सके।

(ख) भारत सरकार की ओर से खरीदारी करने वाली सरकारी एजेंसियों ने सुरक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दालों और चने की केवल सीमित मात्राएं खरीदी हैं और खुले बाजार में बेचने के लिए कोई फालतू स्टाक नहीं है। जहां तक मक्का का संबंध है उसकी जो भी मात्राएं उपलब्ध हैं वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिए जाने के लिए हैं और इन्हें खुले बाजार में बिक्री करने के लिए निर्मुक्त नहीं किया जा सकता है।

रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के प्रिंसीपल पर आरोप

1107. श्रीमती विभाघोष गोस्वामी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के एसोसिएशन ने रीजनल इंजीनियरिंग कालेज दुर्गापुर के प्रिंसिपल पर बहुत से आरोप लगाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) तथा (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज कर्मचारी संघ से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लिखित था कि कालेज के प्रिंसिपल प्रो० एम० एल० मण्डल, ने, पिछले संसदीय चुनाव में दुर्गापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में खड़ा होने के लिए कांग्रेस टिकट मांगा था और कांग्रेस ने स्टाफ क्वार्टरों में से एक क्वार्टर में अपना चुनाव कार्यालय खोला था।

इसी बीच, अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर प्रो० मण्डल ने कालेज छोड़ दिया है और वे अपने मूल विभाग में लौट गए हैं। तथापि, संघ द्वारा लगाए गए आरोप को कालेज के प्राधिकारियों को भेज दिया गया था, जिन्होंने सूचित किया था कि भूतपूर्व प्रिंसिपल प्रो० एम० एल० मण्डल द्वारा, पिछले लोक सभा चुनाव में कांग्रेस नामजदगी की मांग का समाचार कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि कालेज के अहाते में एक चुनाव कार्यालय स्थापित किया गया था।

प्रो० मण्डल से संपर्क स्थापित किया गया था, जिन्होंने सूचित किया कि उन्होंने स्थायी तौर पर अपनी रजामन्दी दे दी थी तथा नामजदगी के लिए आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परन्तु बाद में अपना आवेदन पत्र वापस ले लिया था। प्रो० मण्डल का कहना है कि अहाते में चुनाव कार्यालय उनकी जानकारी के बिना खोला गया था। कालेज के शासी बोर्ड से इस मामले की जांच कराने को अनुरोध किया जा रहा है।

Uniform Procurement Policy for Foodgrains

1108. **Shri Ishwar Choudhary:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether State Governments lay down the procurement policy themselves and determine the prices of foodgrains unilaterally from time to time for the purpose of procurement by the F.C.I.;

(b) whether due to such policy of States it is not possible to evolve a uniform policy of procurement for the whole country; and

(c) if so, the policy of the Government in this regard ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) (a) (b) & (c): The price and procurement policy of all major foodgrains is decided by the Government of India on the basis of the recommendations of the Agricultural Prices Commission and in consultation with the State Governments. The mode and agency of procurement of foodgrains is generally left to be decided by the State Governments in the light of the conditions prevalent therein. It is neither possible nor desirable to evolve a uniform policy with regard to the system of procurement.

Shortcomings in Sports

1109. **Shri Ishwar Choudhary:**
Shri P.K. Deo:
Shri Nihar Laskar:

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the shortcomings in the field of sports as a result of which India faces difficulties in achieving progress in this field;

(b) whether one of the reasons is that the relation between the officials and players are not cordial and as a result country faces defeat; and

(c) whether Government are formulating any scheme at Central level and if so, the expenditure likely to be incurred thereon during the Five Year Plan?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a), (b) & (c): It is proposed to undertake a comprehensive review of various sports programmes and policies shortly, keeping in view the stipulations laid down by the International Olympic Committee and other bodies. This review would also cover steps needed to ensure that performance of sports teams in International tournaments is not adversely affected due to extraneous circumstances.

Central Aid to drought stricken States

1110. **Shri Ishwar Choudhary:** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state:

(a) whether there is any scheme under consideration of Government for providing relief through a centrally sponsored programme to those areas in the drought-stricken States where the drought conditions become worst every year;

(b) if so, the fact thereof;

(c) the amount being provided by Government as assistance to those States which have to face drought conditions every year; and

(d) whether there is any Government agency to ensure full utilisation of the assistance and make a report thereof to the Central Government?

The Minister of Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) (a) and (b): Government are not considering any scheme for providing relief through a centrally sponsored programme to those areas in the drought-stricken States where the drought conditions become worst every year. However, there is a scheme in the Central Sector known as the Drought Prone Area Programme (formerly)known as Rural Works Programme which has been in operation since 1970-71. To start with this programme aimed at providing employment opportunities on sustained basis to the people in these areas by organising labour intensive works such as medium/minor irrigation, soil conservation, afforestation, rural roads etc. Subsequently, the programme was re-oriented on the basis of areas development approach. Seventy four districts spread over 13 States have been wholly or partly identified as drought prone. The area have been selected on the basis of certain objective criteria such as high periodicity of drought, low and erratic distribution of rainfall, low extent of irrigation facilities and the low general level of development. During the Fifth Plan, a central allocation of Rs. 181.5 crores has been made for the programme. With matching contribution by the State Govts. the total order of Government investment is expected to be Rs. 330 crores and taking into account the credit component involved under the programme the total Fifth Plan outlay is anticipated around Rs. 500 crores. The strategy, during the current Plan, is to improve the economy of these areas through a package of infrastructural and on-farm development activities with the objective of optimal utilisation of land, water, human and livestock resources of the areas concerned. Special stress is laid on providing regular income and employment to the small and marginal farmers and agricultural labourers by organising credit facilities and providing them subsidy for building durable capital assets.

(c) & (d): Consequent upon the acceptance by Government of the recommendations of the Sixth Finance Commission, Central assistance to States for meeting non-Plan expenditure necessitated by natural calamities is not available with effect from 1-4-1974. Such non-Plan expenditure is to be met by the States from their own resources and the Margin money provided to them by Government on the recommendations of the Commission. Margin money available with the States is as under:

(Rs. in lakhs)

1. Andhra Pradesh	431	2. Assam	125
3. Bihar	461	4. Gujarat	455
5. Haryana	124	6. Himachal Pradesh	3
7. Jammu & Kashmir	35	8. Karnataka	191
9. Kerala	30	10. Madhya Pradesh	341
11. Maharashtra	417	12. Manipur	4
13. Meghalaya	4	14. Nagaland	2
15. Orissa	358	16. Punjab	33
17. Rajasthan	1019	18. Tamil Nadu	152
19. Tripura	7	20. Uttar Pradesh	218
21. West Bengal	661		

The Central Government comes into picture only when Advance Plan Assistance is required by the States when their resources available fall short of their requirements. Since the assistance is released against the Plan schemes only, there is no separate arrangement at the Centre for monitoring the utilisation of such assistance.

To be Answered on the 20th June 1977

Jersey Breed Cow for Bihar

1111. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Bihar received 101 Jersey breed cow from Australia as a gift through Government of India in March, 1977;

(b) whether an amount of Rs. 50 lakhs was spent on their transportation;

(c) whether all the cows were pregnant and out of them, 39 have died and others have aborted; and

(d) if so, the action proposed to be taken for this irreparable loss ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Bihar received 99 Jersey heifers and 2 Jersey bulls (Total 101 animals).

(b) No. About Rs. 5 lakhs was spent on their transportation.

(c) Most of the cows were in very early stage of pregnancy. 38 cows and one bull, total 39 animals died and 39 others have oborted. 14 cows are still pregnant.

(d) Government of Bihar has constituted a committee for thorough enquiry into the circumstances and suitable action would be taken to prevent recurrence of such a tragedy.

गुजरात राज्य में आवास परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

1112. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में गरीबों के लिए आवास परियोजना हेतु मकान बनाने योग्य भूमि का विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार से और अधिक सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने राज्य को इस उद्देश्य के लिए गत तीन वर्षों में कितनी सहायता दी है ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को कितनी सहायता दी जाएगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) गुजरात सरकार सहित राज्य सरकारों को जीवन बीमा निगम ऋणों के नियतन के अतिरिक्त, जिनकी जल्दी ही तय हो जाने की आशा है, अन्य दूसरी सहायता का उल्लेख करना कठिन है, जो केन्द्रीय सरकार दे सकती है क्योंकि यह सहायता राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई और पेश की गई परियोजना के टाइप पर बहुत अधिक निर्भर है ।

सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये केन्द्रीय सहायता

1113. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या गत तीन वर्षों में गुजरात सरकार ने राज्य द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली कुछ सिंचाई योजनायें केन्द्र सरकार के पास भेजी थी ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है और उनके क्रियान्वयन के लिये सहायता सुनिश्चित कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो सिंचाई में सुधार करने के लिये केन्द्र ने राज्य को अब तक कितनी सहायता दी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) गुजरात सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान दो बृहद और आठ मध्यम सिंचाई स्कीमों की रिपोर्टें केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति के लिए भेजी थीं । योजना आयोग ने इस बीच चार मध्यम स्कीमों, नामशः देव, सानी, उंड और कालूमार को अनुमोदित कर दिया है ।

शेष स्कीमों में से, एक बृहद और दो मध्यम स्कीमों के बारे में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के संबंध में राज्य सरकार के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है । दो माध्यम स्कीमों में अन्तर्राज्यीय पहलू शामिल हैं तथा एक बृहद स्कीम की जांच आयोग में की जा रही है ।

सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकास योजनाओं के ढांचे के अन्दर की जाती है । राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और इसका संबंध किसी विशिष्ट विकास क्षेत्र अथवा परियोजना से नहीं होता । निर्माण-कार्यों की गति में तेजी लाने तथा चुनी हुई सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई के लाभ शीघ्र प्राप्त करने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार को 1975-76 के दौरान 7.30 करोड़ रुपए और 1976-77 के दौरान 3 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता दी थी ।

गुजरात में शिक्षा सुधार और बाल कल्याण के लिए धनराशि

1114. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा में सुधार और बाल कल्याण के लिए गुजरात राज्य को पर्याप्त धनराशि प्रदान नहीं की गई ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कुल कितनी सहायता दी ;

(ग) राज्य सरकार ने कितनी सहायता का उपयोग किया ; और

(घ) इस राज्य में बच्चों की शिक्षा और कल्याण में वृद्धि करने के लिए राज्य को अन्तिम सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) राज्य योजना कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता पूरी योजना के लिए दी जाती है, न कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मध्य आय वर्ग के मकानों का आवंटन

1115. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गत दो वर्षों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मध्य आय वर्ग के मकानों की आवंटन की जाँच करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

New variety of Mangoes

1116. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of saplings of a new hybrid variety of 'neelam' and 'dashahri' mangoes which have been provided to Central Nurseries during the last 3 years for plantation and the places where such saplings are being prepared; and

(b) the regions where this variety of mango is in great demand ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Six hundred bud-sticks of Mallika variety, a hybrid of Neelam and Dashari mango, have been supplied during the last 3 years to two Central Institutes and nine Agricultural Universities and research stations. In addition, 48 grafted plants (saplings) have been provided to progressive growers, 20 plants to centres under Operational research project and 108 plants for National demonstrations in different states. These centres are expected to propagate this material in their nurseries. At this stage, the plants are being multiplied only at Indian Agricultural Research Institute, New Delhi.

(b) The variety has good demand in North, North West and North-East region of the country.

Preference to Candidates belonging to Scheduled Castes in Recruitment of Teaching Staff in Universities/Colleges

+1117. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether any preference is given to candidates belonging to Scheduled Castes in recruitment of teaching staff in Central and other Universities and their affiliated colleges, if they fulfil the prescribed qualifications;

(b) if so, the rules in this behalf and whether these are being observed; and

(c) whether any enquiry has been made in this regard; if so, the results thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a), (b) and (c) In order to ensure reservations for Scheduled Castes/Scheduled Tribes for recruitment to the posts of lecturers in the Universities/Colleges, the University Grants Commission has recommended the following procedure to the State Universities/State Governments and Central Universities :—

(1) Before the beginning of each academic year, the University should determine the likely vacancies that may occur during the year for recruitment to the posts of lecturer.

(2) The number of posts to be filled under the reserved category may be determined faculty-wise, although no individual post may be designated as "reserved post".

The advertisement for these posts should indicate that preference would be given to Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates who are considered fit. On receipt of applications, the university may invite for interview all Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates who fulfil the minimum qualifications prescribed for recruitment for the post of lecturer.

(3) The candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes may be interviewed separately in the first instance. The candidates belonging to the general category may then be interviewed separately.

(4) In the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates interviewed by the committee, if suitable candidates are not available for appointment to the posts of lecturer, the selection committee may recommend appointment of suitable candidates as research associates in the scale of Rs. 700-1300 for a period up to three years and these persons could later compete for the posts of lecturer as and when vacancies occur.

In February 1977, the University Grants Commission requested the universities to intimate the action taken or proposed to be taken by them in the matter. A summary of the replies received from Central Universities is given in Appendix-I. Replies received from State Universities have been summarised in Appendix II. Information in respect of other State Universities is not available. [Placed in Library See No. L.T. 411/77]

Sale of Underweight and Deficient Fertiliser

1118. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints that farmers are sold fertiliser which is underweight and deficient in prescribed component without affecting corresponding reduction in the price;

(b) if so, the efforts being made to check this irregularity; and

(c) whether the dealers are allowed any discount in loss in weight in transit and if so, to what extent ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) and (b) No complaint has been received about the sale of fertilisers to the farmers in short weight and deficient in nutrient contents. Fertiliser (Control) Order, 1957 prescribes specifications for fertilisers and indication of weight on bags. Any contravention in this regard is to be dealt with by State Governments, who have been empowered to take penal action against such offence. Short weight is also punishable under Weight and Measures Act and State Governments have adequate power to take action under this Act.

Adequate provision for disposal of sub-standard fertilisers has also been made in the Fertiliser (Control) Order and the detail procedure has been prescribed for this purpose. Such fertiliser are normally sold to the Granulation and mixing units. Prices of such fertilisers are fixed on the basis of nutrient contents.

(c) Dealers are to supply fertilisers of prescribed specifications and weight to the farmers. However, for any transit shortage adequate provision has been made in the distribution margin e.g. in case of urea Rs. 8.74 per tonne is allowed to cover losses due to transit shortage.

New Variety of Potato and Pulses

1119. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the new varieties of potatoes and pulses released during 1976-77 and the varieties of those which are in the pre-release stage; and

(b) the method adopted in their release ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Although no variety of potato has been released during 1976-77, in case of pulses L550 variety of gram, M.L.S.9 variety of *moong* and C152 variety of cowpeas have been released in June, 1977.

Potato varieties No. SLB/Z-405 a tentatively named Kufri Navjyot, and No. G2524, tentatively named Kufri Navtej, and in case of pulses H208, G130, JG625 and Annigeri varieties of gram, Pant 209 and Pant 406 varieties of Fentil, EC33866 and L116 varieties of pea, have been recommended by the respective workshops and are now in the pre-release stage.

(b) Based on several seasons' testing on experimental plots, promising varieties are indentified at the workshops of the concerned crops. If the workshop recommends a variety it is given out for testing at a number of places at the farms of the State Departments of Agriculture and in the farmers' fields. The results of such trials alongwith the data from the workshop are then placed before the Central Sub-Commtitee for Release of varieties of the Ministry of Agriculture for decision regarding their release.

अपने मकानों वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास खाली करने सम्बन्धी आदेशों का समाप्त किया जाना

1120. श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार उन आदेशों को रद्द करने का विचार कर रही है जिनके अनुसार उन कर्मचारियों को सरकारी आवास खाली करने हैं जिनके कार्यस्थल के निकट अपने मकान हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) ऐसे कितने कर्मचारियों ने अपने मकान सरकार को दे दिए हैं अथवा सरकारी आवास खाली कर दिए हैं ;

(घ) क्या कुछ सरकारी कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितने तथा किन श्रेणी के कर्मचारियों को ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) तथा (ख) निजी मकान वाले विशेषकर कम आय वाले निजी मकान के अधिकारियों द्वारा पेश आ रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मौजूदा निजी मकान के आदेशों में संशोधन करने का निर्णय किया है जिससे निजी मकान वाले अधिकारियों को सामान्य शर्तों पर तथा कतिपय शर्तों के आधार पर सरकारी वास के लिए पात्र बना दिया है ।

(ग) दिल्ली में 111 अधिकारियों के निजी मकान, सरकार द्वारा पट्टे पर सामान्य पूल में ले लिए गए हैं और 2753 निजी मकान वाले अधिकारियों ने सरकारी वास खाली किया है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) दिल्ली में सामान्य पूल से मकानों का आवंटन किए गए 40 अधिकारियों को छूट दे दी गई है क्योंकि उनके नाम मकान हिन्दू अविभाजित पारिवारिक सम्पत्ति/संयुक्त सम्पत्ति का भाग हैं जो छोटे हैं और स्वतन्त्र रिहायशी एकक में विभाजित नहीं किए जा सकते । दो अन्य मामलों में छूट इसलिए दी गई क्योंकि अधिकारियों की ड्युटियां विशेष प्रकार की थीं ।

तमिलनाडु और केरल द्वारा अधिक चावल का अनुरोध

1121. **श्री आर वी स्वामीनाथन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु और केरल राज्यों ने अप्रैल और मई मास में केन्द्र से और अधिक चावल सप्लाई करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केंद्रीय सरकार की क्या प्रक्रिया है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा आज तक इन राज्यों को कुल कितनी मात्रा में चावल सप्लाई किया गया है ; और

(घ) राज्यों की कुल कितनी मांग थी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख), (ग) और (घ) तमिलनाडु और केरल की सरकारों से चावल की सप्लाई के लिए प्राप्त मांग, इस मांग के प्रति केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया चावल का आवंटन और इन आवंटनों के प्रति वास्तविक सप्लाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

(हजार मीटरी टन में)

क्रम संख्या	राज्य	मास	चावल की सप्लाई के लिए राज्य सरकार से प्राप्त मांग	केन्द्रीय पूल से किया गया आवंटन	केन्द्रीय पूल से की गई सप्लाई
1.	तमिलनाडु	अप्रैल, 77	—	—	—
		मई, 77	50.0	50.0	3.2*
2.	केरल	अप्रैल, 77	150.0	125.0	120.9
		मई, 77	150.0	125.0	125.3

*क्योंकि तमिलनाडु में उपभोक्ताओं की कच्चे चावल के लिए मांग बहुत ही कम बतायी गई थी इसलिए तमिलनाडु सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के पास स्वीकार्य किस्म के सेला चावल की उपलब्ध मात्रा के आवंटन के प्रति चावल लेना बन्द कर दिया था ।

सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा वसूली कार्य

1122. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की एक एजेन्सी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ने हाल में वसूली कार्य तेज कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो वे गेहूं की खरीद किस मूल्य पर कर रहे हैं ;

(ग) क्या पंजाब में मई तक केवल 7234 मीटरी टन गेहूं मंडी में आया है और इसमें से 6542 मीटरी टन गैर-सरकारी ऐजेन्सियों द्वारा और 389 मीटरी टन सरकारी ऐजेन्सी द्वारा खरीदा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) चालू गेहूं वसूली मौसम मई, 1977 के अन्त तक भारतीय खाद्य निगम ने केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में गेहूं की वसूली करने के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की सेवाओं का उपयोग किया था । पहली जून, 1977 से निगम राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की सेवाओं का उपयोग नहीं कर रहा है बल्कि मूल्य साहाय्य खरीदारी सीधे कर रहा है । राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ने सरकार द्वारा निर्धारित साहाय्य मूल्य पर गेहूं की वसूली की थी । मूल्य में किस्म संबंधी कटौती की जाती थी ।

(ग) जी नहीं, । मई, 1977 के अन्त तक पंजाब की मंडियों में गेहूं की कुल आमद 21.62 लाख मीटरी टन हुई थी जिसमें से 20.95 लाख मीटरी टन गेहूं सरकारी एजेन्सियों द्वारा वसूल किया गया था ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शिक्षा के लिए तमिलनाडु को अनुदान

1123 **श्री आर० वी० स्वामीनाथन**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में गत तीन वर्षों में कितना अनुदान दिया है;

(ख) राज्य सरकार ने इसका उपयोग किस प्रकार किया है, और

(ग) चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को कुल कितनी सहायता दी जानी है और राज्य सरकार उसका उपयोग किस प्रकार करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) राज्य योजना कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता पूरी योजना के लिए दी जाती है, न कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तमिलनाडु में खाद्यान्नों का उत्पादन

1124. **श्री अरविन्द बाला पजनौर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में तमिलनाडु में खाद्यान्नों का कितना उत्पादन हुआ और इसके लक्ष्य क्या थे;

(ख) कितनी भूमि में सुधरे हुये बीजों और अधिक उपज देने वाले बीजों की बुआई का लक्ष्य था तथा उसमें कितनी कमी रही और इसके क्या कारण थे,

(ग) इस राज्य में खाद्यान्न के उत्पादन पर सूखा और कमी की स्थितियों से बुरा प्रभाव पड़ा; और

(घ) इस राज्य में इष्टतम उत्पादन के लिए सहायता करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में खाद्यान्नों के लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन के बारे में आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

(हजार मीटरी टन)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1972-73	7500	7167
1973-74	7900	7325
1974-75	7700	4797
1975-76	8060	7761
1976-77	8100	*

*उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जलाशयों में जल की मात्रा कम होने और राज्य के कुछ क्षेत्रों में वर्षा का वितरण सही न होने के कारण 1975-76 की तुलना में कुछ कम उत्पादन होने की सूचना मिली है ।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में धान, मक्का, ज्वार एवं बाजरा की अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल क्षेत्र के लक्ष्य, उपलब्धियां और दोनों के बीच के अन्तर को नीचे दिया गया है :—

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	अन्तर
1	2	3	(3)-(2)
1972-73	2675	2857	(+) 182
1973-74	2857	2307	(—) 550
1974-75	2680	2067	(—) 613
1975-76	2755	2396	(—) 359
1976-77	2500	2500* (प्रत्याशित)	—

*वार्षिक योजना (1977-78) की चर्चा के समय राज्य सरकार द्वारा प्रत्याशित ।

1972-73 के दौराव तमिलनाडु मे ग्रांधक उत्पादनशील किस्मों के खेती के कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत ग्राने वाले क्षेत्र का परिमाण एक नये स्तर तक पहुंच गया । परन्तु उसके पश्चात् तीन वर्षों में लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सकता । 1974-75 के दौरान ग्रप्रत्याशित सूखे की स्थिति के कारण यह कमी विशेषकर प्रकट थी । तथापि, 1976-77 में लक्ष्यों के पूर्ण होने की सूचना मिली है ।

योजना ग्रायोग ने वार्षिक योजनाग्रों के ग्रन्तर्गत उन्नत बीजों के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये हैं । तथापि, तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई जानकारी के ग्राधार पर यह ग्राशा हो गई है कि बीजों की ग्रावश्यकता को पूरा किया जा सकेगा ।

(ग) खाद्यान्नों का उत्पादन कृष्ट क्षेत्रों, सिचाई, उर्वरकों, ग्रादानों, उन्नत बीजों, ग्रौर पौधा संरक्षण उपायों, सुधरी तकनीकों के प्रयोग ग्रौर मौसम ग्रादि ग्रनेक कारणों से प्रभावित होता है । ग्रतः उत्पादन पर ग्रकाल व सूखे की स्थिति ग्रादि के प्रभाव के बारे में सही-सही ग्रनुमान लगाना कठिन है । तथापि भीषण सूखे के वर्ष 1974-75 में उत्पादन में गिरावट होने की मात्रा की तुलना इससे पहले के वर्षों के उत्पादन स्तरों से करने पर ही उस वर्ष सूखे के दुष्प्रभाव का ग्रन्दाजा लगाया जा सकता है ।

(घ) भारत सरकार ग्रलग-ग्रलग राज्यों में, जिनमें तमिलनाडु शामिल है, उत्पादन बढ़ाने के लिये ग्रनेक उपाय कर रही है । इन उपायों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—(1) ग्रलग-ग्रलग क्षेत्रों के लिये उपयुक्त किस्मों का पता लगाने ग्रौर नई किस्मों को विस्तृत क्षेत्रों में बोने से पहले किसानों की प्रतिक्रिया जानने में राज्यों की मदद करने के लिए चावल, मक्का ग्रौर कदन्नों के मिनीकिटों के वितरण के लिये केन्द्र क्षेत्र योजना का क्रियान्वयन करना। (2) किसानों तक उन्नत उत्पादन तकनीकों के पहुंचाने हेतु कृषि विश्वविद्यालयों ग्रौर ग्रनुसंधान संस्थाग्रों में प्रशिक्षण पाठों की व्यवस्था करना । (3) ग्रलग ग्रलग परिस्थितियों के लिये तथा विनाशकारी कीटों एवं रोगों की प्रतिरोधक किस्मों का पता लगाने के उद्देश्य से केन्द्रीय चावल ग्रनुसंधान संस्थान, कटक द्वारा ग्रौर ग्रखिल भारत समेकित फसल सुधार परियोजनाग्रों के ग्रन्तर्गत ग्रनुसंधान सहायता का दिया जाना । (4) चुने हुए जिलों में रासायनिक उर्वरकों के उपभोग में वृद्धि करने के लिये उर्वरक प्रोन्नति ग्रभियान चलाना ग्रौर (5) कृषि ग्रादानों ग्रर्थात् बीजों, उर्वरकों ग्रौर कीटनाशकों का क्रय करने के लिये जहां तक सम्भव हो राज्य सरकारों की ऋण संबंधी ग्रावश्यकताग्रों को पूरा करने के लिये छोटी ग्रवधि के ऋण मंजूर करना ।

ग्रांसुका के ग्रन्तर्गत बन्दी बनाये गये शिक्षक

1125. **श्री ग्रार० के० महालगी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत ग्रापातकालीन स्थिति के दौरान देश-पर्यन्त 'ग्रांसुका' के ग्रन्तर्गत कितने (प्राइमरी माध्यमिक, कालिज तथा विश्वविद्यालय) शिक्षक बन्दी बनाये गये;

(ख) क्या जेल से छूटने के पश्चात इन सभी को सेवा में ले लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उनमें से कितने ग्रभी भी सेवा से बाहर हैं ; ग्रौर

(घ) ग्रभी तक रोजगार पर न लगे शिक्षकों के मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ग्रथवा करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) यह मुख्यत: राज्य का मामला है और इसकी सूचना केन्द्र के पास नहीं है । राज्य भी ये ब्यौरे स्टाफ की श्रेणियों तथा उप-श्रेणियों के अनुसार सम्भवत: नहीं रखते हैं ।

(ख), (ग) और (घ) आवश्यक अनुदेश राज्यों तथा अन्य संगठनों को जारी कर दिए गए हैं । अनुदेशों का पालन न करने के मामले ध्यान में लाये जाने पर उनकी जांच फौरन की जायेगी ।

विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के विरुद्ध शिकायतें

1126. **श्री आर० के० महालगी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के बारे में सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो किसके विरुद्ध तथा शिकायतों का स्वरूप क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) सरकार को अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के खिलाफ बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इनमें से बहुत सी शिकायतें आपातकाल के दौरान की गई थीं, कथित ज्यादतियां, नियुक्तियों तथा दाखिले आदि के मामले, किए गए पक्षपात के खिलाफ हैं । राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के खिलाफ की गई ऐसी शिकायतें उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं । केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतें तथ्यों की जांच करने के लिए विश्वविद्यालयों को भेज दी जाती हैं । विश्व-विद्यालयों से प्राप्त उत्तरों की मंत्रालय में जांच की जा रही है और इसके बाद उचित कार्रवाई की जायेगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के मूल्य में कमी

1127. **श्री आर० के० अमीन** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के मूल्यों में कमी करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना और कब से ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) कीमत निर्धारण नीति का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

ताजमहल के प्रवेश पर कर लगाया जाना

1128. **श्री आर० के० अमीन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताजमहल तथा आगरे के अन्य ऐतिहासिक इमारतों को देखने जाने वालों पर कर लगाये जाने के बारे में पुरातत्व विभाग तथा स्थानीय नगर प्रशासन के बीच उग्र विवाद ने जन्म लिया है; और

(ख) यदि हां, तो विवाद निपटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ताजमहल, आगरा किला अकबर के मकबरे और इत्मादुद्दौला के मकबरे पर दर्शकों (15 वर्ष की आयु से उपर) से 50 पैसे प्रवेश शुल्क लेता रहा है। 15 जुलाई, 1976 से उत्तर प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण (पथकर) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत आगरा विकास प्राधिकरण प्रसिद्ध गमनागमन के स्थानों (जिनमें कोई भी प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक शामिल है) पर दर्शकों से रु० 1.50 पथकर संग्रहण करता रहा है। केन्द्रीय सुरक्षित स्मारकों की सीमा में इस उगाही के संग्रहण ने कुछ खास समस्यायें पैदा कर दी हैं, जिन पर राज्य-सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

क्रिकेट के व्यावसायिक खिलाड़ियों के साथ विश्व क्रिकेट श्रंखला

1129. **श्री आर० के० अमीन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आस्ट्रेलिया टेलीविजन चीफ कैरी पैकर की क्रिकेट के व्यावसायिक खिलाड़ियों की विश्व क्रिकेट श्रृंखला आरम्भ करने की विवादास्पद योजना का पता है;

(ख) क्या इस मामले पर बातचीत करने के लिए भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड ने एक बैठक बुलाई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं; किन्तु भारत के क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड के प्रतिनिधियों ने मामले पर विचार करने के लिए लंदन में 14 जून, 1977 को हुए अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन की बैठक में भाग लिया था।

(ग) यह मामला भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड के कार्य क्षेत्र में आता है, जो कि एक स्वायत्त निकाय है।

संसदीय सौध

1130. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसदीय सौध (पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी) के निर्माण पर कुल कितना खर्च हुआ;

(ख) गत दो वर्षों में, वर्षवार, संसद भवन और संसदीय सौध के रख रखाव पर प्रतिवर्ष कितना खर्च हुआ ; और

(ग) 31 मार्च, 1977 तक संसदीय सौध में फर्नीचर आदि की व्यवस्था करने पर कितना खर्च हुआ ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) संसदीय सौध (पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी) के निर्माण पर अब तक, 3,69,40,549 रुपए खर्च हुए। कुछ बिलों पर

अभी अन्तिम निर्णय लेना है और उनका भुगतान करना है। निर्माण पर कुल खर्च जिसमें विभागीय प्रभार भी शामिल है, 3,70,00,000 रुपए होने की संभावना है

	1975-76	1976-77
	रुपए	रुपए
(ख) (1) पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी	1,31,408	3,91,710
(2) पार्लियामेंट हाउस . . .	14,22,181	13,49,313
(ग) 23,29,844 रुपए (विभागीय प्रभार सहित)		

कीड़ों तथा चूहों से फसलों को क्षति

1131. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कीड़ों तथा चूहों आदि ने वर्ष 1976-77 में कितनी मात्रा में अनाज नष्ट किये हैं; और

(ख) अनाज को सुरक्षित रखने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) 1976-77 के दौरान कीड़ों तथा चूहों द्वारा नष्ट किए गए खाद्यान्नों की मात्रा का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ख) कीड़ों तथा चूहों से खाद्यान्नों को बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) जो गोदाम बनवाए जाते हैं वे चूहों तथा दीमक से सुरक्षित होते हैं।

(2) खाद्यान्नों का समय-समय पर निरीक्षण करने तथा उनकी हालत ठीक बनाए रखने के लिए योग्यता प्राप्त तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाता है।

(3) कीड़ों तथा चूहों की रोकथाम करने के लिए आधुनिक, वैज्ञानिक कीट नियंत्रण तरीके अपनाए जाते हैं।

भारतीय खाद्य निगम, कलकत्ता में सेवा से निकाले गये क्लर्कों की बहाली

1132. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि भारतीय खाद्य निगम कलकत्ता के प्रबन्धकों ने अप्रैल, 1974 में पचास क्लर्क/टाइपिस्ट सेवा से निकाल दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के मनमाने ढंग से कर्मचारियों के निकाले जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें बहाल करने का है; और

(घ) यदि, हां, तो कब ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) निगम के प्रबन्ध के ध्यान में 1974 में उनके कलकत्ता कार्यालय द्वारा 41 सहायक ग्रेड-3 और 38 टाइपिस्टों की भर्ती में कुछेक

गंभीर अनियमितताएं आयी थीं । इन सभी नियुक्तियों की समीक्षा की गई थी और उक्त सहायकों और टाइपिस्टों में से केवल 16 सहायक ग्रेड 3 और 7 टाइपिस्ट जो कि उपयुक्त पाए गए थे, सेवा में रख लिए गए थे और शेष व्यक्तियों को निगम की सेवा से निकाल दिया गया था।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गेहूं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने संबन्धी प्रतिबन्ध को हटाने का प्रस्ताव

1133. **श्री समर गुह :**

श्री रामानन्द तिवारी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, विशेषतया खुले बाजार में देश के गैर-राशन वाले क्षेत्रों में गेहूं के खुदरा मूल्य पर गेहूं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने से पड़े प्रभाव का पता लगाया है !

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या गेहूं के बढ़े हुए क्रम मूल्यों का राशन की दुकानों में बिक्री मूल्य पर किसी तरह से कोई प्रभाव पड़ा है ;

(घ) क्या सरकार ने 'बोरो क्रौप' और 'अमन क्रौप' संबंधी धान के खरीद मूल्यों के संबंध में कोई नीति तैयार की है—

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) गेहूं के संचलन पर से क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हटाने से नाज की खुले बाजार में उपलब्धता बेहतर हुई है । गेहूं के खुदरा मूल्य कमी वाले राज्यों में भी उचित स्तर पर चल रहे हैं।

(ग) केन्द्रीय स्टाक से गेहूं के निर्गम मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है ।

(घ) और (ङ) चालू मौसम अर्थात विपणन मौसम 1976-77 में 'बोरो' और 'अमन' समेत धान की विभिन्न किस्मों के खरीद मूल्य के बारे में नीति तय हो चुकी है और पश्चिमी बंगाल सरकार ने 1976-77 के खरीफ मौसम के लिए 'बोरो' और 'अमन' के निम्नलिखित वसूली मूल्य निर्धारित किए हैं। ये मूल्य खरीफ वर्ष नवम्बर, 1976 के अक्तूबर, 1977 तक के लिए लागू रहेंगे :—

ग्रेड	दर प्रति क्विंटल (रु० में)
परम्परागत प्रकार की अस और बोरो	70.70
अमन साधारण	74.00
अमन बढ़िया	77.00
अमन बहुत बढ़िया और अरोमेटिक	80.00

पश्चिम बंगाल से बाहर शिविरों में पुनर्वास की प्रतीक्षा में पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी

1134. **श्री समर गुह :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी पश्चिम बंगाल से बाहर स्थित विभिन्न शिविरों में गत 10—15 वर्षों से पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो शिविरों में ऐसे शरणार्थियों के नवीनतम आंकड़े क्या हैं ?

(ग) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों के लिए विशेषतया अंडमान में इनके पुनर्वास के लिए कोई समय बद्ध कार्यक्रम बनाया था; और

(घ) यदि हां, भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये बंगाली शरणार्थियों को विशेषतया अंडमान में शीघ्र ही बसाने के लिए सरकार ने क्या कोई ठोस कदम उठाये हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासी परिवार 10-15 वर्ष से पुनर्वास की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं । शविरों में इस समय रह रहे परिवार प्राय: वे परिवार हैं जो 1-1-70 से 25-3-71 की अवधि के बीच आए थे। अन्य परिवार वे पुनर्वास योग्य परिवार हैं जो बंगला देश के स्वतंत्र होने पर पुनर्वास गांवों अथवा राहत शिविरों को छोड़कर चले गए थे परन्तु जनवरी, 1974 के अन्त तक भारत वापिस लौट आए थे। माना और अन्य दो शिविरों में परिवारों की संख्या 1029 है और तावा तथा डोलरिया दोनों कार्यस्थल शिविरों में परिवारों की संख्या 4508 है।

(ग) जी, हां। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में बसाए जाने वाले 1100 परिवारों को मिलाकर पांचवीं योजना अवधि के दौरान 21,300 परिवारों को बसाया जाना है। शेष 2200 परिवारों को छठी योजना के पहले दो वर्षों अर्थात 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान बसाए जाने की आशा है ।

(घ) पांचवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान 11241 परिवारों को मुख्य भूमि पर कृषि तथा गैर कृषि व्यवसायों में बसाया जा चुका है। 1977-78 में लगभग 3700 परिवारों को बसाने का कार्यक्रम है ।

जहां तक अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों का सम्बन्ध है, 1973-74 तक, 688 प्रवासी परिवारों को पुनर्वास दिया जा चुका है। आरम्भ में पांचवीं योजना के दौरान द्वीपों में 1100 परिवारों को बसाने का प्रस्ताव था परन्तु मई, 1977 तक यहां केवल 117 परिवार ही भेजे गए हैं। इन द्वीपों में पुनर्वास की गति आयोजित लक्ष्य से कम रही है क्योंकि द्वीपों में वन साफ करने के पारिस्थितिक प्रभाव को निरन्तर ध्यान में रखना पड़ता है ।

दिल्ली में भूमि के आवेदन के सामुहिक आवास समितियों का पंजीकरण

1135. **श्री निरहा लास्कर :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भूमि के आवंटन के लिए सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत सामूहिक आवास समितियों को भूमि आवंटित नहीं की गई यद्यपि वे 1970 में पंजीकृत हुई थी;

(ख) अब तक कितनी समितियों को भूमि आवंटित की गई है अथवा उन्होंने आवंटन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है तथा उन्हें किन इलाकों में भूमि आवंटित की गई है अथवा ऐसा प्रस्ताव किया गया है ;

(ग) क्या कुछ समितियां दक्षिण दिल्ली में भूमि के आवंटन का अनुरोध कर रही है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी समितियों की संख्या कितनी है, और

(ङ) उनके अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) 39 समितियों को भूमि का आवंटन कर दिया गया है तथा अन्य 56 समितियां ने भूमि लेने की पेशकश को स्वीकार कर लिया है। ये क्षेत्र पश्चिम पुरी, प्रीतमपुरा, बोडेला तथा दक्षिण दिल्लीं में है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) 91

(ङ) वर्तमान नीति के अनुसार भविष्य में ग्रुप हाउसिंग समितियों को दक्षिण दिल्ली में इस कारण कोई भूमि नहीं देनी है कि दक्षिण दिल्ली में भूमि की कमी है सरकार की वर्तमान नीति में फिलहाल कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

खेल कूद परिषदों का पुनर्गठन

1136. **श्री निहार लास्कर** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सभी वर्तमान खेलकूद परिषदों का पुनर्गठन करने के लिए कदम उठा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र) : अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति तथा अन्य निकायों द्वारा निर्धारित अनुबन्धों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न खेल कार्यक्रमों और नीतियों का व्यापक पुनरीक्षण शीघ्र शुरू करने का प्रस्ताव है। इस पुनरीक्षण में, अखिल भारतीय खेलकूद परिषद के कार्यों और गठन में अपेक्षित परिवर्तन, यदि कोई हो, शामिल होंगे ।

दिल्ली उच्चतर माध्यमिक परीक्षा-पत्रों में परिवर्तन

1137. **श्री मुख्तार सिंह मलिक** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 3 मई, 1977 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपा ऐसा समाचार देखा है जिसमें कहा गया है कि इस वर्ष दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक परीक्षापत्र में किसी प्रश्न के परीक्षा से पूर्व पता लग जाने के कारण से नहीं अपितु इसलिये शीघ्रता से परिवर्तन किया गया कि एक प्रश्न श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम के संबंध में था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मामले की जांच करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुछ प्रश्न-पत्रों का पता लग जाने की संभावना के कारण बदल दिया गया था। प्रश्न-पत्र में 20 सूत्री कार्यक्रम के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Utility of Indian Experts in other Developing Countries

1138. Shri Kalyan Jain and Shri Uggrasen : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Shri A. M. M'Bow, Director-General, UNESCO during his recent tour of India, had made a reference of extending in other countries the projects run in India by UNESCO and the utility of Indian experts in the fields of education, culture, science and communications in other developing countries; and

(b) whether the Director-General had submitted any definite scheme to the Government and if so, the main features thereof and Government's reaction thereto ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) In the joint communique issued towards the end of the Director-General's recent visit to India, a reference was made to the effect that UNESCO may call on the expertise available in India to assist developing countries by using Indian specialists and by providing fellowships for training in selected Indian institutions.

(b) No scheme has been submitted by the Director-General to the Government of India.

Illiteracy

†1139. Shri Kalyan Jain : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have chalked out a time bound programme to eradicate illiteracy in the country;

(b) if so, the salient features in this regard; and

(c) the arrangement made for its implementation and the estimated amount of expenditure to be incurred thereon ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) to (c) The Ministry of Education has held extensive discussions with educationists and adult education field workers with a view to preparing a massive programme of adult education. Details of the programme are being worked out.

मगरमच्छ बैंक

1140. श्री जी०एम० बनतवाला : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मगरमच्छ बैंक बनाने के प्रस्ताव को इस बीच अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है; और

(ग) इन बैंकों को किन स्थानों पर बनाये जाने की संभावना है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख) और (ग) देश में ऐसा कोई मगरमच्छ बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है, फिर भी सरकार एक मगरमच्छ पुनर्वास कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम में मगरमच्छ बंदी-स्थिति (केप्टिविटी) में पाले जा रहे हैं जिन्हें बाद में खुला छोड़ दिया जायेगा। इस समय घड़ियाल, साल्टवाटर और मगर किस्मों को निम्नलिखित स्थानों पर पाला जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में कथेरनियाघाट, उड़ीसा में सितारकानिका और सतकोसिया, पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन, तमिलनाडु में मुतनुर, गुजरात में गिर, आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद और राजस्थान में रावत-भाटा।

ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रक बोर्ड द्वारा ड्रेजरों की खरीद

1141. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र नदी के तल-कर्षण के लिये आसाम सरकार के माध्यम से दो कीमती ड्रेजरों की खरीद की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उनके प्रयोग के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) ब्रह्मपुत्र नदी में नदी-कटाव एक गंभीर समस्या है। इस समस्या का हल निकालने के लिए यह फैसला किया गया था कि कटाव-रोधी उपायों के रूप में, प्रयोगात्मक आधार पर, तलकर्षण का कार्य (ड्रेजिंग आपरेशन) किया जाए। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार ने दो सेक्शन ड्रेजर और इनके साथ काम करने के लिये आवश्यक कुछ सहायक पोत लिए हैं। ये उपकरण ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग को ब्रह्मपुत्र नदी में प्रयोगात्मक आधार पर तलकर्षण करने के लिए ऋण के आधार पर दिए गए हैं। तलकर्षण का काम चिमना के निकट और उसके बाद अलीकाश में किया गया है जहां ब्रह्मपुत्र नदी से तटों का कटाव हो रहा था। सूचना मिली है कि जिन चैनलों में तलकर्षण किया गया है, उनकी स्थिति संतोषजनक है।

Committee on Land Disputes

1142. Shri Ramanand Tiwary: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to constitute a Committee to resolve land disputes in States;

(b) if so, by what time; and

(c) whether State Governments are also being consulted about these disputes?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

प्राइवेट स्कूलों शैक्षिक संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों के माता-पिताओं से चन्दा एकत्र करना

1143. **श्री ओम प्रकाश त्यागी**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अनेक प्राइवेट स्कूल, शैक्षिक संस्थाएं आदि शिक्षा के नाम पर व्यापारिक आधार पर चल रहे हैं और वे विद्यार्थियों के माता-पिताओं से मन-माने ढंग से चन्दा एकत्र कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्कूलों के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) ऐसा प्रतीत होता है जब कि मंत्रालय को कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, किन्तु इन संस्थाओं द्वारा मनमाने ढंग से चन्दा एकत्रित करने के कोई ऐसे मामले हों तो उन पर उपयुक्त कार्रवाई करने का काम राज्य सरकारों/केन्द्रीय संघीय प्रशासनों का है ।

चीनी का निर्यात कोटा

1144. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंकटाड द्वारा बुलाये गये और जनेवा में हाल ही में हुए सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 9 लाख टन चीनी के निर्यात का कोटा मांगा था; और

(ख) यह अनुरोध करने के क्या कारण थे ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) भारत लगभग दो दशाब्दी से चीनी का प्रतिष्ठित निर्यातक रहा है । भारत 1961 से अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार का भी सदस्य रहा है । नया अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार करने उपयुक्त कोटे/बाजार शेयर उत्पादक के लिए लाभकारी और उपभोक्ता के लिए उपयुक्त मूल्य स्तर के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए अप्रैल-मई, 1977 में जनेवा में संयुक्त राष्ट्र चीनी सम्मेलन बुलाया गया था । कोटों/बाजार शेयरों का निर्धारण अतीत में निर्यात की मात्रा और भविष्य में परिकल्पित वृद्धि प्रतिमान को ध्यान में रखकर करना था । इन तथ्यों की दृष्टि में और अपने चीनी उत्पादन के मौजूदा स्तर, चालू वर्ष में और अगले 2/3 वर्षों में उद्योग में क्षमता बढ़ाने, आन्तरिक खपत के स्तर आदि को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल को अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अधीन एक वर्ष में 9-10 लाख मीटरी टन का प्रभावी कोटा प्राप्त करने के लिए अनुदेश दिए गए थे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1973-74 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1973-74 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल०टी० 394/77]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, बम्बई, खड़गपुर के प्रमाणित लेखे तथा दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(ए) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल०टी० 395/77]

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिय संख्या एल०टी० 396, 77]

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1974-75 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 397/77]

(2) उपर्युक्त मद (2) (दो) में उल्लिखित दस्तावेज को (एक) सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब और (दो) उसका हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त मद (2) (तीन) में उल्लिखित दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 397/77]

(4) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 398/77]

पूंजी निर्गम (सहमति के लिये आवेदन पत्र) (संशोधन), नियम 1977

वित्त और राजस्व तथा बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधि नियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पूंजी निर्गम (सहमति के लिये आवेदन पत्र) (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 24 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सं०आ०366 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 399/77]

पंजाब राज्य के सम्बन्ध में 20 जून, 77 की उद्घोषणा

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 20 जून, 1977 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को एक प्रति जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत पंजाब राज्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा जारी की गई दिनांक 30 अप्रैल, 1977 की उद्-घोषणा को रद्द किया गया है जो कि दिनांक 20 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 384(ङ) में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 401/77)

समितियों के लिए निर्वाचन

MOTION FOR ELECTION TO COMMITTEE

राजघाट समाधि समिति

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उपधारा (1) (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे सरकारी अधिसूचना की तिथि

से आरंभ होने वाली अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उपधारा (1) (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें सरकारी अधिसूचना की तिथि से आरंभ होने वाली अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

(2) दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 की धारा 43 के साथ पठित दिल्ली विश्वविद्यालय परिनियमों के परिनियम 2 के खण्ड (1) के उपखण्ड (सोलह) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा उस विश्वविद्यालय के किसी मान्यता प्राप्त कालेज अथवा संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 की धारा 43 के साथ पठित दिल्ली विश्वविद्यालय परिनियमों के परिनियम 2 के खंड (1) के उपखण्ड (सोलह) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा उस विश्वविद्यालय के किसी मान्यता प्राप्त कालेज अथवा संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

(3) केन्द्रीय संग्रहालय सलाहकार बोर्ड

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत सरकार के संस्कृति विभाग के दिनांक 7 अक्तूबर, 1976 के संकल्प संख्या एफ० 12/1/74-सी ए आई (3) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय संग्रहालय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत सरकार के संस्कृति विभाग के दिनांक 7 अक्तूबर, 1976 के संकल्प संख्या एफ० 12/1/74-सी ए आई (3) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि

अध्यक्ष निदेश दें उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय संग्रहालय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

(4) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत सरकार के भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के दिनांक 1 मई, 1976 के संकल्प संख्या 31/1/76-एम के पैराग्राफ 1 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत सरकार के भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के दिनांक 1 मई, 1976 के संकल्प संख्या 31/1/76–एम के पैराग्राफ 1 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

(5) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 के अधीन परिषद्

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31 (2)(ट) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम की धारा 31(1) के अधीन स्थापित परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31(2)(ट) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम की धारा 31(1) के अधीन स्थापित परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृप हुआ

The motion was adopted

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक
Payment of Wages (Amendment) Bill

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक 1936 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक 1936 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री रविन्द्र वर्मा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

सामान्य बजट 1977-78—सामान्य चर्चा
GENERAL BUDGET 1977-78—GENERAL DISCUSSION

अध्यक्ष महोदय : अब हम बजट पर सामान्य चर्चा करते हैं।

श्री एल०के० डोले (लखिमपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री एल० के० डोले: वित्त मंत्री के बजट भाषण में "समाजवाद" का नाम कहीं भी नहीं आया है। यह संविधान के अनुकूल नहीं है.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम (पालानी): मैं वित्त मंत्री को 10,000 करोड़ रुपये की योजना रखने के लिये बधाई देता हूं। जब वार्षिक योजना की तैयारी शुरू हुई थी तो मैंने 10,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था। उस समय वित्त मंत्रालय के लोग यह कह रहे थे कि क्या 10,000 करोड़ रुपये की बात तथ्यात्मक है। मेरे विचार में यदि हमने अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है तो यह राशि आवश्यक है। अतः यह राशि सम्भव ही नहीं नितान्त वांछनीय भी है। मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री ने लक्ष्य नियत कर दिया है।

यह दावा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चाहे वह विकसित देश, विकासहीन देश या समाजवादी देश हो, समस्या रहित, जटिलता रहित हो सकती है और वह भी विशेषकर हमारे जैसे विकासशील देश की समस्या और भी अधिक होगी।

मैं यह दावा नहीं कर सकता कि हमने जनता सरकार को समस्यारहित अर्थव्यवस्था सौंपी है। किसी भी स्थिति में ऐसा सम्भव नहीं है। समस्यायें तो हमारे सामने आयेंगी। बात केवल इतनी ही है कि ये समस्याएं पुरानी नहीं नई होनी चाहिएं। नई समस्या उत्पन्न होना प्रगति का प्रतीक है। अतः मैं यह दावा कर सकता हूं कि जो अर्थव्यवस्था हमने दी है, वह कई समस्याओं से मुक्त है और गत अर्थव्यवस्थाओं से कहीं अच्छी और सुदृढ़ है।

यह आधार शक्तिशाली है जिसके अन्तर्गत 10,000 करोड़ रुपये की वर्तमान योजना बनाई गई है। इसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार के विरुद्ध लगातार प्रचार किया जा रहा है। आर्थिक विकास के

क्षेत्र में राजनैतिक मदों पर अलग-अलग राय हो सकती है । हमने काफी उन्नति की थी तथा हमारी स्थिति कहीं अच्छी थी । जनता पार्टी को यह नहीं कहना चाहिये कि गत तीस वर्षों में जो कुछ हुआ गलत हुआ और अब उनका काम पिछली उपलब्धियों को समाप्त कर नए सिरे से शुरू करना है।

ऐसा कहना कि गत तीस वर्षों में कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा की गई है तथा वित्त मंत्री का यह कथन कि उन्होंने पिछली गलतियों को सुधारने का प्रथम प्रयास किया है । जांच करने पर ठीक नहीं उतरता । यदि वे योजना प्रलेखों को उठाकर देखें तो उन्हें पता चलेगा कि कृषि न केवल महत्वपूर्ण क्षेत्र का अंग है बल्कि महत्वपूर्ण क्षेत्र का मूल्य ढांचा भी है । इस प्रकार हमने कृषि तथा कृषि विकास को प्राथमिकता दी, कृषि के मामले में सब से महत्वपूर्ण बात है । अनुकूल मौसम में उत्पादन का लक्ष्य पूरा करना जिससे कमी पूरी हो सकती है । हमने यही किया । हम कुछ हद तक उस लक्ष्य तक पहुंच गये थे और हमने 1 लाख 80 हजार टन का सुरक्षित भंडार बना लिया था।

पांचवी योजना में कहा गया था कि यदि हम वास्तविक कृषि प्रगति और विशेषकर व्यापक कृषि प्रगति चाहते हैं, जिससे ग्रामीण निर्धनता दूर होगी तो हमें कुछ जिलों की कृषि प्रगति में आने वाली बाधाओं के मुख्य कारणों की छानबीन करनी होगी । अतः जब तक हम इन बातों को ध्यान में नहीं रखते और ऐसी योजना पेश नहीं करते जिसमें जिलों को अन्य विकसित जिलों के स्तर पर लाने की बात कही गयी हो, तब तक कृषि विकास एक प्रश्न चिन्ह ही बना रहेगा । अतः इस पर हमें ध्यान देना होगा।

आयोजना के मामले में हमारा दृष्टिकोण हमेशा व्यापक रहा है ।

आयोजना में सर्वत्र एकरूपता नहीं रखी जा सकती । दारापुरम क्षेत्र में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक मत्स्य अधिकारी की नियुक्ति की गई थी । जबकि वहां पर पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं था । हमारा देश एक उप-महाद्वीप है जहां भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की समस्याएं भिन्न-भिन्न हैं । जब तक हम इस ओर ध्यान नहीं देते कृषि अथवा कोई भी अन्य विकास सम्भव नहीं है।

यदि जनता पार्टी के सदस्य यह सोचते हैं कि वे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के मसीहा हैं तो यह बात सही नहीं है । सबसे महत्वपूर्ण बात तो सूक्ष्म आयोजन की है । इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

अपने गत वर्ष के बजट भाषण में मैंने जो अग्रताएं निर्धारित की थीं वे आज भी सही सिद्ध होती हैं। बिजली, सिंचाई और कीटनाशी दवाइयों की अग्रता दी जानी चाहिये । पिछले 25 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों का जो भी विकास हुआ है उसका लाभ समाज के थोड़े से व्यक्तियों को पहुंचा है । यदि आर्थिक विकास का यह क्रम जारी रहा तो देश की अधिकांश जनता गरीब रहेगी। समेकित ग्रामीण विकास का कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिये ।

[कुमारी आभा मैती पीठासीन हुईं ।
Miss Abha Maiti in the chair.]

गरीबी हटाओ के नारे पर हमने चुनाव जीता था । प्रधान मंत्री ने 10 वर्ष में बेरोजगारी दूर करने का आश्वासन दिया है । मैं समझता हूं कि यह कार्य सैकड़ों वर्षों में होना भी संभव नहीं है । यदि हम वास्तव में ऐसा कर पाते हैं तो हम बधाई के पात्र होंगे।

कृषि आयोग का कथन है कि हमारी जनसंख्या का 70 प्रतिशत भाग कृषि में कार्यरत है ।

वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास के लिए 3,024 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है । उनका कथन है कि 9,960 के बजट का यह 30.4% है । इसके लिए उन्होंने अपने को धन्यवाद दिया है । परन्तु

उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके अनुसार वर्ष 1976-77 की 7854 करोड़ की वार्षिक योजना में कृषि के विकास के लिए 3471 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे । यह 35% बैठता है । खेद है कि जनता पार्टी इस तरह चल रही है ।

श्री ओ० वी० अलगेशन (अकोंनम) : यह भ्रामक वक्तव्य है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह वस्तुस्थिति है । यह तथ्य नहीं है कि पिछले वर्षों में कृषि एवं ग्रामीण विकास की अवहेलना की गई थी । जो आर्थिक नीति घोषित की गई है उसमें स्वतन्त्र पार्टी की नीति सम्मिलित है ।

पिछले वर्ष हमने औद्योगिक विकास में 10 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त की थी । यह सरकारी क्षेत्र में सुधार के कारण हुआ ।

मंत्री महोदय के भाषण से स्पष्ट है कि जो कुछ पूंजी नियोजन उन्होंने सरकारी क्षेत्र में किया है वह विवश होकर किया है क्योंकि अतीत में उसके लिए वायदे किये हुए थे । अन्यथा वह उसे बिल्कुल छोड़ देते ।

हमारे द्वारा निर्धारित अग्रताएं गलत थीं, तो जनता पार्टी की अपनी क्या अग्रताएं हैं ? क्या आपको आम उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए ।

वित्त मंत्री महोदय का संबंध किन्हीं विशेष सिद्धांतों से है । वह असमानतायें दूर करने से नहीं । इस प्रकार पूंजी निवेश के लिए संसाधनों का और अधिक संग्रह होगा ।

गत वर्ष पूंजी निवेश करने की ऐसी योजना को व्यापक बनाने जैसे उपाय किये गये जिससे तकनीकी जानकारी के प्रयोक्ताओं को उत्साह प्रदान करने तथा कम्पनियों को अपने शुद्ध लाभ को लाभांश के रूप में बांटने की छूट देने की व्यवस्था थी । उन उपायों से पूंजी निवेशों हेतु संसाधनों को एकत्र किया जा सकता है । क्या इस तरीके से वित्त मंत्री समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं ?

पूंजीगत लाभों को निजी हिस्सों में लगाये जाने से भी छूट मिल सकेगी । इससे निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा ।

क्या वित्त मंत्री को पता है, रोगी कम्पनियां जो भारी हानियों का सामना कर रही है, विदेशी मंडियों में रुचि रखती हैं । अब आप उन्हें अधिकार में लेकर उनकी कमियों को बनाये रखना चाहते हैं ।

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the chair.]**

लघु उद्योगों के ऐसे कारखानों को जो 30 जून 1977 के बाद उत्पादन शुरू करते हैं के कर योग्य लाभों में 20 प्रतिशत छूट दी गई है । मुझे समझ में नहीं आता कि इससे लघु उद्योगों को बढ़ावा कैसे मिलेगा ? कर की इस छूट का अधिकांश उद्योग लाभ उठायेंगे । वकील लोग इस बारे में अपने मुवक्किलों को परामर्श देंगें ।

दो लाख तक की दान की राशि में 10 प्रतिशत छूट दी गई है

भारतीय तकनीशनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय का 50 प्रतिशत भाग कर मुक्त रखा गया है । भारतीय कम्पनियां अपने बेटों भतीजों को ही नियुक्त करेंगी ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : आपका अपने देशवासियों में विश्वास नहीं है ?

श्री सी० सुब्रहमण्यम : धन कर पर मुझे कुछ नहीं कहना।

वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल और युक्तिसंगत बनाने के लिए वह विख्यात विशेषज्ञों की एक और समिति नियुक्त करने जा रहे हैं। हाल ही में वांचू समिति ने इस बारे में विस्तृत विचार किया है। इस बारे में हमारी भी एक प्रवर समिति है। 1975 में हमने संशोधन पास किये थे और अब वित्त मंत्री पुनः कर कानूनों को सरल और युक्तिसंगत बनाना चाहते हैं। शायद वह उसे स्वतंत्र पार्टी के दर्शन के अनुरूप बनाना चाहते है।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबन्ध है वित्त मंत्री को विद्यमान उत्पाद शुल्क से छुट देने का प्रस्ताव है।

इससे छोटे करघा मालिकों को कोई लाभ नहीं होगा। समूचे विद्युत करघा क्षेत्र से उत्पाद शुल्क समाप्त करने का लाभ केवल बड़े करघा मालिकों को होगा और छोटे नियोक्ताओं को नहीं।

जनता पार्टी के अध्यक्ष जोकि सम्पत्ति के केन्द्रीयकरण तथा उन एकाधिकारियों के विरुद्ध है जो कानूनी तरीके से कर से बचना चाहते हैं। यहां पर उपस्थित हैं वे इन प्रस्तावों पर विचार करें और यदि वह इसे जनता दर्शन कहते हैं तो भगवान ही हमारी अर्थ-व्यवस्था को बचा सकते हैं।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : श्री सी० सुब्रहमण्यम ने कहा है कि उनके चुनाव अभियान के कारण दक्षिण भारत में उन्हें इतने स्थान मिले। भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कहा है कि उनके कारण ही वित्त मंत्री पहली बार 72 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश कर सके। श्री सुब्रहमण्यम तथा उनके साथियों ने न केवल अपने दल अपितु जनता के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन तथ्य तो यह है कि वित्त मंत्री को क्षत विक्षत अर्थ-व्यवस्था बपौती के रूप में मिली। यह बपौती एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था की है जो पूरी तरह असफल थी तथा जिससे निर्धनता और मुद्रास्फीति बढ़ी। 1975-76 में जो विकास की दर 8.5 प्रतिशत थी वह वर्ष 1976-77 में घटकर 2 प्रतिशत रह गई। वर्ष 1975-76 में कृषि उत्पादन 15.6 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत हो गया। ऐसा खराब मौसम और अर्थ-व्यवस्था के कुप्रबन्ध के कारण हुआ है। खाद्यान्नों का उत्पादन घटकर 12 करोड़ 10 लाख टन से 11 करोड़ 10 लाख टन हो गया। मिल के कपड़े का उत्पादन पिछले पांच वर्ष में निरन्तर घटा है। पिछले 2 वर्षों में यह 11 प्रतिशत घट गया है। पिछले एक वर्ष में थोक मूल्य सूचकांक में 12 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई गई है। इसकी तुलना सितम्बर 1974 में हुई मूल्य वृद्धि से की जानी चाहिए।

बहुत जोरदार शब्दों में यह बात कही गई है कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन गत वर्ष की तुलना में 6.1 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है परन्तु यह उत्पादन भी 1973-74 के उत्पादन से काफी कम है। श्री सुब्रह्मण्यम मार्च में आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत कर सकते थे। आर्थिक समीक्षा से पता चलता है कि कई अन्य कारणों से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होना शुरू हो गया। पूरे वर्ष के आधार पर देखें तो औद्योगिक उत्पादन में काफी कमी आई है। जिसके लिए बिजली की कमी भी एक कारण रहा है। बिजली के अपर्याप्त उत्पादन का दायित्व भूतपूर्व सरकार पर है।

कथित औद्योगिक उत्पादन वृद्धि का वास्तव में समग्ररूपेण सुधार से कोई वास्ता नहीं है। बाधाओं के होते हुए भी लघु उद्योगों की प्रगति संतोषजनक रही है। जबकि सरकारी क्षेत्रों का कार्य-निष्पादन अच्छा नहीं रहा। वे अपने निर्मित माल की बिक्री नहीं कर सके। उनका माल जमा पड़ा है।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि कोल इंडिया को 27.93 करोड़ रुपये की हानि हुई है। भारतीय उर्वरक निगम को 24.56 करोड़ रुपये तथा बोकारो इस्पात को 16.94 करोड़ रुपये और फर्टिलाइजर और केमिकल ट्रावनकोर लि० को 12.8 करोड़ रुपए की हानि हुई है। यह सरकारी प्रतिष्ठान अपने निर्मित माल को बेच नहीं पाये। मैंने कुछ ही सरकारी प्रतिष्ठानों का उदाहरण के रूप में उल्लेख किया है। मूल्य वृद्धि के बावजूद कोयले, उर्वरक, तथा इस्पात उद्योग को घाटा हुआ है। शेष सरकारी क्षेत्र में अधिकांश लाभ इसलिए हुए क्योंकि उनमें कीमतें मनमाने ढंग से बढ़ाई गयीं। सरकारी क्षेत्र में सुचारु कार्य निष्पादन न होने का सीधा फायदा बड़े बड़े निगमों को हुआ जिन्होंने काफी लाभ कमाया है। पिछली सरकार के शासन में छोटे उद्योगों के लिए बातें बहुत बनाई गईं परन्तु उनको लाभ कुछ नहीं हुआ। केवल निजी एकाधिकार वाली इकाइयां आपातकाल के दौरान लाभ में रहीं।

श्री के० रामामूर्ति (धर्मपुरी) : इस समय बजट पर बहस चल रही है परन्तु वित्त मंत्री उपस्थित नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक दूसरे मंत्री उपस्थित हैं।

श्री के० रामामूर्ति : क्या बजट पर वाद-विवाद का उत्तर दूसरे मंत्री महोदय देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री के लिए यह सम्भव नहीं है कि बजट पर पूरे वाद-विवाद के दौरान यहां उपस्थित रहें।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : हमारी संयुक्त सरकार है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम छोटे उद्योगों के विकास के लिये बचनबद्ध हैं।

आपात स्थिति के 20 महीनों के दौरान अर्थ-व्यवस्था काभी क्षत-विक्षित हुई है। इस अवधि में नये पूंजी-निवेश तथा नई उत्पादन क्षमता के सन्दर्भ में कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं हुई। इसलिये मेरा कहना है कि यदि श्री सुब्रह्मण्यम तथा उनके साथी दलगत स्वार्थों से ऊंचे उठकर देश का भला करना चाहते हैं तो उन्हें वास्तविक स्थिति पर पर्दा नहीं डालना चाहिये। परन्तु मैं देखता हूं कि उनके रवैये में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है।

अनिवार्य जमा योजना के बारे में अर्थ-व्यवस्था में इतनी गड़बड़ी कर दी गई है कि राशि भुगतान के लिये धन जुटाना सम्भव नहीं रहा। फिर भी वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अर्थ-व्यवस्था के सुदृढ़ होते ही मजदूर संघों से बातचीत की जायेगी ताकि राशि का भुगतान किया जा सके।

आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि 3200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा जमा हो गई है। इसका अभिप्राय यह है कि 3200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के स्थान पर 3,200 करोड़ रुपये की मुद्रा दी गई। सरकार के पास वितरण के लिये इतना धन कहां से आया ?

दो करोड़ टन खाद्यान्न खरीदा गया। इसके लिए धन कहां से प्राप्त हुआ ? जब भी इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं श्री सुब्रह्मण्यम सभा से उठ कर चल देते हैं।

यह अत्यन्त स्पष्ट है कि आज की अर्थ-व्यवस्था विपरीत दिशा में चल रही है। आर्थिक समीक्षा से घटे हुए कृषि उत्पादन बढ़ते हुए मूल्यों, मंदी और सरकारी क्षेत्र में, घाटे का पता चलता है। सबसे बढ़कर सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि अधिक घाटा न हो। बजट बनाये जाने के पिछले इतिहास में देखें तो पायेंगे कि वर्तमान बजट में कम से कम कर लगाये गये हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि

बहुत सी ऐसी वस्तुएं जिनके मूल्य बढ़ गये थे, अब घटने शुरू हो गये हैं। यह सत्ता का सामान्य स्थानान्तरण नहीं था। यह लोगों पर 20 महीने में किये गये जुल्मों का परिणाम था। सत्ता से हटने के बाद श्रीमती गांधी अपनी नई कोठी में सरकारी फर्नीचर, सरकारी एयर कन्डीशनर आदि भी ले गई। ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधान मंत्री रहना शर्म की बात थी। अब समय आ गया है कि देश में इमानदारी को महत्व मिले।

श्रमिक संघों को उनके अधिकार लौटा दिये गये हैं। प्रेस को पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त है। आज विरोधी पक्ष के नेता का भाषण आकाशवाणी से सुना जा सकता है। यह सब बातें जनता पार्टी के लिये प्रशंसनीय हैं। इन लोगों को आर्थिक स्वतन्त्रता की ओर उन्मुख इस बजट का स्वागत करना चाहिए।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : वित्त मंत्री द्वारा दिये गये बजट भाषण में कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इन्दिरा गांधी की निन्दा के सिवा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है।

मुझे खेद है कि बजट प्रस्ताव जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने 10,000 तक की आय को छूट देने की चेष्टा की है परन्तु इससे जनता को वास्तविक लाभ नहीं मिल पायेगा।

वित्त मंत्री शीघ्र औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाना चाहते हैं। परन्तु इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि औद्योगिक विकास की दर बढ़ाने के लिये वह क्या करेंगे, और न ही औद्योगिक विकास परिव्यय की व्यवस्था की गई है। रक्षा आबंटन राशि में कटौती की गई है। कांग्रेस शासन से पूर्व हमारा देश अविकसित था, बाद में यह विकाशसील और अब लगभग विकसित देश बन गया है। देश अनूकुल व्यापार सन्तुलन के साथ सभी औद्योगिक उत्पादनों में आत्म-निर्भर हो गया है। एक वर्ष में हमने कृषि उत्पादन में 20 प्रतिशत की वृद्धि करके दिखाई है। देश के विकास में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। आगे विकास के लिये पृष्ठभूमि आपको तैयार मिली है। अब देखना यह है कि कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों से आप कैसे लाभ उठाते हैं।

खेद है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये बजट में कुछ भी उल्लेख नहीं है। वित्त मंत्री ने छोटे कस्बों और शहरों के विकास का उल्लेख नहीं किया है। इन कस्बों में बेरोजगारी बहुत बड़ी मात्रा में है। यदि बजट में कस्बों में रोजगार की व्यवस्था की जाती तो यह समस्या हल हो जाती।

जनता पार्टी ने 10,000 रुपये तक की आय कर से मुक्त रखने का वायदा किया था। छूट की सीमा 10,000 रुपये कर दी गई है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की आय 10,200 रुपये है तो उसे 8,000 रुपये तक की ही छूट सीमा मिल पायेगी। अधिभार में 5% वृद्धि से औसत करदाता को 84 रुपये और देने पड़ेंगे। 10,000 रुपये पर छूट दी जानी चाहिए।

आप करदाताओं से अधिक कर ले रहे हैं। 20,000 से 30,000 रुपये की आय वाले व्यक्तियों को अधिक कर देना पड़ता है। कर बढ़ने से वे कुछ भी बचा न पायेंगे। न तो आपने कोई राहत दी है। और न ी बचत का अवसर। आपने करों की वही नीति अपनाई है। व्यक्तिगत करों के मामले में तथा निगमों के करों के मामले में कर बढ़े हैं।

पिछले कुछ वर्षों से नये उद्योग नहीं खुल रहे। क्षमता के अधिकाधिक उपयोग द्वारा उत्पादन बढ़ा है। उम्मीद थी कि इस बारे में कुछ किया जा सकेगा। पिछली सरकार ने इस बारे में प्रोत्साहन देकर कुछ कार्य किया था जिससे रोजगारों के कुछ अवसर बढ़ने की उम्मीद बनी थी। आशा की जाती थी कि सरकार उस नीति को बढ़ावा देगी। ताकि उत्पादन बढ़ सके। आज उत्पादन कम हो गया है कच्चे माल के मूल्य बढ़ रहे हैं। और व्यक्तियों की क्रय शक्ति कम हो रही है। इस प्रकार हमें मंदी का सामना करना पड़ेगा।

छोटी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क से 60 करोड़ रुपये प्राप्त किये जा रहे हैं । इसका प्रभाव आम लोगों पर पड़ेगा ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : जनता पार्टी ने गरीबी हटाने तथा बेरोजगारी दूर करने के लिए जो बड़ा कार्य हाथ में लिया है प्रधान मंत्री ने आशा व्यक्त की है कि परमात्मा इस कार्य में सफलता देंगे । परमात्मा की कृपा से ही यह कार्य सम्पन्न हो सकता है ।

मुझे उम्मीद थी कि लोक सभा के निर्वाचन के पश्चात् तथा विधान सभा के चुनाव के पश्चात् विरोधी पक्ष के हमारे मित्र वस्तुस्थिति को समझ सकेंगे ।

परन्तु यह बड़ी विचित्र बात है कि श्री सुब्रहमण्यम यह स्वप्न देख रहे हैं कि जनता पार्टी टूट जायेगी । हमें यह आशा नहीं थी कि उन जैसे देशभक्त लोग भी इस प्रकार की बेबुनियाद कल्पना कर सकते हैं क्योंकि उन्हें तो सरकार चलाने का काफी अनुभव है । मैं उन्हें एक बार फिर यह स्पष्ट कर दूं कि इन चुनावों में जनता पार्टी को जो विजय प्राप्त हुई है, वह विजय केवल कुछ नेताओं की नहीं है अपितु वह जनता की अपनी विजय है उन महान असूलों की विजय है जिनके लिये जनता पार्टी संघर्ष करती रही है । अब समय आ गया है कि जब कि हमारे कांग्रेसी मित्रों को यह समझ लेना चाहिये कि यदि वह जनता पार्टी की आलोचना करते है तो वास्तव में, वह जनता की ही आलोचना करते हैं । अब देश की आर्थिक तथा अन्य समस्याओं का लोकतांत्रिक ढंग से समाधान करने की जिम्मेदारी जनता सरकार की है । भूतपूर्व वित्त मंत्री ने अपने भाषण में मैक्रो तथा 'माइक्रो' शब्दों का प्रयोग करते हुए, 'माइक्रो' सूक्ष्म आयोजन का विकास करने की सलाह दी है । परन्तु इन दोनों विचारधाराओं में गहन अन्तर है ।

यद्यपि पंडित नेहरू और उनकी बेटी ने गांधी जी की बहुत बातें की लेकिन उनके दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों को उन्होंने नहीं अपनाया । प्रश्न "मैक्रो" और माइक्रो का नहीं है । यह एक वैचारिक प्रश्न है । यदि लोकतन्त्र को समाजवाद के साथ समेकित करना है तो न केवल एक भिन्न विचारधारा अपितु संपूर्ण आयोजना के लिये एक भिन्न प्रक्रिया बनानी होगी । सोवियत संघ में इन सभी 5 वर्षीय और 7 वर्षीय योजनाओं ने राजनीति और अर्थ-व्यवस्था में एकदलीय विचारों को जन्म दिया । इस सर्वसत्तावाद के कारण ही यहां आपात स्थिति की घोषणा की गई थी । अतः यह बात हमें ध्यान में रखनी होगी यदि हमें लोकतंत्र को समाजवाद के साथ एकीकृत करना है तो इसके लिये हमें राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के संबंध में गांधीवादी विचारधारा को अपनाना होगा । जनता सरकार के समक्ष अब महत्वपूर्ण कार्य एक आधारभूत यथार्थवादी नीति बनाने का है । यदि वे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता को विकेन्द्रित करेंगे तो सफल होंगे अन्यथा वे असफल होंगे ।

अभी तो इस सरकार को भूतपूर्व सरकार के क्रियाकलापों से निपटना है तथा इन दोषों से मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है ।

दूसरी कठिनाई सरकार के समक्ष यह है कि योजना आयोग को किस प्रकार पुनर्गठित किया जाये ।

जहां तक लोगों की भागीदारी का सम्बन्ध है राजनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर इसका क्या रवैया रहेगा इसकी व्याख्या की जानी चाहिये । इसीलिये राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करानी चाहिये ताकि पता चले कि जनता की राय क्या है हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता की सुपुर्दगी के बारे में गांधी जी के जो विचार थे उन्होंने किन ठोस योजनाओं के रूप में क्रियान्वित किया जा सकता है । यदि आवश्यकता हो तो हम इसके बारे में राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत भी कर सकते हैं ।

श्री सुब्रह्मण्यम् ने यह भी कहा है कि हम ने कृषि के क्षेत्र में भूतपूर्व सरकार की उपलब्धियों की उपेक्षा की है । हम यह नहीं कहते कि उन्होंने कुछ नहीं किया । लेकिन प्रश्न यह है कि हमारा लक्ष्य क्या है । खेद की बात यह है कि सारा आर्थिक विकास एकतरफा हुआ है । यह जनोन्मुख न होकर पूंजी आधारित है । केवल धनवान लोगों, उद्योग पतियों और शहरी लोगों को ही इससे लाभ हुआ है। अतः अब हमें इस में आधारभूत परिवर्तन करने होंगे ।

ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि प्रणाली ग्रामीण जनता के शोषण का साधन बन गई है और गरीब लोगों को और गरीब बना रही है । कृषि विकास भूमि सुधारों के माध्यम से करना होगा । जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक हम ग्रामीणों की स्थिति का सुधार करने में सफल नहीं हो सकते ।

हमने कहा है कि 5 वर्षों के भीतर हम ग्रामीण बेरोजगारी और ग्रामीणों की समस्या को हल कर लेंगे । श्री सुब्रह्मण्यम ने हमारी इस बात की आलोचना की है यदि हम वास्तव में काम करें तो पांच वर्षों के भीतर यह सम्भव है और इसके लिये लघु तथा कुटीर उद्योगों कृषि आधारित उद्योगों का विकास करना होगा । अब समय आ गया है जब कि हमें अपनी सम्पूर्ण योजना पद्धति को बदलना पड़ेगा । गत 30 वर्षों में यदि किसी को लाभ हुआ है तो वह लाभ उद्योगपतियों और पूंजीवादियों को तथा कुछ सीमा तक शहरी लोगों को ही हुआ है । मेरा विचार है कि बीड़ी पर कर नहीं बढ़ाया जाना चाहिये । यह जनता विरोधी कर है क्योंकि बीड़ी का प्रयोग हमारी आम जनता द्वारा किया जाता है और यह उनके लिये बहुत आवश्यक है । अतः इस पर किसी प्रकार का कर न लगाया जाये । दो पहिये वाले स्कूटरों तथा छोटे ट्रांजिस्टरों को भी कर से छूट दी जानी चाहिये।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी का भविष्य बहुत कुछ इस बजट पर ही निर्भर करता है । समय आ गया है जब कि देश से गरीबी तथा बेरोजगारी का उन्मूलन करने के लिये हमें सम्पूर्ण शक्ति से जुट जाना चाहिये। यदि हम ऐसा करने में सफल न हुए तो लोग सम्भवतः हमें फिर ऐसा मौका भी न दें ।

[श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुये
Shri M. Satyanarayan Rao in the Chair]

श्री वसंत साठे (अकोला) : इस बजट का आधार कांग्रेस का है वाह्य रूप जनता का और आकर्षण स्वतन्त्रता पार्टी का है ।

यद्यपि जनता पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्र और लघु पैमाने के उद्योगों को कई आश्वासन दिये हैं लेकिन यह बजट उनको दिये गये किसी भी वायदे को पूरा नहीं करता । हथकरघा और हस्तकला के लिये केवल 34 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । लेकिन इससे केवल 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा । इस समय देश में कम से कम 4 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और 14 करोड़ ऐसे हैं जिन्हें अर्द्ध-रोजगार प्राप्त है । क्या बेरोजगारी की समस्या को हल करने का यह तरीका है । मैं जनता तथा कांग्रेस दल की तुलना कर सदन का व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना चाहता ।

श्रीमान जी, यह अच्छा ही हुआ है कि देश में दो दलीय व्यवस्था उभर कर सामने आई है । हम सब को मिलकर देश के हित के कार्य के करने में जुट जाना चाहिये। अब हमें केवल गांधीवादी विचारधारा या गांधी जी के नाम का राग अलापने की अपेक्षा वास्तव में उस विचारधारा के अनुरूप कार्य करना चाहिये । इससे पहले जो कुछ भी किया गया है, उसमें एक तथ्य यह सामने आया है कि हमारे देश में दो प्रकार की अर्थ-व्यवस्थायें पनप रही हैं। एक अमीरी की और दूसरी गरीबी की।

देश की जनता की स्थिति क्या है ? कुल जनसंख्या के केवल 2.1 प्रतिशत भाग की आय 200 रुपये या उससे अधिक प्रति माह है । इन 2.1 प्रतिशत जनता के पास ही समस्त क्रयक्षमता

है । यदि हम वास्तव में स्थिति में सुधार करना चाहते हैं तो हमें ग्रामीण जनता की क्रयक्षमता को बढ़ाना होगा और कुछ वस्तुओं का उत्पादन भी ग्रामीण क्षेत्र में किया जाना चाहिये । लेकिन सरकार ने इस संबंध में क्या किया है ? उसने केवल इस वर्ग के प्रति जबानी हमदर्दी दिखायी है ।

सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों को समाप्त कर देना चाहिये देश में केवल एक क्षेत्र होना चाहिये और वह केवल राष्ट्रीय क्षेत्र होना चाहिये । निजी व्यापारी, थोक तथा खुदरा व्यापारी जनता का शोषण करते हैं सारे देश के लिये केवल एक विपणन एजेंसी होनी चाहिये और यह तभी सम्भव है जबकि देश में समाजवादी अर्थ व्यवस्था हो । हमारी अर्थ-व्यवस्था में अभी भी 20,000 करोड़ रुपये का काला धन है । इसका पता लगाने का तरीका अभी भी हमारे पास नहीं है । इस समस्या का हल तब तक नहीं हो सकता जब तक हम इसके मूल कारणों का पता नहीं लगाते। समाजवाद और गांधीवाद के प्रति जबानी हमदर्दी जताने से समस्या हल नहीं होगी ।

हम यह भी जानते हैं कि बीड़ी कर को अन्ततः हटाने के लिये लगाया गया है । यह केवल निगमित क्षेत्र को दी गई रियायतों को टालने के लिये किया गया है । बड़ी कम्पनियों को दी गई सभी रियायतों द्वारा पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा तथा जनता की लागत पर निजी क्षेत्र का विकास होगा । हमारी अर्थ-व्यवस्था किस प्रकार 64 करोड़ लोगों की अर्थ-व्यवस्था बन सकती है । हम किस प्रकार इस देश के 30 करोड़ स्वस्थ लोगों को उत्पादक कार्य दे सकते हैं ? आपके बजट में इन 30 करोड़ लोगों को उत्पादक कार्य में लगाने के बारे में कोई संकेत नहीं है । अतः गरीबी की बात तो एक तरफ रही, यह बजट मूलतः एक पूंजीवादी बजट है। प्रधान मंत्री और दूसरे मंत्री आये दिन व्यापारियों से अपीलें करते रहते हैं लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता । कृपया आप अपीलें न करिये क्योंकि जब आप अपील करते हैं उसी समय मूल्य बढ़ जाते हैं । हमारे पास अनाज का 200 लाख टन अनाज का भण्डार है विदेशी मुद्रा पर्याप्त है जिससे खाद्य तेलों का आयात हो सकता है । फिर भी हम मूल्यों को बढाने से नहीं रोक पा रहे हैं ।

जनता पार्टी में भिन्न-भिन्न विचार-धाराओं के लोग हैं और लगता है पूंजीवादियों का प्रभाव अधिक है । इस बजट में गांधीवादी या समाजवादी बात कुछ भी नहीं है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : महोदय, खेद है कि बजट से मुझे भी निराशा हुई है । वित्त मंत्री ने अपने भाषण के अन्त में कहा है कि "बड़े पैमाने पर गरीबी और बेरोजगारी उन लोगों को हीन बना देती है, जिन्हें उसे सहना पड़ता है । हमारा लक्ष्य और आदर्श सही है । मुझे विश्वास है कि हमारा मार्ग ठीक है और यह बजट , चाहे छोटा ही सही ठीक दिशा में एक कदम है ।"

लेकिन बजट में ऐसा कुछ नहीं है । लोगों को विश्वास था कि आपात स्थिति हट जाने के बाद भूतपूर्व कांग्रेस सरकार में पनप रहे निहित स्वार्थों को कठोरता से दबाया जायेगा । परन्तु लोगों को निराशा ही हाथ लगी है ।

वित्त मंत्री ने समतावादी समाज की स्थापना की जरूरत पर बल दिया है। लेकिन यह मान्य सिद्धांत है कि समतावादी समाज के निर्माण के लिये राष्ट्रीय आय का वितरण ऐसा हो कि वह अधिक से अधिक ऐसे लोगों के पास जाये जो निर्धनता के स्तर से नीचे रह रहे हैं । लेकिन बजट में ऐसा करने का लघु प्रयास भी नहीं किया गया है ।

पुरानी कांग्रेसी सरकार की भांति यह सरकार भी अप्रत्यक्ष करों का सहारा ले रही है जिसका ज्यादा से ज्यादा भार आम आदमी पर पड़ता है । प्रत्यक्ष कर घट कर केवल 27.5 प्रतिशत रह गये हैं अर्थात् उन आदमियों पर करों का बोझ हटा है जो उसे आसानी से वहन कर सकते हैं । आप अनिवार्य जीचों पर कर बढ़ा रहे हैं । चीनी से 240 करोड़ रुपये , कपड़े से 500 करोड़ रुपये,

मिट्टी के तेल से 105 करोड़ रुपये, चाय से 65 करोड़ रुपये और वनस्पति तेल से 23 करोड़ रुपये आमदनी होती है । यही चीजें गरीब लोग अधिक प्रयोग करते हैं ।

बजट में उद्योगपतियों को भी छूट दी गई है । पूंजी लाभ कर अब 60 महीनों के स्थान पर केवल 36 महीने पर लगेगा । खतरा यह है कि बहुत से उद्योगपति इस छूट का लाभ उठा कर निधि को अन्तरित कर देंगे और भारी लाभ कमायेंगे । पूंजीपतियों को छूट देने से तो कदाचार और बढ़ेंगे ।

अब आभूषण और शेयरों आदि, परिसम्पत्ति के विक्रय में भी छूट दी गई है । इसी प्रकार यह व्यवस्था की गई है कि रुग्ण मिलों का प्रबन्ध दूसरी कम्पनियां संभाल सकती हैं । इससे तो आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण होगा और एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा । इससे भारतीय अर्थ-व्यवस्था को हानि होगी ।

20,000 करोड़ रुपये का काला धन जमा पड़ा है । वित्त मंत्री ने उसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि कैसे इस समानान्तर अर्थ व्यवस्था को समाप्त किया जायेगा । इस बारे में बड़े उपाय किये जायें । लेकिन जनता सरकार तो बीड़ी पर कर लगा रही है ।

जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में बेरोजगारी को 10 वर्ष में समाप्त करने का आश्वासन दिया था । लेकिन बजट में एक भी ऐसी बात नहीं है जिससे इस लक्ष्य को प्राप्त करने का आभास मिलना हो । उल्टे बेरोजगारी तो और बढ़ रही है । कृषि मजदूर भी वर्ष में छ. महीने बेकार रहते हैं ।

वित्त मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर जोर दिया है । पिछली चार योजनाओं के दौरान ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में बहुत धन लगाया गया है पर उससे केवल ग्रामीण धनी वर्ग को ही लाभ मिला है । निर्धन वर्ग तो निर्धन ही रहा है । कांग्रेस सरकार द्वारा रोजगार गारंटी स्कीम का भी कोई फल नहीं निकला है । मुझे भय है कि मंत्री जी, ने भी जो कृषि पर बल देने की बात कही है उसका लाभ भी ग्रामीण क्षेत्र के धनी वर्ग को ही होगा । बजट में उन लोगों पर कोई कर नहीं लगा है वरन कुछ छूट ही मिली है ।

बन्द मिलों को खोलने के लिये उपाय करने के बारे में वित्त मंत्री ने कुछ नहीं कहा है । उन्ह सुदृढ़ स्थिति वाली मिलें खरीदेंगी । यह तो बड़ी मछली द्वारा छोटी मछली को खाने वाली बात है । तालाबन्दी और जबरी छुट्टी के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है । इंजीनियरी उद्योगों में में 40 से 50% . उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं होता ।

ऐसी स्थिति में आप बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे । बड़े-बड़े उपक्रमों में कम्प्यूटर लगाये जा रहे हैं । इस से तो बेरोजगारी और बढ़ेगी । वित्त मंत्री शिक्षा से अधिक पुलिस पर व्यय करने की पुरानी कांग्रेसी नीति पर चल रहे हैं । पिछली सरकार ने 'आर०ए०डब्ल्यू०' जैसे संगठन के बल पर खूब अत्याचार किये थे । अब उसका क्या किया जायेगा इसका कुछ उल्लेख नहीं है ।

चिकित्सा सुविधाओं की बराबर अवहेलना की जा रही है । उस पर केवल 47 करोड़ रु० और आवास पर केवल 15 करोड़ रुपये ही व्यय किये जायेंगे । रक्षा व्यय में कटौती का मैं स्वागत करता हूं : हमें पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने पर बल देना चाहिये ।

आयकर के लिये आयराशि की सीमा बढ़ाना स्वागत योग्य कदम है लेकिन उपकर बढ़ाना न्यायसंगत नहीं । और आय कर लगाने की प्रक्रिया भी सन्तोषजनक नहीं है । बोनस के बारे में भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिये ।

कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त देने के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया । वह तो पहले ही देय हो चुकी है । यह किस्त शीघ्र से शीघ्र दी जानी चाहिये ।

विदेशी ऋणों को भुगतान की भी भारी समस्या है । आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 1975-76 में 1839 करोड़ रुपये के ऋण लिये जा चुके थे । चालू वर्ष में प्रस्तावित विदेशी सहायता एक अनुमान के अनुसार एक हजार करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगी । विदेशों पर निर्भरता से हमारा देश कमजोर ही रहेगा ।

जनता सरकार को लोगों की भावनाओं का आदर करना चाहिये और करोड़ों भूखे लोगों की आर्थिक दशा सुधारने का प्रयास करना चाहिये ।

Dr. Sushila Nayar (Jhansi) : Sir, I support the Budget presented by the Finance Minister at the outset I congratulate the people for breaking the chains of emergency.

During the 20 months of emergency every congressman was simply a yes man. They never uttered a word against atrocities or injustice. The country's prestige was devalued during that period. The then Finance Minister had tried to benefit only the capitalists. The common man got nothing.

Our Finance Minister has taken certain steps to provide relief to common man and the middle class. He has changed the income tax structure. We hope to provide employment to above 25 lakh people through small scale industries.

Ours is a country of Gandhiji and it is capable of changing the economic condition of the people. The people ousted the Britishers. They have removed emergency and now we are going for social and economic transformation.

Shri C. Subramaniam claims to have moderanised the agriculture but has he been able to improve the living conditions of the rural population. Do they get drinikng water ? You are talking of pure wine not of pure water. The farmer produces foodgrains but he can not consume them. His children do not get milk.

Agro-industries and small industries should be set up in villages. The goods which are produced in villages should also be processed in villages to provide employment to the rural people. They will get things at cheaper rates and their economic condition will improve. The hand made goods should be so priced as may allure the urban people to purchase them. The people should be inspired to purchase hand made goods.

No doubt, we have enough buffer stock of foodgrains but there is no satisfactory arrangement to store them. We should increase our storage capacity.

Sh. Subramaniam continues to remind us of our defeat in the South. He should see that his own party is in no better position.

It is correct that prices have gone up, but nobody has tried to think as to why prices have gone up. The main reason for the price rise is that the Congress party had taken a good deal of donations from big business houses and businessmen. In the month of February oil import licences worth rupees 570 cores were given by the Government. These licences were given only to those people who had given huge sums as donations to the Congress party. These people imported oil worth 30 crore rupees only whereas they sold out the imported oil to other countries there and then. So in the garb of socialism, our Congress rules did their best for the benefit of capitalism.

It has also been stated by some of our friends that our Government is encouraging private sector while it is ignoring public sector all together. I was really surprised to hear these words from my friends from Congress benches. Now they are shedding crocodile tears because they themselves encouraged capitalism. During emergency all the big capitalists of the country such as Birlas and Tatas danced in accordance

with the tune of Government. But my submission is that if the Government is keen to eliminate poverty, then we must have industries at small scale level. If tax-relief is given for that purpose, it should not be objected to.

It has also been contended that handloom sector cannot flourish. This contention is not correct for the information of my friends and specially Shri Sathe, I may point out that we will be having a policy of demarcation of spheres. The big units of the country will manufacture goods for export while small scale units will manufacture for indigenous consumptions. We will make all efforts to ensoure that handlooms and powerlooms flourish in the country.

The appeal of the Government to the traders has not been appreciated by many Members. I just want to know what is the harm in making the appeals. There are good and bad people in every walk of life. We must encourage good people. If Government's appeal did not work, no body will stop the Government from making use of its powers under rules.

There had been floods and droughts in our country almost every year. My submission is that if we harness our water resources properly, it will help in tackling the problems of floods and drought. It will be more beneficial if firstly Government concentrates on a few jobs and then takes up other jobs after completing the earlier ones.

It has also been said by some of our friends on the opposition benches that the talk of solving the problem of unemployment in five years and eradications of poverty within ten years is ridiculous. Janata Party has not made any claim for the total eradication of these problems but our aim is to make a dent into these problems. We intend to take up the policy which will provide more employment opportunities and also help in increasing production. We will ensure the efficient working of the public sector. It is our firm conviction that if the public sector units incur losses, they will be of no avail either to the country or to the people. A new spirit will have to be infused in the public sector for achieving efficiency.

Now a new era has began in the country. It is the era of freedom and self-respect. In this era we will have to bring about a socio-economic change in the country. But we are to bring this change through peaceful and Gandhian means. We will have to bring up a society which will be free from exploitation. This maiden budget of Janata Party will be a first small step in that direction. I hope that the next budget of the Janata Party will take us in that direction in an all the more big way.

श्री सौगत राव (बैरकपुर) : श्री नेहरू वर्तमान भारत के निर्माता थे । आज भारत में जो कुछ है वह सब जवाहरलाल नेहरू के कारण ही सम्भव है जिन्होंने इस देश में भारी उद्योग का मूलभूत ढांचा तैयार किया है, जिसने इस देश में योजना की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए सरकारी क्षेत्र बनाया और जिसने सर्वप्रथम देश को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर अग्रसर किया । भारत सुनियोजित आर्थिक विकास की दिशा में दृढ़ता से बढ़ रहा है ।

भारतीय अर्थ व्यवस्था में कृषि को प्राथमिकता देने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । कृषि पर 3,024 करोड़ रुपये का परिव्यय है जो पिछले वर्ष के परिव्यय से कम है ।

यह मुख्यत: तटस्थ बजट माना गया है जिससे आगे मुद्रास्फीति नहीं होगी और घाटे की अर्थ व्यवस्था नहीं होगी । 72 करोड़ का घाटा जो दिखाया गया है वह लोगों को धोखा देने के लिए ही दिखाया है । कहा गया है कि 1,000 करोड़ रुपये का मार्केट ऋण होगा और विदेशी मुद्रा के रक्षित भण्डारों में से 800 करोड़ रुपये की राशि निकाली जायेगी । क्या इससे मुद्रास्फीति नहीं, बढ़ेगी ? जनता सरकार आयात नीति की दिशा में भयंकर कदम उठा रही है । उन्होंने यह घोषणा नहीं की है किन-किन वस्तुओं का आयात किया जायेगा । इस पर भी यह कहते हैं कि इससे घाटे की अर्थ व्यवस्था पर नियंत्रण रहेगा । जनता सरकार ने इस बजट को आर्थिक विकास तथा देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया

तेज करने वाला बता कर आश्चर्यजनक अवसर प्राप्त किया है तथा यह भी कहा है कि इससे वितरणात्मक न्याय दिया जायेगा । खेद है कि इस में ऐसी कोई बात नहीं है । यह विधि की विचित्र विडम्बना है एक नौकरशाह जिन्होंने एक समय स्वतन्त्र पार्टी की सदयस्या प्राप्त कर ली थी, आज जनता वित्त मंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत कर रहे है। सम्भवत: उनका वक्तव्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था ।

जब से जनता सरकार ने सत्ता संभाली है तब से मूल्य सूचकांक में वृद्धि होनी आरम्भ हो गई है तथा वह 11.6 प्रतिशत तक पहुंच गयी है ।

इस सरकार ने पिछली सरकार से 1.80 करोड़ टन खाद्यान्न का भंडार लिया है और 3000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा ली है जो अब तक का रिकार्ड है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से जबकि औद्योगिक उत्पादन में 10.6 प्रतिशत वृद्धि हुई थी, पिछला वर्ष औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ वर्ष रहा है । पिछले वर्ष की उपलब्धियों का लाभ उठाने और अर्थ व्यवस्था को सही मार्ग पर लाने की दृष्टि से इस वर्ष लाभ उठाना चाहिए । लेकिन इस बजट से क्या हुआ है ? इस बजट के माध्यम से सरकारी क्षेत्र का राजस्व निगमित क्षेत्र में लाने का प्रयास किया गया है । इससे अमीरों, एकाधिकार गृहों, बहुराष्ट्रिक गृहों को छूट व रियायतें दी जा रही हैं । सामान्य व्यक्ति को कोई रियायत नहीं दी गई है।

इस बजट में सरकारी क्षेत्र की उपेक्षा की गई है । सरकारी क्षेत्र में एक रुपये का भी निवेश नहीं किया गया है । इसके भयंकर परिणाम निकलेंगे । तेल की खोज के अलावा सरकारी क्षेत्र में धन नहीं लगाया गया है । विशालकाय सरकारी क्षेत्र की इस सरकार द्वारा उपेक्षा की जा रही है । हमारे देश में सरकारी क्षेत्र अस्थाई क्षेत्र हैं । इसे स्थाई बनाना होगा ।

इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र के प्रति झुकाव की काफी चर्चा की गई है । लेकिन इस प्रयोजन के लिए बजट में पर्याप्त और समुचित राशि नियत नहीं की गयी है । कृषि को प्राथमिकता देने के नाम में देहात में काफी धन नहीं लगाया गया है जहां इसका कुछ पता ही नहीं लगेगा ।

बजट में भूमि सुधारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । हमारे 30 वर्ष के शासन में हम भूमि सुधार कार्यक्रम पूरी तरह से लाग नहीं कर सके । लेकिन हमने इस दिशा में कारगर रूप से कार्य आरंभ कर दिया था । बजट में खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण निर्धन की दुर्दशा के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है । केवल कुलक वर्ग को बढ़ाने के लिए ही कृषि को प्राथमिकता देने का उल्लेख किया गया है । अधिकाधिक लोग भूमिहीन हो गये हैं । केवल मात्र बेहतर सिचाई की सुविधाएं या पम्प सेट आसानी से उपलब्ध कराने से ही इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता । हमें भूमि सुधार करना होगा । इसके बिना कृषि को प्राथमिकता देने से हम ग्रामीण अमीरों की ही सहायता करेंगे । बजट में बेरोजगारी के बारे में बात की गई है । इस बजट में शिक्षित बेरोजगारों के लिए अतिरिक्त रोजगार योजना या विशेष रोजगार कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है ।

मूल्य वृद्धि को रोकने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । आज अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि हो रही है । तेल के बीजों का आयात करने के बावजूद खाद्य तेलों के मूल्य बढ़ रहे हैं । बेहतर वितरण व्यवस्था के लिए बजट में कोई राशि नियतन नहीं किया गया है । बजट भारतीय जनता को न केवल वितरण न्याय देने में ही असफल रहा है बल्कि संसाधन जुटाने में भी असफल रहा है ।

बचत के लिए भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया है जमा राशि पर प्रोत्साहन के रूप में ब्याज की दर में वृद्धि नहीं की गई है । बजत में इस प्रकार वृद्धि करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है जिससे मुद्रास्फीति न बढ़े ।

गृह मंत्री ने कहा है कि सभी उपभोक्ता वस्तुओं का ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान लघु एककों द्वारा निर्माण किया जायेगा । वस्तुएं सस्ती देने के लिए इनका बड़े पैमाने पर निर्माण करना होगा । क्या जनता सरकार पुरानी भारतीय संस्कृति लाने का प्रयास कर रही है । यह कहना कि सभी उपभोक्ता वस्तुओं का लघु उद्योगों में निर्माण होगा हमारी अर्थव्यवस्था के मूल तत्वों के प्रति अज्ञानता दिखाना है ।

Shri Ram Dhani Shastri (Padrauna) : I congratulate the Hon. Minister for presenting minimum deficit budget. Poverty came in inheritance from the Congress regime.

The per capita income of the area I represent is less than Rs. two. The previous Government danced to the tune of Birlas and Tatas

Agriculture remained neglected through out the period of Congress rule. they shattered the economy of the villages. Crores of Rupees were spent during the last 30 years in the name of rural development but the right of Harijans and other backward classes remained deplorable. The former Government did not pay any heed towards the medical facilities to the rual areas.

Hardly 15 to 16 per cent people are literate in the villages. In most of cases, there are no school buildings in the villages. Still it is said that Congress did appreciable work for rural upliftment.

Janta Government's biggest achievement is removal of fear complex from the minds of people.

The Maruti Ltd. came into being in the name of Public Sector which was responsible for exploitation of so many people. The Congress Government never dared to put smuggler in the jail.

The Janta Party has made certain promises to the people. The Finance Minister should indicate the steps to be taken for removing unemployment.

I suggest that working hours of power run factories employing more than 100 workers should be reduced from 8 hours to 6 hours which will provide more employment opportunities.

Now, I would like to draw your attention to education. The Janata Party had also made the promise that a new direction would be given to education. There is no clear indication in the budget in this regard. How two different types of primary education can function? On the one hand there are fancy schools where wards of affluent people study whereas on the other hand the small primary school in a village has no roof on it. Two types of arrangements cannot go together. It is high time Government should abolish all the public schools and there is only one type of schools for all. I hope the Finance Minister will throw some light on it. When he replies to this debate.

As regards agriculture, it is not enough to say that our economy will be based on agriculture. When so many concessions have been announced why nothing has been done to reduce the prices of fertilizers and other inputs about which an assurance had been given last time ? If Janta Government wants to develop agriculture they should give a three year guarantee to the farmers that manure, water and electricity will be made available to them at cost price.

It is high time Government also take some concerete steps to stop the trend of rising prices. There should be a clear cut policy that prices will not be allowed to rise beyond a certain level.

The present Government is committed to set up an egalitarian society. It will have to struggle very hard to achieve this aim. They will have to remove the wide disparity between the rich and the poor. I hope the Janata Government will bring socialism in a new manner. With these words I support this budget.

*श्री के० राममूर्ति (धर्मपुरी) : यह कहा गया है कि जनता पार्टी की सरकार श्रमिकों को अनिवार्य जमा राशि का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ख़जाना खाली कर दिया है। केन्द्रीय सरकार देश की अर्थ-व्यवस्था में सुधार होने पर ही यह राशि वापस कर सकती है। लेकिन वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह तर्क नहीं दिया है। अनिवार्य जमा राशि का भुगतान करने में अपनी असमर्थता को छुपाने के लिये ही जनता सरकार ने पिछली सरकार को बदनाम करने का यह बहाना निकाला है। यह देश की जनता के साथ धोखा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा था कि समाजवादी बजट आने वाला है और लोगों को शान्ति से प्रतीक्षा करने की सलाह दी थी। लेकिन उनके इस बजट में समाजवाद का कहीं भी आभास प्रतीत नहीं होता। खेद का विषय तो यह है कि यह जनता का भी बजट नहीं है। यह घृणित बात है कि यह अमीरों का बजट है क्योंकि बजट के प्रावधानों से अमीर और अधिक अमीर बनेगा तथा गरीब और अधिक गरीब।

वित्त मंत्री ने इस बजट के माध्यम से दी जाने वाली रियायतों का उल्लेख किया है। लेकिन इन रियायतों से पूंजीपतियों, शोषकों जमींदारों, तस्करों, चोर बाजारियों आदि को ही लाभ पहुंचेगा। इन रियायतों का शोषितों तथा हमारे देश के ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं होगा। इससे ग्रामीण जनता को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी।

वित्त मंत्री ने योजनाओं के क्रियान्वयन में ए असाधारण विलम्ब का संकेत दिया है जिसके फलस्वरूप पूंजीगत निवेश में बेकार की वृद्धि हुई है। लौह और इस्पात क्षेत्र के लिये 500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। सेलम इस्पात संयंत्र का शिलान्यास 1971 में रखा गया था और 140 गांवों में रहने वाले हजारों किसानों को बेदखल कर के इस संयंत्र के लिये भूमि अर्जित की गई थी। 6 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी इस इस्पात संयंत्र को स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है। कहा गया है कि इस संयत्र के लिये 530 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। अकेले कोल्ड-रोल स्टील मिल के लिये 127 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। परन्तु इस प्रयोजनार्थ इस बजट में केवल 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि अनुमानित लागत 530 करोड़ रुपये है। अतः इस परियोजना के पूरा होने में असाधारण विलम्ब होना स्वाभाविक है जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत निवेश में वृद्धि होना अनिवार्य हो जायेगा। नेवेली तापीय बिजली घर के लिये 5 करोड़ रुपये की राशि का बजट में प्रावधान किया गया है। परन्तु नेवेली में दूसरी खान खोदने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इससे तमिलनाडु की जनता में बहुत निराशा होगी।

विद्युत-चालित करघों को उत्पादन-शुल्क में दी जाने वाली रियायतों के सम्बन्ध में यह कहना आवश्यक है कि विद्युत-चालित करघों के मालिक तो पहले ही हथकरघा क्षेत्र के लिये सुरक्षित अनेकों उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। विद्युत-चालित करघों के मालिकों को उत्पाद-शुल्क में रियायत देने से हथकरघा क्षेत्र सदा के लिये समाप्त हो जायेगा।

वित्त मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों बेरोजगारों को इस बजट के माध्यम से रोजगार के अवसर जुटाने के बारे में चर्चा की है। इस बजट के द्वारा खेतिहर मजदूरों, छोटे किसानों, स्वनियोजित श्रमिकों के जीवन स्तर में किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यह पता नहीं कि इस बजट से ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों बेरोजगारों के लिये रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे ?

यदि जनता सरकार हमारे समाज में मूलभूत सुधार करना चाहती है तो जमींदार समाप्त किये

*तमिल भाषा में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translation version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

जायें और पूंजीवाद को खत्म किया जाये । केवल तभी समाजवाद आ सकता है । केवल पूंजीवादियों को रियायतें दे कर यह सरकार समतावादी समाज की स्थापना नहीं कर सकती । केवल गैर-सरकारी क्षेत्र को ही रियायतें दी जा रही हैं सरकारी क्षेत्र को नहीं । ऐसा प्रतीत होता है कि अगले बजट तक सरकारी क्षेत्र समाप्त हो जायेगा । यह बजट जन साधारण पिछड़े वर्ग के लोगों तथा एवं दलित लोगों के लिये नहीं है । यह तो टाटा और बिरला का बजट है ।

Shri Ugrasen (Deoria) : It is the Congress Party which is responsible for making the poor people poorer and the rich people richer. Dr. Lohia had proved that 27 crores of people maintain themselves with an earning of three and half annas per day. In eastern part of Uttar Pradesh and other backward areas of Madhya Pradesh and tribal regions of Bihar and Orissa people live on an earning of even less than three and half annas per day. At that time the Government had admitted that it is not three and half annas but 27 crores of people live on six and half annas per day. 16 crores of people live on Re. 1/- per day. These things were said by the socialist leaders of that time. Nobody can deny it. On the other side, big monopolies numbering above 50 lakhs spend between Rs. 34/ to 3 lakhs per day. This disparity is the result of congress rule. In the recent years. according to Economic Survey, the gross national product has gone down from 6.4 in 1969-70 to 1.5 in 1976-77. The Agricutural production and also the production of food-grains have declined. There has been increase in money supply resulting in inflation. The export trade has also declined. This is the achievement of the Congress rule during these past years.

Now the Finance Minister has put forward schemes to bring down the prices of essential commodities, to increase employment opportunities and to stream line the marketing system in the country. Reference has been made to river projects. About 18 projects costing Rs. 255 crores have been sanctioned by the Public Investment Board. But as funds have not been given these projects could not be completed within schedule. The result is that their cost has gone upto Rs. 555 crores several rivers projects such as, the projects on Ghaghra and Rapti rivers remain on paper and they could not be completed because funds were not released by the then Central Government. If the the Cauveri River Dispute has been solved, the problem of scarcity of water would not have been there in Tamil Nadu and Karnataka.

The number of unemployed people today is about 4 crores. The number of land-less people in the country is about 4 crore. The public sector has made no substantial progress and the per capita income has gone up only by 1 1/2 per cent. The Finance Minister has now suggested that the general increase in every sector should be at least 4 to 5 per cent. It means that Janata Party Government will work to achieve this increase.

As regards distribution of land, there are about 4 crores of landless persons in the country. There was a proposal to acquire 40 to 50 lakhs of acres of land but only 18 lakhs of acres of land has been acquired. The distribution of land has remained confined to office files only.

The Finance Minister should consider the plight of workers. The Bonus Act must be revived and there should be only one trade union in one industry, and measures should be taken to obtain active participation of workers in the management of public sector in-dustries. With these words I support the budget.

Shri Gauri Shanker Rai (Ghazipur) : The budget of a country or state is an instrument showing economic or social change. It also indicates what is going to be done in the country or state. The former Finance Minister has made an adverse criticism of the Budget. He appears to be champion and a sportsman of the socialism.

It is clear that this budget is not a socialistic one. Today only one thing is possible that priorities phasing and preferences should be changed in this budget. People did not anticipate that the entire budget will be changed.

They are repeating the same thing which we had said earlier as members of oppositions.

I do not want to criticise the opposition but want to draw attention of the Finance Minister towards certain basic things. My Congress friends are satisfied about their performance during the last 30 years. I admit that our country has made some progress but they need not be satisfied even today there is scarcity of driking water in villages. I also belong to the Eastern U.P. where 1200 villages are suffering from scarcity of water and 600 have famine conditions.

In such conditions you cannot successfully implement your plans. First of all we shall have to bridge the gulf. In our country 85% people depend upon agriculture. They are small farmers who are living in acute poverty conditions. The Small farmers neither have tractors nor tubewells. We earn 50% revenue from agriculture but we incur only nominal expenditure on it. In Japan there are farmers corporations for small farmers. We should also formulate some scheme to introduce machanised farming even in case of small farmers.

Then we shall have to remove regional disparity. There are certain areas like Eastern U.P. which are most backward. We should implement the recommendations of the Patel commission.

Sir, so far as electricity is concerned, it is very vital for us. I request the hon'ble Minister to have a long term planning say for 10 years. We should assess our requirement for the next ten years. There should be uniform policy so far as the generation of electricity is concerned. Electricity Boards should be consituted through out the country. There should not be any discrimination in the matter of subsidy.

Sir, I am in favour of public sector but this sector has been put to disgrace by the previous Congress Government. Public sector undertakings are always running in loss. Our economy can not forge ahead if this sort of affairs continues.

We should levy tax on expenditure. Today many people have lot of black money and they spend lavishly We can limit expenditure by imposing tax on it. Tax on income only will not bring any social transformation.

Now you have levied tax on bidi. The bidi is a common man's smoke and it will not yield much revenue to the Government. But it has provided the opposition with an opportunity to criticize the Government. So I will request him to withdraw this tax.

I want to add one more thing. There should be proper coordination in our planning. At present there is no coordination between the Planning Commission and the Central Government as well as between the Central Government and the State Governments.

With these words I support the budget presented by our Finance Minister.

श्री वेदव्रत बरुआ (कालियाबोर) : महोदय, मुझे आश्चर्य है कि श्री गौरी शंकर राय को इस बजट में कुछ प्रगतिशील बातें नजर आई हैं। मेरे दल की यह नीति थी कि सार्वजनिक क्षेत्र का विकास किया जाये लेकिन अकेले सरकारी क्षेत्र से देश की पूरी प्रगति नहीं हो सकती थी। इसलिए गैर सरकारी क्षेत्र को भी पनपने दिया गया। पर निश्चित रूप से हम सरकारी क्षेत्र के विकास को चाहते थे।

अब वह बात नहीं रही। एक सप्ताह पहले ही उद्योग मंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार को माल बेचने के मामले में सरकारी क्षेत्र को जो दस प्रतिशत की प्राथमिकता प्राप्त थी उसे हटा लिया जायेगा। पर प्रश्न यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र माल बेचते समय कुछ कमीशन वगैरा दे सकता है पर सरकारी क्षेत्र के उद्योग तो ऐसा नहीं कर सकते। अब आप 10% की प्राथमिकता भी हटा लेंगे तो सरकारी अधिकारी इस क्षेत्र से माल खरीदने में झिझकेंगे।

हमने सरकारी क्षेत्र को बदनाम किया है, यह कहना सही नहीं । पिछले तीन वर्षों, विशेषकर दो वर्षों, के दौरान इस क्षेत्र ने काफी लाभ कमाया है और उत्पादन बढ़ा है । पिछले वर्ष तो रुग्ण भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने भी 48 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि बजट भाषण में कई स्वागत योग्य बातें हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र पर बल । पर वे तो बजट का अंग नहीं । जनता सरकार ने किसानों के साथ जबानी सहानुभूति दिखाई है । यदि हम वास्तव में कृषि का विकास चाहते हैं तो हमें इस ओर संसाधन जुटाने होंगे ।

प्रत्यक्ष करों के सुव्यवस्थीकरण का कदम भी सराहनीय है । हर बार बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद प्रत्यक्ष करों का मामला और उलझ जाता है और वकीलों की बन आती है ।

अब बड़े-बड़े व्यापारियों ने बजट को यथार्थवादी बताया है और ग्रामोद्योग की बात केवल कागजी ही है । कृषि के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने में सरकार असफल रही है । सरकार ने कहा है कि अब विदेशी सहायता अधिक मिलने लगी है । सरकार के पास 3000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा जमा है फिर भी 800 करोड़ रुपये उधार लेने का प्रस्ताव है । यह रुपया उपभोग के लिए व्यय होगा । कलाई घड़ियां आयात किये जाने की बात है । अच्छा होना यदि एच० एम० टी० को कलाई घड़िया बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये की मशीनरी मंगाने के लिए मदद दे दी जाती । अब लगता है कि विदेशी मुद्रा खराब ही जायेगी ।

सीमा-शुल्क बढ़ा दिया गया है और छाप वाली (ब्रांडिड) बीड़ी पर भारी कर लगा दिया है । इससे सरकार को छाप वाली बीड़ी से 45 करोड़ रुपये की आय होगी जो कुल सीमा शुल्क से मिलने वाली राशि का 50 प्रतिशत बैठता है ।

आप सरकारी क्षेत्र पर व्यय को कम कर रहे हैं । समुद्र के किनारे और गहरे समुद्र में तेल की खोज के सरकारी काम का व्यय वहन किया जायेगा । यह जो पैसा बच रहा है सब गैर-सरकारी क्षेत्र को जा रहा है । ये बड़े-व्यापारी कपड़ा उद्योग में घुस गये और उन्होंने मिलों को रुग्ण बना दिया और खुद अन्य आधुनिक उद्योगों में चले गये हैं । नई कम्पनियों से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं । अब नये प्रावधान के अनुसार ये बड़े व्यापार गृह उन्हीं कम्पनियों को खरीद लेंगे जिन्हें उन्होंने 20 वर्ष रुग्ण होने की हालत तक पहुंचा दिया था । और फिर उस रुग्ण एकक का सारा माल और मशीनें बेच दी जायेंगी । भारत सरकार को उस पर लगे कर से प्राप्त होने वाला राजस्व भी नहीं मिलेगा ।

यदि निवेश भत्ता सभी उद्योगों को दिया जाना है तो उसमें से कितनी राशि गैर-सरकारी क्षेत्र को चली जायेगी । फिर ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए हमारे पास धन कहां से आयेगा । आई० डी० पी० आई० आई० एफ० सी० तथा अन्य सरकारी संस्थान बंद करने पड़ेंगे । पूंजीगत वस्तुओं के आयात की छूट भी आप दे रहे हैं क्योंकि आपके पास विदेशी मुद्रा का भंडार है । पूंजीगत वस्तुएं भारत में ही उपलब्ध हैं तो आप उनके आयात की अनुमति क्यों दे रहे हैं ।

शक्तिचालित करघों को प्रोत्साहन देने से हथकरघा उद्योग को धक्का लगेगा । इस उद्योग में लगे लाखों व्यक्ति प्रभावित होंगे । वास्तविकता यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का विशेष प्रयत्न किया गया है ।

भूमि सुधारों के मामले में कांग्रेस सरकार ने जो कार्य किये उन पर हमें गर्व है । बिहार और उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर कितने अत्याचार हुए । ऐसी विकट परिस्थितियों में कांग्रेस दल ने प्रशंसनीय कार्य किया और अभी तो भूमि काश्तकारी प्रणाली में भी परिवर्तन किया जा रहा था । खेद है कि राष्ट्रपति जी के भाषण और बजट में भूमि काश्तकारी पद्धति का कोई उल्लेख नहीं ।

जापान के बारे में भी उल्लेख किया गया है । जापान निःसन्देह छोटे-छोटे किसानों का देश है । उन्होंने ऐसी तकनीक का विकास किया है जो छोटे किसानो के लिए उपयुक्त है । यदि हम ग्रामोद्योग लगाने के इच्छुक हैं तो हमें यह निश्चित करना पड़ेगा कि हम कौन-कौन से उद्योग गांवों में लगा सकते हैं । छोटे हल, बैल गाड़ियों के लिए रबड़ टायर बनाने के लिए विद्युत-चालित कारखाने लगाये जा सकते हैं।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखिये । सभा अब स्थगित होती है और कल 11 बजे पुनः समवेत होगी ।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 21 जून, 1977/31/ज्येष्ठ, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, June 21, 1977/ Jyaistha 31, 1899 (Saka)

MGIPRRND—CR—III—N/S—3 LSS/77—30-8-77—200